10th वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report 2009-10

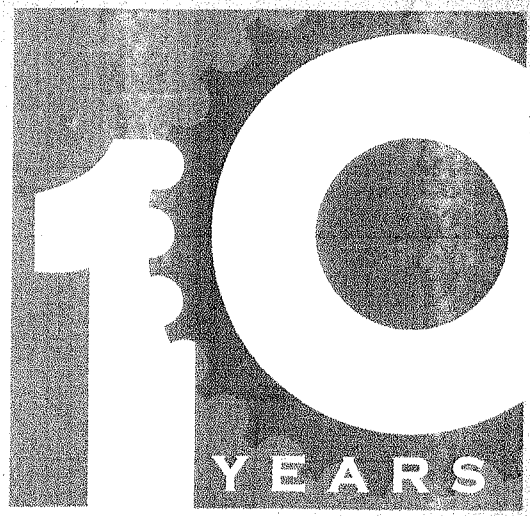

COMMEMORATING 10TH YEAR OF CGTMSE

10 वर्ष का यह विश्वास कि
छोटे-छोटे आइडिया (विचार) भी **भव्य भविष्य** की बुनियाद होते हैं.

10 years of believing that
small ideas could have a **big future.**

CGTMSE

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट
(भारत सरकार एवं सिडबी द्वारा स्थापित)
Credit Guarantee Fund Trust
For Micro & Small Enterprises
(Set up by Govt. of India & SIDBI)

अनुमोदनों की संख्या (संचयी)
Number of Approvals (Cumulative)

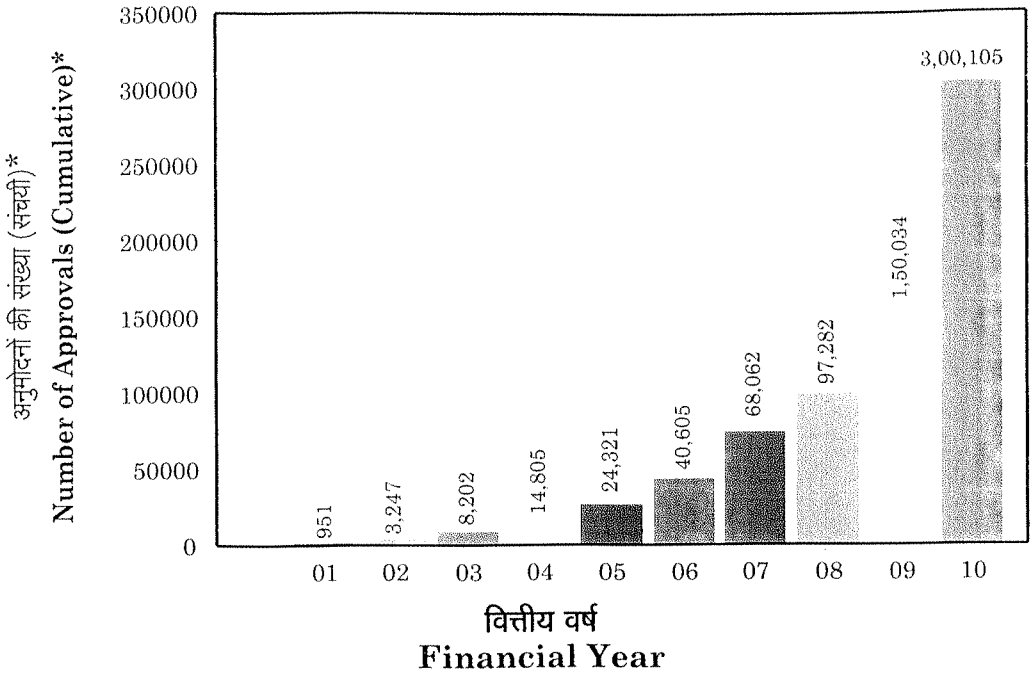

*संसोधन/रद्द के मध्यवर्ती कारणों से वास्तविक बदलाव

*Actuals may vary due to intervening Cancellations/Modifications

अनुमोदनों की राशियाँ (संचयी)
Amount of Approvals (Cumulative)

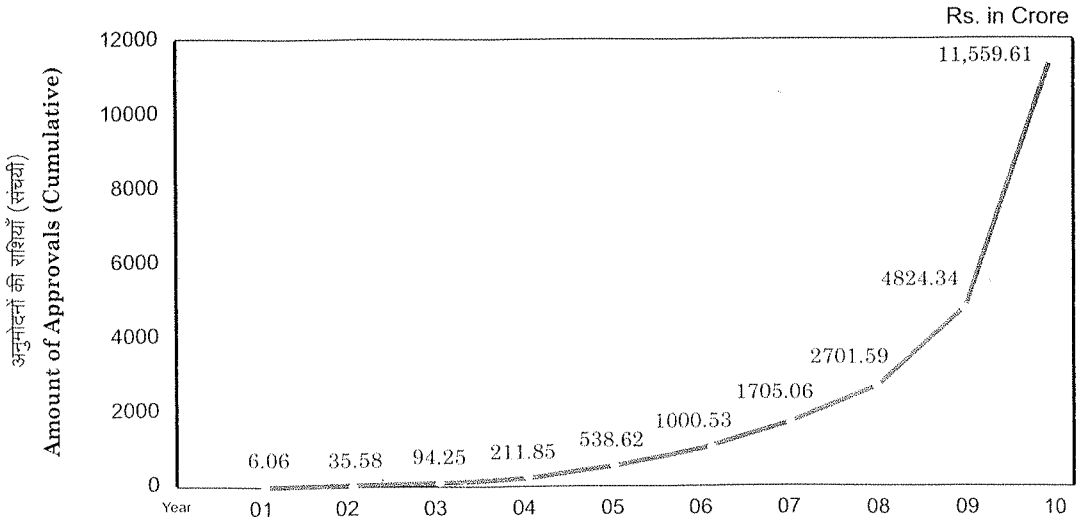

विषय-सूची
Content

10 वर्ष का यह विश्वास कि छोटे-छोटे आइडिया (विचार) भी भव्य भविष्य की बुनियाद होते हैं.	01	Ten years of believing that small ideas can have a big future
प्रेषण-पत्र	02	Letter of Transmittal
अध्यक्ष का वक्तव्य	03	Message from the Chairman
मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य	04	Message from the CEO
न्यासी मंडल	05	Board of Trustees (As on July 7, 2010)
भारतीय अर्थव्यवस्था	06	Indian Economy
31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के कामकाज की रिपोर्ट	07	Report on the working of the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises for the year ended March 31, 2010
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	08	Auditor's Report
तुलन पत्र और लेखा-विवरण	09	Balance Sheet & Statement of Accounts

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट(सीजीटीएमएसई) की स्थापना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के प्रयासों से 27 जुलाई 2000 को हुई। निश्चय ही यह एक उल्लेखनीय घटना थी और देश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के फायदे के लिए एकांतिक रूप से ऋण गारंटी संगठन स्थापित किए जाने के विचार की परिणति थी।

देश के सूक्ष्म और लघु उद्यमों का अस्तित्व, विकास और समृद्धि उनके विचारों के दम पर कायम है। उद्यमिता का सीधा सरोकार विचारों के पल्लवन और उनको वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य एवं बैंक-सहायता-योग्य प्रस्तावों में परिणत करने से है। छोटे से छोटे विचार में भी असंख्य भारतवासियों की जिन्दगियों को या तो आपूर्तिकर्ता के रूप में या उपभोक्ता के तौर पर छूते हुए, एमएसई के दृश्य-पटल को बदल देने और अपने परिचालन क्षेत्र में साझी समृद्धि वाली लघु अर्थव्यवस्था के निर्माण की क्षमता विद्यमान है। हर विचार में अपने से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जुड़े सभी पक्षकारों के कल्याण में वृद्धि करने की संभावना निहित होती है। फिर चाहे वह विचार कितना ही छोटा क्यों न हो।

किसी भी संस्था की आयु के दस वर्ष बहुत कम समय होता है। फिर भी विविध प्रकार के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के मध्य विचारों के प्रस्फुटन के लिए उर्वरतायुक्त अनुकूल वातावरण के सृजन की दृष्टि से सीजीटीएमएसई के दस वर्ष के अस्तित्व के प्रभाव का यदि कोई मूल्यांकन करे तो यह दस वर्ष का समय विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हो उठता है। संचयी रूप से देश के दूर-दराज इलाकों में उपजे तीन लाख से अधिक विचार बैंक-सहायता-योग्य इकाइयों का रूप धारण कर चुके हैं। बैंकों और अन्य ऋणदात्री संस्थाओं के माध्यम से संपार्श्विक-रहित ऋण-प्रदायगी की प्रक्रिया के ज़रिए उद्यमशील प्रतिभाओं, उनके विचारों और प्रबंधकीय क्षमताओं को पंख मिले हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्प्रेरण और उनकी संवृद्धि के प्रोत्साहन ने इस सदी के सबसे बड़े अवसर को जन्म दिया है। इन अल्प-विकसित क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों तक पहुँच को विस्तार देने और यह सुनिश्चित करने में सीजीटीएमएसई एक मुख्य भूमिका अदा करता रहा है कि यदि विभिन्न स्तर पर उचित मार्गदर्शन और सहायता मिले तो विचार केवल विचार नहीं रह जाते, बल्कि फलीभूत भी होते हैं।

हम विचारशीलता को प्रोत्साहित करते हैं। पिछले वर्ष 1.5 लाख से अधिक उद्यमियों ने ऋण गारंटी सहायता की सुविधा लेकर अपने विचारों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम का जामा पहनाया। सीजीटीएमएसई देश के छोटे से छोटे उद्यम के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। हम ऋणदाता को आश्वस्ति दिलाते हैं कि यदि एमएसई अपने वश से बाहर के किसी कारण से अपनी देयताओं की चुकौती करने में असफल रहते हैं तो उनकी प्रतिबद्धता की पूर्ति हम करेंगे। पिछले 10 वर्षों में हम एमएसई का संपोषण करते रहे हैं और यह कहते हुए ऋणदाताओं के पीछे खड़े रहे हैं कि वे इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में अपने ऋण की मात्रा बढ़ाएँ। हमने विचारों और प्रेरणा को बैंक-सहायता-योग्य परियोजनाओं से जोड़ने वाले योजक का काम किया है। दस वर्ष के अथक प्रयत्न का अच्छा परिणाम मिला है और इसके प्रभाव बहुत दूरगामी रहे हैं। आज बैंकों और एमएसई इकाइयों, दोनों के मध्य संपार्श्विक-रहित ऋण-प्रदायगी के दर्शन को लेकर बहुत अधिक विश्वास है और जैसे-जैसे दिन गुजर रहे हैं यह संबंध निरंतर मज़बूत होता जा रहा है। संपार्श्विक प्रतिभूति अनुमानित प्रतिभूति प्रदान करती है । वास्तविक प्रतिभूति वह मन की शांति है जो ऋण गारंटी योजना ऋणदाताओं को उपलब्ध कराती है।

यह एक वैधीकरण है। ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत कवरेज के 31 मार्च 2010 तक के प्रभाव-मूल्यांकन से पता चलता है कि सीजीटीएमएसई द्वारा गारंटित इकाइयों से अनुमानतः 17.56 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला, अनुमानतः 69,195 करोड़ रुपये का कुल उत्पादन हुआ और 2047 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ।

सीजीटीएमएसई की धारणा है कि छोटे से छोटे विचार का भविष्य बहुत बड़ा हो सकता है। छोटा विचार बहुत बड़ा प्रभाव पैदा कर सकता है। हम विचारों की उस शक्ति को समझते हैं जो लघु उद्यम को सामाजिक रूप से प्रासंगिक ऐसी सत्ता में रूपांतरित कर सकते हैं जो आबादी के सीमांतवर्ती घटकों की समावेशी संवृद्धि को शीघ्र बढ़ावा देने में सक्षम है। सीजीटीएमएसई की इस दुनिया में आपका स्वागत है। **"10 वर्ष का यह विश्वास कि छोटे-छोटे आइडिया (विचार) भी भव्य भविष्य की बुनियाद होते हैं"**

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) was founded on July 27, 2000 through the efforts of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India and Small Industries Development Bank of India. It was indeed a landmark event and a culmination of the idea of setting up a Credit Guarantee organization exclusively for the benefit of Micro and Small Enterprises (MSE) in the country.

Micro and Small Enterprises in the country have survived, grown and flourished on the strength of their ideas. Entrepreneurship is all about engaging ideas and converting them into commercially viable and bankable proposals. The smallest ideas have the ability to transform the MSE landscape and build a mini economy of shared prosperity in the area of its operations through the process of touching the lives of innumerable Indians either as suppliers or consumers. Every idea, however small, has the potential to improve the well being of all those who are directly or indirectly connected to them.

Ten years in the life of an institution is but a small period. However, if one were to assess the impact of CGTMSE's existence in terms of creating an enabling environment conducive for the germination of ideas across a range of micro and small enterprises, the ten year period assumes a special significance. Cumulatively, over three lakh ideas have metamorphosed into bankable units in the remotest corners of the country. The entrepreneurial talent, their ideas and managerial capabilities have been provided wings through the process of extending collateral free credit by banks and other lending institutions. Catalysing the rural economy and stimulating their growth presents the biggest opportunity of the century. CGTMSE has been playing a key role in broadening access to economic opportunities in these less developed areas and ensuring that ideas do not remain mere thoughts but reach fructification stage through proper handholding and support at various levels.

We encourage ideation. Last year over 1.5 lakh entrepreneurs converted their ideas into MSE enterprises through the facilitation of credit guarantee support. CGTMSE has been a source of inspiration to the smallest of entrepreneurs in the country. We provide comfort to the lender that in the event of MSE entrepreneurs failing to repay their dues owing to reasons beyond their control, we would honour their commitment. In the past 10 years we have been nurturing MSEs and standing behind the lenders while exhorting them to increase their exposure to this important sector. We have been the interface that connects ideas and inspiration to bankable projects. Ten years of relentless pursuit has yielded rich dividends and the impact has been far reaching. Today there is greater confidence both among banks and MSE units in the philosophy of collateral free lending and with every passing day this relationship is getting strengthened. Collaterals offer notional security. The real security is the peace of mind that Credit Guarantee Scheme offers to the lenders.

This is a validation. An assessment of the impact of the coverage under Credit Guarantee Scheme as at March 31, 2010 indicates that there is an estimated employment generation of 17.56 lakh persons, expected turnover of Rs.69,185 crore and estimated exports of Rs.2047 crore from CGTMSE guaranteed units.

At CGTMSE we believe no idea is too small to have a big future. Small ideas can make a big impact. We understand the power of ideas to transform small enterprises into socially relevant entities capable of fostering an inclusive and rapid growth of the marginalised segments of the population. Welcome to CGTMSE's world. ***"Ten years of believing that small ideas can have a big future"***

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट,

एमएसएमई विकास केंद्र, 7वाँ तल,

सी-11/जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,

बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

08 जुलाई, 2010

प्रति

अतिरिक्त सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार,

निर्माण भवन, 7वाँ तल, ए विंग, मौलाना आज़ाद मार्ग,

नई दिल्ली- 110 011

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग,

लखनऊ- 226 001

महोदय,

ट्रस्ट के संस्थापकों - भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा निष्पादित की गई ट्रस्ट की घोषणा के खंड 14.2 के अनुसार, मैं एतत्द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज अग्रेषित कर रहा हूँ-

1) 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ट्रस्ट के अंकेक्षित लेखों और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट की प्रति तथा

2) 31 मार्च, 2010 को समाप्त अवधि में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के कामकाज संबंधी रिपोर्ट की प्रति

भवदीय,

ह./-

(ओ. एस. विनोद)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises,
MSME Development Centre, 7th Floor,
C-11/G-Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400 051.

July 08, 2010

To,

The Additional Secretary & Development Commissioner (MSME),
Ministry of Mirco, Small & Medium Enterprises, Govt. of India,
Office of the Development Commissioner (MSME),
Nirman Bhavan, 7th Floor, 'A' Wing, Maulana Azad Road,
New Delhi – 110 011

The Chairman & Managing Director,
Small Industries Development Bank of India,
SIDBI Tower, 15, Ashok Marg,
Lucknow – 226 001

Dear Sirs,

In terms of Clause 14.2 of the Declaration of Trust executed by the Government of India and Small Industries Development Bank of India, the Settlors, I forward herewith the following documents :

1) A copy of audited accounts of the Trust for the financial year ended March 31, 2010 together with Auditor's Report, and
2) A copy of the report on the working of Credit Guarantee Fund Trust for Micro & Small Enterprises for the period ended March 31, 2010.

Yours faithfully,

Sd/-
(O. S. Vinod)
Chief Executive Officer

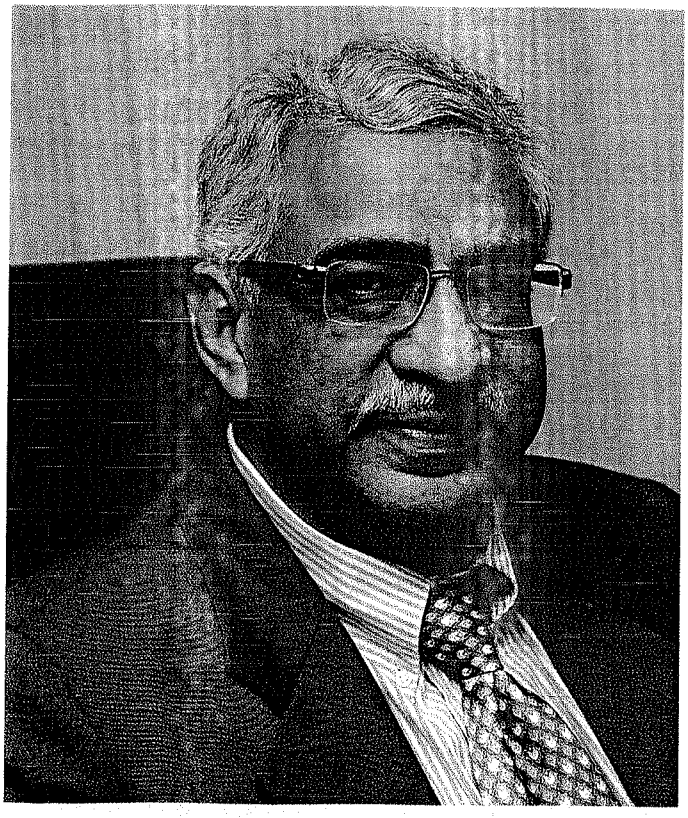

भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2009-10 में सुदृढ़ और अनवरत सुधार दर्ज़ किया है। अर्थव्यवस्था के लगभग सभी प्रमुख घटकों में यह सुधार दिखाई दिया है। घरेलू और बाहरी मांग के बढ़ने के साथ-साथ, औद्योगिक गतिविधियों में आए उछाल का आधार निरन्तर व्यापक और मजबूत होता जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में समग्र औद्योगिक संवृद्धि 8.3% होने का अनुमान है। हाल के महीनों में उपभोक्ता सामान की बिक्री की स्थिति में तेजी से आए सुधार और अगली पंक्ति की कंपनियों में आम तौर पर जो सुधार हुआ है, उससे उपभोग माँग में तेजी से सुधार का पता चलता है। संवृद्धि की सकारात्मक प्रत्याशाओं के कारण निवेश की माँग ने भी गति पकड़ ली है और उसके आगामी वर्षों में और भी दृढ़ रहने की उम्मीद है। जैसे-जैसे आर्थिक सुधार में विस्तार और गहराई आएगी, वैसे-वैसे आर्थिक परिदृश्य सकारात्मक होता जाएगा, जैसाकि भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य एजेंसियों द्वारा की गई उच्चतर संवृद्धि की भविष्यवाणियों से सुस्पष्ट है।

हाल की आर्थिक मंदी को झेलकर एमएसएमई क्षेत्र ने महान समुत्थानशीलता का परिचय दिया है। अर्थव्यवस्था में कुल विनिर्माण की दृष्टि से इस क्षेत्र का 40% से अधिक और कुल निर्यात में 35% का हिस्सा है। साथ ही, यह दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देनेवाला क्षेत्र है। भारत सरकार ने हमेशा इस क्षेत्र पर प्राथमिकता से ध्यान दिया है। वैश्विक आर्थिक मंदी के हाल के दौर में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने कई प्रोत्साहन उपाय घोषित किए, जिनसे इस क्षेत्र को काफी हद तक फायदा पहुँचा। एमएसएमई क्षेत्र की संवृद्धि की कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से एमएसएमई पर प्रधान मंत्री कार्य-दल गठित करने की पहल की गई, जिसने इस क्षेत्र की त्वरित संवृद्धि और विकास के लिए कई दूरगामी सिफारिशें की हैं। छह व्यापक विषयों से संबंधित इन सिफारिशों में वस्तुतः एमएसएमई क्षेत्र के सभी प्रकार के मुद्दों का समावेश है। ऋण, विपणन, श्रम, पुनर्वास और बहिर्गमन नीति, मूलभूत सुविधाओं, प्रौद्योगिकी और कौशल विकास तथा कराधान से संबंधित मुद्दों के साथ-साथ, कार्य-दल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर में एमएसएमई के विकास पर भी ध्यान दिया। सिफारिशें विचार और कार्रवाई के विभिन्न चरणों में हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋण गारंटी योजना की समीक्षा करने और इसे और प्रभावकारी बनाने के लिए एक कार्य-दल गठित किया है। आशा है कि कार्य-दल की सिफारिशों से सीजीटीएमएसई की सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं और एमएसई उद्यमों, दोनों को ही फायदा होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2010 में अपनी मौद्रिक नीति के एक हिस्से के रूप में घोषणा की कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अनिवार्यतः संपार्श्विक-रहित ऋण-प्रदायगी की 5 लाख रुपये की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया जाएगा। एमएसई क्षेत्र के लिए इस कदम के परिणाम बहुत व्यापक हैं और इससे बैंकिंग उद्योग द्वारा संपार्श्विक-रहित ऋण-प्रदायगी को कई गुना करने में सुविधा मिलेगी। प्रसंगवश, 31 मार्च 2010 तक सीजीटीएमएसई द्वारा प्रदत्त समस्त गारंटी अनुमोदनों में 83% अनुमोदन 5 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए हैं।

सीजीटीएमएसई के लिए वित्तीय वर्ष 2009-10 परिचालनों और एमएसई क्षेत्र

Indian economy recorded a firm and sustained recovery during FY 2009-10. This recovery has been witnessed in almost all the major segments of the economy. The buoyancy in industrial activities is increasingly becoming broad – based and stronger on the back of rising domestic and external demand. The overall industrial growth has been estimated at 8.3% for FY 2009-10. Strong recovery in the growth in sales of consumer durables in recent months, along with the general pick-up in corporate top line suggests strong revival in consumption demand. With the positive growth expectations, the investment demand has also picked up momentum and is expected to be stronger in the coming years. As the economic revival becomes widespread and deepened, the economic outlook appears positive as evidenced by higher growth forecasts by Government of India, Reserve Bank of India and other agencies.

The MSME sector has shown great resilience by weathering the recent economic slowdown. This sector, with significant contribution to the economy by way of more than 40% share in total manufacturing and 35% share in total exports, as also being the provider of second largest source of employment, has always received the priority attention of the Government of India. During the recent period of global economic slowdown, the Government of India and Reserve Bank of India announced a number of stimulus measures, which benefited the sector to a great extent. In order to remove the bottlenecks in the growth of MSME sector, an initiative was taken to set up "The Prime Minister's Task Force on MSMEs" which has made very far reaching recommendations for the accelerated growth and development of the sector.

With greater awareness among MSEs about availability of collateral free loans, CGS has emerged as an important vehicle for providing the necessary stimulus to Member Lending Institutions (MLIs) in extending more financial support to MSEs, especially in the underbanked areas.

The recommendations in six broad thematic areas virtually cover the entire gamut of MSME issues. Besides issues relating to credit, marketing, labour, rehabilitation & exit policy, infrastructure, technology & skill development and taxation, the Task Force also looked at development of MSMEs in North East Region (NER) and Jammu & Kashmir. The recommendations are at various stages of examination and implementation.

The Reserve Bank of India had also set up a Working Group for reviewing the Credit Guarantee Scheme (CGS) and making it more effective. The recommendations of the Working Group are expected to benefit both the Member Lending Institutions (MLIs) of CGTMSE as well as MSE entrepreneurs. The Reserve Bank of India, as part of its Monetary Policy Review in April 2010, announced that the current limit of Rs.5 lakh for mandatory collateral-free lending to MSEs by banks would be raised to Rs.10 lakh. The implications of

तक पहुँच की दृष्टि से बड़ा ही महत्त्वपूर्ण वर्ष रहा है। मुझे सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में 1.50 लाख गारंटी अनुमोदनों को कवर करते हुए ऋण गारंटी योजना ने एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। यह अब तक किसी भी एक वर्ष के लिए सबसे अधिक अनुमोदन हैं। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान 6,875 करोड़ रुपये के लिए 1,51,387 गारंटी अनुमोदन दिए गए। इस प्रकार गारंटी अनुमोदनों की संख्या व राशि में क्रमशः 182% और 213% की वृद्धि दर्ज़ की गई। सीजीटीएमएसई के लिए यह बहुत संतोष का विषय है कि वित्तीय वर्ष 2010 में संचयी रूप से ऋण गारंटियों की संख्या 3,00,000 के आंकड़े से ऊपर पहुँच गई। माननीय वित्त मंत्री ने 02 अप्रैल 2010 को सिडबी के 20वें स्थापना दिवस पर 3,00,000 वीं गारंटी जारी की।

ऋण गारंटी योजना का फलक बढ़ाने और उसकी पहुँच का विस्तार करने के उद्देश्य से सीजीटीएमएसई लगातार बैंकों और एमएसएमई के मध्य ऋण गारंटी योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास करता रहा है। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान सीजीटीएमएसई ने 365 संगोष्ठियाँ/ कार्यशालाएं आयोजित कीं। संपार्श्विक-रहित ऋण की उपलब्धता के बारे में एमएसई के मध्य जागरूकता में वृद्धि के फलस्वरूप ऋण गारंटी योजना विशेषकर अल्पबैंकित क्षेत्रों में स्थित एमएसई को और अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने का एक महत्त्वपूर्ण साधन बनकर उभरी है।

एमएसई क्षेत्र के लिए सुविधाकारी वातावरण तैयार करने के हमारे प्रयास में समय पर बहुमूल्य और अनवरत सहयोग देने के लिए मैं भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और सिडबी का आभारी हूँ। सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए सहयोग तथा सीजीटीएमएसई की सभी सहयोगी संस्थाओं द्वारा सीजीटीएमएसई के परिचालनों को बढ़ाने के लिए किए गए समर्पित प्रयासों व सहयोग के लिए मैं साधुवाद देता हूँ। अंततः रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान नई बुलंदियाँ छूने पर मैं सीजीटीएमएसई की टीम को उनके कठिन परिश्रम और समर्पण के लिए बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में वे और ऊँचाइयाँ हासिल करना जारी रखेंगे।

सादर,

राजिन्द्र मल्ला

(आर. एम. मल्ला)

मुंबई

08 जुलाई 2010

the above move for the MSE sector are far reaching and will facilitate manifold increase in collateral free lending by the banking industry. Incidentally, guarantee approvals extended for the loans upto Rs.5 lakh forms 83% of total guarantee approvals by CGTMSE as on March 31, 2010.

For CGTMSE, FY 2009-10 has been a momentous year in terms of its operations and reach to the MSE Sector. I am glad to inform that the coverage under CGS has crossed yet another milestone by covering the 1.50 lakh guarantee approvals in FY 2009-10, which was the highest so far in any single year. The number and amount of guarantee approvals, with 1,51,387 guarantee approvals for Rs.6,875 crore, during FY 2009-10 registered a growth of 182% and 213% respectively. It is also a matter of great satisfaction for CGTMSE that the cumulative number of credit guarantees crossed the 3,00,000 mark during FY 2010. The 3,00,000th guarantee was released by Hon'ble Finance Minister on April 02, 2010 on the occasion of 20th Foundation Day of SIDBI.

In order to widen its scope and reach, CGTMSE has been constantly endeavoring to increase the awareness about CGS among the bankers and MSEs. During FY 2009-10, CGTME has conducted 365 seminars / workshops. With greater awareness among MSEs about availability of collateral free loans, CGS has emerged as an important vehicle for providing the necessary stimulus to Member Lending Institutions (MLIs) in extending more financial support to MSEs, especially in the underbanked areas.

I am grateful to Government of India, Reserve Bank of India and SIDBI for their valuable, timely and continuous support in our endeavor in creating an enabling environment for the MSE sector. I would also express my appreciation for the co-operation extended by the MLIs as well as all partner institutions of CGTMSE for their dedicated efforts and support to upscale the operations of CGTMSE. In conclusion, I also compliment the CGTMSE team for their hard work and dedication in reaching newer milestones during the reporting year and hope that they would continue to reach greater heights in future.

With regards,

(R. M. Malla)

Mumbai
July 08, 2010

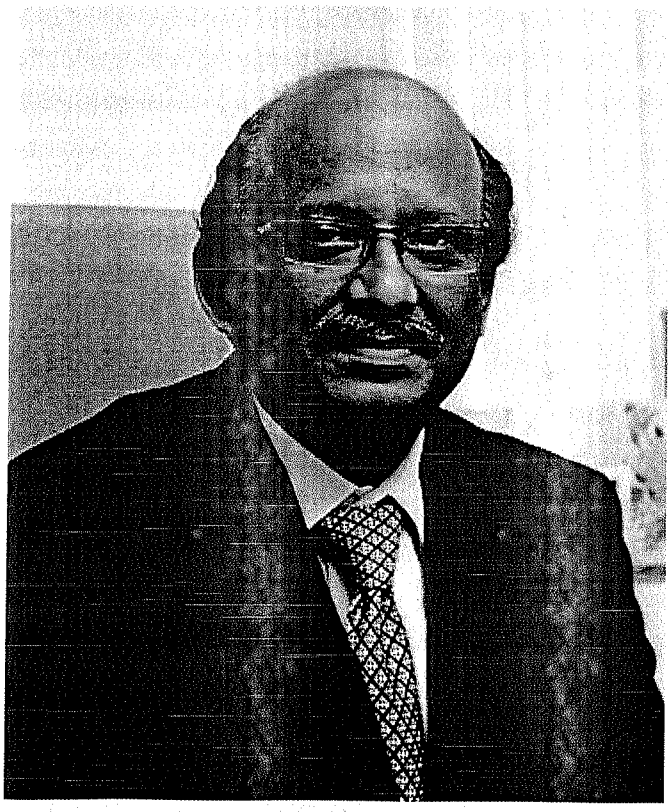

जुलाई 2010 में सीजीटीएमएसई सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र की सेवा के दस वर्ष पूरे कर लेगा। वित्तीय वर्ष 2001 में 6 करोड़ रुपये के लिए 951 प्रस्तावों के ऋण गारंटी अनुमोदन वाली 9 सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से आरंभ करके वित्तीय वर्ष 2010 में सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं की संख्या 111 तक और कवरेज 6875 करोड़ रुपये के लिए 1.50 लाख प्रस्तावों तक पहुँच गई है। संचयी रूप से 31 मार्च 2010 तक गारंटी अनुमोदनों की संख्या 11,559 करोड़ रुपये के लिए 3,00,105 हो गई है।

शुरुआती वर्षों में कवरेज कम थी, किन्तु समय के साथ-साथ इसके प्रति आकर्षण में वृद्धि हुई है और सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं अब ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने लगी हैं। सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं अब गारंटी-पद्धति के बारे में आश्वस्त हैं और गारंटी योजना की प्रासंगिकता तथा सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं और एमएसई दोनों ही के लिए मूल्यवत्ता के विकास की इसकी संभावना को लेकर आम तौर पर स्वीकार्यता का भाव बना है। जुलाई 2000 से अब तक की हमारी यात्रा काफी उत्साह, चुनौतियों और अवसरों से भरपूर रही है। इस मार्ग में सीजीटीएमएसई ने कई मंजिलें पार की हैं और आनेवाले वर्षों में अभी और कई मंजिलों से आगे जाने की दिशा में अग्रसर है।

वित्तीय वर्ष 2010 कई कारणों से सीजीटीएमएसई के लिए एक यादगार वर्ष रहा। परिचालन के स्तर पर वर्ष के दौरान हुई कवरेज पहले नौ वर्षों के परिचालन के दौरान हुई संचयी कवरेज से अधिक रही। पिछले वित्तीय वर्ष के कार्यनिष्पादन की तुलना में यह वृद्धि प्रस्तावों की संख्या और राशि की दृष्टि से क्रमशः 182% और 213% की रही। स्पष्टतया यह ऋण गारंटी योजना की बढ़ती हुई लोकप्रियता और इसमें सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के बढ़ते हुए विश्वास का परिचायक है। सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से मिली प्रतिसूचना के आधार पर योजना के प्रक्रियागत पक्ष में कई संशोधन किए गए। इससे कवरेज को और आगे बढ़ाने में आनेवाली बाधाओं के दूर होने की आशा है। देश भर में संवर्द्धनशील और विकासपरक प्रयासों को तेज किया गया, ताकि अधिकाधिक संख्या में सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे ऋण गारंटी योजना को एमएसई के लिए ऋण-प्रदायगी के अधिमान्य विकल्प के रूप में देखें। वर्ष के दौरान दावों के निपटान के लिए फास्ट ट्रैक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया गया और यह प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन कर दी गई है। इसी प्रकार, वार्षिक सेवा शुल्क की वसूली को सभी गारंटीकृत लेखों के लिए सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा एक केंद्रीय भुगतान के ज़रिए करते हुए सरलीकृत कर दिया गया है। इससे इस प्रक्रिया में सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के शाखा/अंचल कार्यालयों और सीजीटीएमएसई द्वारा किए जानेवाले भारी काम की मात्रा में कमी आई है।

एमएसएमई पर प्रधानमंत्री के कार्य-दल और ऋण गारंटी योजना पर भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य-समूह की रिपोर्ट, दोनों में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन से एमएसएमई क्षेत्र की संवृद्धि और विकास पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, ऋण-प्रदायगी की प्रक्रिया सुधरेगी और इससे उपेक्षित लोगों का समावेशन बड़े पैमाने

CGTMSE will be completing ten years of service to the Micro and Small Enterprises (MSE) sector in July 2010. From 9 Member Lending Institutions (MLIs) with credit guarantee approvals of 951 proposals for Rs.6 crore in FY2001, the number of MLIs has gone up to 111 and coverage to over 1.50 lakh proposals for Rs.6875 crore in FY2010. Cumulatively, as at March 31, 2010 the number of guarantee approvals was 3,00,105 for Rs.11,559 crore.

In the initial years, the coverage was low but over time it has picked up traction with MLIs now fixing internal annual targets for coverage under Credit Guarantee Scheme. MLIs are now comfortable with the guarantee mechanism and there is a general acceptance about the relevance of the guarantee scheme and the potential it holds for creating greater value for both the MLIs as well as MSEs. The journey from July 2000 till date has been full of excitement, challenges and opportunities. CGTMSE has crossed several milestones on the way and is set to surpass more in the years ahead.

FY2010 was a memorable year for CGTMSE for several reasons. At the operational level, the coverage during the year was higher than the cumulative coverage during the first nine years of operations. Compared with the performance during previous financial year, the growth was 182% and 213% in terms of number of proposals and amount respectively. Clearly a sign of the growing popularity of the scheme and growing confidence of MLIs in the credit guarantee mechanism. Several modifications were made in the procedural aspects of the scheme based on feedback from the MLIs which would hopefully remove the roadblocks to

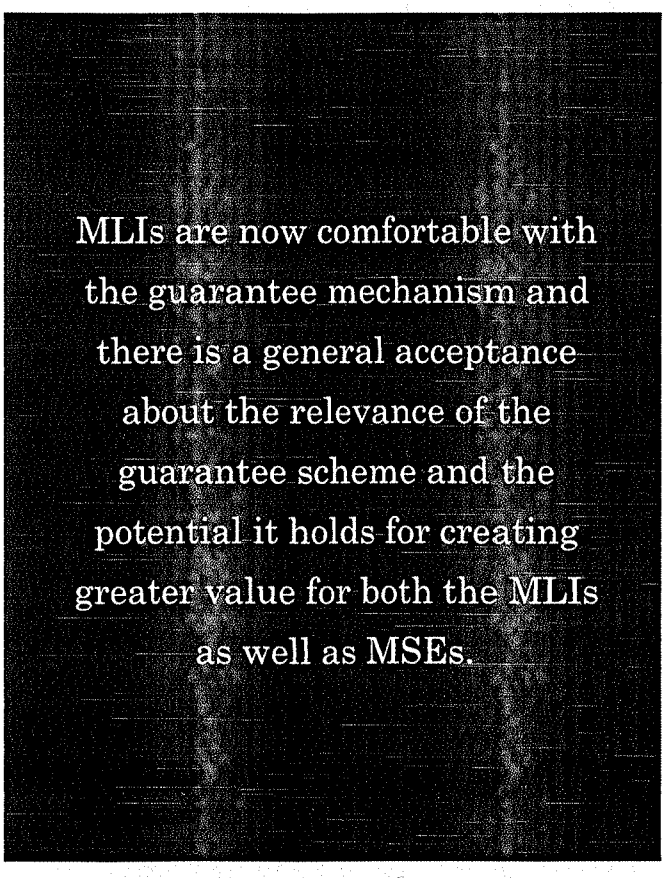

increasing the coverage further. The promotional and development efforts were intensified across the country with a view to encouraging greater number of MLIs to consider Credit Guarantee Scheme as the preferred option for MSE lending. Fast track approach to claim settlement continued to be a focus area during the year and the process has been made fully online. Similarly, the collection of Annual Service Fee has been simplified through a central payment by the MLI concerned for all the guaranteed accounts thus saving huge amount of work involved in the process at the branch / zonal offices of the MLI as well as at CGTMSE.

The recommendations of both the Prime Minister's Task Force for MSMEs and RBI Working Group Report on Credit Guarantee Scheme once implemented will radically impact the growth and development of the MSME sector, improve the credit

पर होगा। ये सिफारिशें दूरदर्शितापूर्ण हैं और संभावना को कार्यरूप में परिणत करेंगी। कार्य-दल की रिपोर्ट में सीजीटीएमएसई से संबंधित मुद्दों को यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा।

देश के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहनेवाले जिन करोड़ों लोगों तक औपचारिक बैंकिंग प्रणाली नहीं पहुँच पाई है, उन तक पहुँचने के लिए बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना भारतीय रिज़र्व बैंक की नीति का मूल बिन्दु रहा है। वित्तीय समावेश की प्रक्रिया को ऋण एवं संबद्ध सेवाएं प्रदान करने के अगले स्तर तक ले जाने के लिए सभी हितधारकों का सहयोग अपेक्षित होगा और इसके लिए ज़रूरी होगा कि ऋण गारंटी योजना समाज के सबसे सुपात्र जनों तक ऋण की उपलब्धता सुलभ कराने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करे। इस राष्ट्रीय प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सीजीटीएमएसई बहुत उपयुक्त स्थिति में है।

भारत पहली बार अगस्त 2010 में एशिया के ऋण गारंटी संगठनों के अधिकारियों के लिए एशियन क्रेडिट सप्लीमेंटेशन इंस्टीट्यूशन्स कन्फेडरेशन (एसीएसआईसी) प्रशिक्षण कार्यक्रम और नवम्बर 2011 में एशिया के ऋण गारंटी संगठनों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के लिए 24वें एसीएसआईसी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सीजीटीएमएसई को इन दोनों कार्यक्रमों के आयोजन का सुअवसर मिला है और यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस संगठन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा का परिचायक है।

सीजीटीएमएसई की टीम बड़ी कृतज्ञता से एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, विश्व बैंक, जीटीजेड से मिली सहायता और सहयोग के प्रति आभार ज्ञापित करती है, जिनके साथ हमें घनिष्ठतापूर्वक जुड़कर काम करने का सुअवसर मिला। साथ ही, देश भर की सभी सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं और एमएसई उद्यमियों को भी हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने ऋण गारंटी योजना कार्यक्रम को सफल बनाया। भविष्य में देश के कोने-कोने में पहुँचते हुए और ऋण गारंटी योजना की अकूत संभावनाओं को कार्यरूप में परिणत करते हुए ऋण गारंटी योजना की प्रदायगी में सुधार पर बल दिया जाएगा।

सादर,

(ओ. एस. विनोद)

मुंबई
08 जुलाई, 2010

delivery process and lead to higher level of inclusion of the underprivileged. The recommendations are visionary and will translate the potential into performance. Issues relating to CGTMSE in the Working Group Report would be implemented at the earliest.

Increasing banking penetration and promoting financial inclusion has been the cornerstone of RBI's policy for reaching out to the millions of people residing in rural and semi-urban areas of the country not covered by the formal banking system. Taking the process of financial inclusion to the next level of providing credit and related services would need the support of all stakeholders and CGS could play an important role in facilitating credit flow to the most deserving sections of society. CGTMSE is well positioned to actively participate in this national endeavor.

For the first time India will be hosting the Asian Credit Supplementation Institutions Confederation (ACSIC) Training programme in August 2010 for officials of Credit Guarantee organizations in Asia followed by the 24th ACSIC Conference in November 2011 for the Chief Executive Officers of Credit Guarantee organisations in Asia. CGTMSE is privileged to be organizing both these events and it is a recognition of the growing stature of the organization internationally.

Team CGTMSE acknowledges with sincere gratitude the unstinted support and cooperation of the Ministry of MSME, Government of India, Reserve Bank of India, Small Industries Development Bank of India, World Bank, GTZ, Member Lending Institutions, MSME Industry Associations and MSE Entrepreneurs across the country for making the Credit Guarantee Scheme a successful programme. Going forward, the thrust would be on improving the delivery of Credit Guarantee Scheme by reaching out to every nook and corner of the country and translating the huge potential for Credit Guarantee Scheme into tangible performance.

With regards,

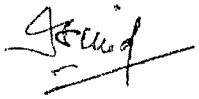

(O. S. Vinod)

Mumbai

July 08, 2010

(यथा 07 जुलाई, 2010)

श्री आर.एम. मल्ला, अध्यक्ष (पदेन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,
मुख्य कार्यालयः "सिडबी टॉवर" 15, अशोक मार्ग, लखनऊ – 226 001.

श्री माधव लाल, भारतीय प्रशासनिक सेवा, उपाध्यक्ष (पदेन)
अतिरिक्त सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई),
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार,
ए विंग, 7वाँ तल, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली – 110 011.

श्री ओ.पी. भट्ट, सदस्य (पदेन)
अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ एवं
अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक,
स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई – 400 021.

श्री ओ.एस. विनोद, सदस्य–सचिव (पदेन)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट,
7वाँ तल, एसएमई विकास केंद्र, सी – 11, जी ब्लॉक,
बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051.

Board of Trustees of CGTMSE

(As on July 07, 2010)

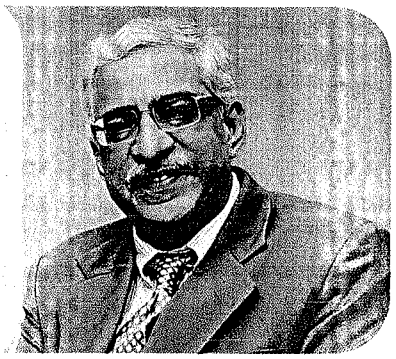

Shri R. M. Malla, Chairman (ex-officio)
Chairman & Managing Director,
Small Industries Development Bank of India,
Head Office: "SIDBI Tower" 15, Ashok Marg,
Lucknow – 226 001.

Shri Madhav Lal, I.A.S, Vice Chairman (ex-officio)
Additional Secretary & Development Commissioner (MSME),
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises,
Government of India,
'A' Wing, 7th Floor, Nirman Bhavan,
Maulana Azad Road, New Delhi - 110 011.

Shri O. P. Bhatt, Member (ex-officio)
Chairman, Indian Banks' Association and
Chairman, State Bank of India, State Bank Bhavan,
Madame Cama Road, Mumbai - 400 021.

Shri O. S. Vinod, Member Secretary (ex-officio)
Chief Executive Officer, Credit Guarantee Fund Trust
for Micro and Small Enterprises,
7th Floor, MSME Development Centre, C-11, G-Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2009 के 6.7 % की तुलना में वित्तीय वर्ष 2010 में 7.4% की दर से वृद्धि हुई। यह वृद्धि अमेरिका-नीत वैश्विक आर्थिक मंदी से अर्थव्यवस्था के तेजी से उबरने के कारण संभव हो पाई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) ने वित्तीय वर्ष 2010 में गति पकड़ी और यह 2009 की अधिकांश अवधि में नकारात्मक बना रहने के बाद गति पकड़ते हुए दिसंबर 2009 में 20 वर्ष के सर्वाधिक स्तर 17.7% पर पहुँच गया। समग्र रूप से 2009-10 में आईआईपी 9.3% बढ़ा, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह वृद्धि 3.9% थी। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सतोषजनक वृद्धि हुई, जिसमें खनन और उत्खनन में 10.6%, विनिर्माण में 10.8%, बिजली में 6.5% और निर्माण क्षेत्र में 6.5% की वृद्धि हुई। किन्तु सेवा क्षेत्र की वृद्धि 8.5% रही जो वित्तीय वर्ष 2009 में प्राप्त की गई 9.8% की वृद्धि से कम थी, जबकि कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कुल उत्पादन में वित्तीय वर्ष 2009 के 1.6% की तुलना में 0.2% की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण मानसून की कमी और देश के कई हिस्सों में बाढ़ का आना रहा।

वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान भारतीय निर्यात और आयात में डॉलर की दृष्टि से क्रमशः 4.7% और 8.2% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज़ हुई। किन्तु चूंकि भारत में विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार था, इसलिए निर्यात और आगत पूँजी की मात्रा कम होने के बावजूद, भुगतान संतुलन बनाए रखा जा सका।

सुलभ ब्याज-दर का प्रचलन,मुद्रा-स्फीति पर ऊर्ध्वगामी दबावयुक्त पर्याप्त तरलता वित्तीय वर्ष 2010 की विशेषता रही। थोक विक्रय मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा-स्फीति बढ़कर 9.9% हो गई, जिसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ऊँचा रहा। वैश्विक वित्तीय संकट की प्रतिक्रिया-स्वरूप भारत सरकार द्वारा लागू किए गए मौद्रिक एवं राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों से न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़नेवाले समग्र नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद मिली, बल्कि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में वृद्धि को भी प्रोत्साहन मिला, जिससे अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित गति से सुधार हुआ। माना जा रहा है कि आने वाले समय में मानसून सामान्य रहेगा, जिसके चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक वृद्धि होगी। अर्थव्यवस्था के सामने वृद्धि के घटकों के प्रति सहायताकारी रहते हुए मुद्रा-स्फीति के दबावों को संतुलित करने की चुनौती है।

केंद्रीय बजट 2010-11

- हस्तशिल्प, कालीन, हथकरघा और लघु एवं मध्यम उद्यमों के निर्यात पर वर्तमान में मिलनेवाले ब्याज संबंधी 2 प्रतिशत सरकारी अनुदान को एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जाना।
- प्रधान मंत्री द्वारा गठित उच्च-स्तरीय कार्य-दल की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों की उच्च-स्तरीय परिषद की स्थापना।
- सूक्ष्म-वित्त विकास हेतु समूह निधि एवं इक्विटी निधि को 2010-11 में दुगना करके 400 करोड़ रुपये किया जाना।
- 2000 से अधिक आबादी वाली बस्तियों में मार्च, 2012 तक समुचित बैंकिंग सुविधाएं प्रदान किया जाना।
- बिजनेस करेस्पॉन्डेंस मॉडल का इस्तेमाल करते हुए बीमा एवं अन्य सेवाएं प्रदान किया जाना। इस व्यवस्था के ज़रिए 60,000 बस्तियों को कवर करने का प्रस्ताव है।
- वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि, दोनों में सौ-सौ करोड़ रुपये का और योगदान, जो भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और नाबार्ड द्वारा किया जाएगा।
- खातों की अनिवार्य लेखा-परीक्षा के लिए टर्नओवर की सीमा बढ़ाकर कारोबार के मामले में 60 लाख रुपये और प्रोफेशन के मामले में 15 लाख रुपये की गई।
- लघु व्यवसायों के प्रकल्पित कराधान के उद्देश्य से टर्नओवर की सीमा बढ़ाकर 60 लाख रुपये की गई।
- न्यूनतन वैकल्पिक कर (एमएटी) की दर बही-लाभ के मौजूदा 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत की गई।
- रोडियम (गहने पॉलिश करने में प्रयुक्त धातु), स्वर्ण-अयस्क, माइक्रोवेव अवनों के उत्पादन में प्रयुक्त मुख्य पुर्जों, पीपलामूल, हींग, घरेलू किस्म के पानी-फिल्टर में प्रयुक्त परिवर्तनीय किट-आरओ से इतर, नालीदार डिब्बे या कार्टन, लेटेक्स रबड़ आदि पर बुनियादी सीमा-शुल्क में कमी।

भारतीय रिज़र्व बैंक के मौद्रिक नीति-वक्तव्य 2010-11 में घोषित उपाय

- रेपो दर और रिवर्स रेपो दर 25 आधार बिन्दुओं की वृद्धि के फलस्वरूप क्रमशः 5.25% और 3.75%
- सीआरआर 25 आधार बिन्दुओं की वृद्धि के फलस्वरूप 6%
- जैसाकि न्यूनतम प्राथमिक उधार दर (पीएलआर) प्रणाली- कार्यदल ने सुझाव दिया था, बैंकों को यह अधिदेश देने का निर्णय किया गया कि वे 01 जुलाई 2010 से आधार दर प्रणाली अपनाएँ।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की ऋण गारंटी योजना पर गठित कार्य-दल (अध्यक्षः श्री वी. के. शर्मा) की सिफारिश के मद्देनज़र बैंकों को अधिदेश दिया जाना प्रस्तावित कि वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र की सभी इकाइयों को प्रदत्त 10 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर न दें। वर्तमान में यह सीमा 5 लाख रुपये है।

The Indian economy grew by 7.4% in FY 2010 as compared to 6.7% during FY 2009. The increase has been possible due the quick recovery of the economy from the US led global economic slow down. The Index of Industrial Production (IIP) picked up pace in FY 2010 and rose to a 20 year high of 17.7% in December 2009 after staying negative through most of 2009. Overall, IIP expanded 9.3% in 2009-10 as against 3.9% growth in previous financial year. There was satisfactory growth in all sectors of the economy with mining and quarrying growing at 10.6%, manufacturing by 10.8%, electricity by 6.5% and construction sector by 6.5%. However, the service sector growth at 8.5% was lower than 9.8% achieved in FY 2009 while agriculture and allied sector output declined to 0.2% vis-a-vis 1.6% in FY2009 mainly due to unsatisfactory monsoon and floods in several parts of the country.

Indian exports and imports registered negative growth of 4.7% and 8.2% respectively in dollar terms during FY 2010. However, India's comfortable foreign exchange reserves helped to manage the balance of payment notwithstanding the lower exports and capital inflows.

FY 2010 was characterised by soft interest rate regime, ample liquidity with upward pressure on inflation. The inflation as measured by whole sale price index increased to 9.9% of which consumer price inflation remained high. The monetary and fiscal stimulus measures introduced by the Government of India as a response to the global financial crisis helped not only to reduce the overall negative impact on the Indian economy as also to stimulate growth in important sectors leading to a quicker than anticipated turnaround. The growth outlook for the Indian economy in the near term is positive assuming a normal monsoon. The challenges before the economy is to balance inflationary pressures while maintaining supportive of growth factors.

Union Budget 2010-11

- Extension of existing interest subvention of 2 per cent for one more year for exports covering handicrafts, carpets, handlooms and small and medium enterprises.
- High Level Council on Micro and Small Enterprises to be set up to monitor the implementation of the recommendations of High-Level Task Force constituted by Prime Minister.
- The corpus for Micro-Finance Development and Equity Fund doubled to Rs.400 crore in 2010-11.
- Appropriate Banking facilities to be provided to habitations having population in excess of 2000 by March, 2012.
- Insurance and other services to be provided using the Business Correspondent model. By this arrangement, it is proposed to cover 60,000 habitations.
- Augmentation of Rs.100 crore each for the Financial Inclusion Fund (FIF) and the Financial Inclusion Technology Fund, which shall be contributed by Government of India, RBI and NABARD.
- Limits for turnover over which accounts need to be audited enhanced to Rs.60 lakh for businesses and to Rs.15 lakh for professions.
- Limit of turnover for the purpose of presumptive taxation of small businesses enhanced to Rs.60 lakh.
- Rate of Minimum Alternate Tax (MAT) increased from the current rate of 15 per cent to 18 per cent of book profits.
- Reduction in basic custom duty on rhodium (metal used for jewellery polishing), gold ore, key components used in production of microwave ovens, long pepper, asafoetida, replaceable kits used for household type water filter other than RO, corrugated box or cartons, latex rubber etc.

Measures announced in RBI Monetary Policy Statement 2010-11

- Increase in repo rate and reverse repo rate by 25 basis points to 5.25% and 3.75% respectively.
- Increase in CRR by 25 basis points to 6%
- Decided to mandate banks to switch over to the system of Base Rate from July 01, 2010 as suggested by Working Group on benchmark Prime Lending Rate (PLR) system.

- बैंकों से आग्रह किया गया है कि वे एमएसएमई द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए गठित प्रधानमंत्री के उच्च-स्तरीय कार्यदल की सिफारिशों को ध्यान में रखें और एमएसई क्षेत्र, विशेषकर सूक्ष्म उद्यमों को ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। भारतीय रिज़र्व बैंक इस संबंध में बैंकों के कार्यनिष्पादन की निगरानी करेगा। कार्यदल ने बैंकों की कार्यपद्धति पर प्रभाव डालनेवाले कई प्रकार के उपायों जैसे ऋण, विपणन, श्रम, बहिर्गमन नीति, बुनियादी ढाँचे प्रौद्योगिकी कौशल विकास तथा कराधान के संबंध में सिफारिशें कीं। विशेष रूप से दल ने सिफारिश की कि- (i) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रदत्त ऋण में वर्षानुवर्ष 20 प्रतिशत की वृद्धि हासिल करनी चाहिए, ताकि बढ़ी हुई ऋण-उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, (ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रदत्त कुल अग्रिमों में से सूक्ष्म उद्यमों के लिए 60 प्रतिशत के उप-लक्ष्य की प्राप्ति मे रह गई कमी को भी 1 अप्रैल, 2010 से ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य निधि में अंशदान के लिए राशियों के आवंटन के उद्देश्य से हिसाब में लिया जाएगा और (iii) सभी अनुसूचित ग्रामीण बैंकों को सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या की दृष्टि से 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हासिल करनी चाहिए।
- बैंकिंग की पहुँच में वृद्धि करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी और प्राइवेट, दोनों क्षेत्रों के घरेलू वाणिज्य बैंकों को सलाह दी गई कि वे निदेशक मंडल के अनुमोदन से अगले तीन वर्षों में क्रियान्वित की जानेवाली वित्तीय समावेशन योजना तैयार करें, और उसे मार्च 2010 तक भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें।
- राज्य-स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी)/जिला सलाहकारी समितियों के कामकाज की निगरानी के लिए समुचित निगरानी प्रणाली का विकास
- कार्य-दल के विचारणीय विषयों का विस्तार करते हुए उसमें प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्रों (पीएसएलसी) का समावेश किया जाना और बैंकों द्वारा सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं को प्रदत्त ऋण को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण में शामिल करने के परिणामों की समीक्षा को भी शामिल किया जाना।

- Proposed to mandate banks not to insist on collateral security in case of loans upto Rs.10 lakh as against the present limit of Rs.5 lakh extended to all units of the micro and small enterprises (MSEs) sector as recommended by Working Group (Chairman : Shri V. K. Sharma) on Credit Guarantee Scheme of the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE).
- Banks are urged to keep in view the recommendations made by the High Level Prime Minister's Task Force to consider various issues raised by MSMEs and take effective steps to increase the flow of credit to the MSE sector, particularly to micro enterprises. The Reserve Bank will monitor the performance of banks in this regard. The Task Force recommended several measures having a bearing on the functioning of MSMEs, vis. credit, marketing, labour, exit policy, infrastructure / technology / skill development and taxation. In particular, it recommended that :- (i) all scheduled commercial banks should achieve a 20 per cent year-on-year growth in credit to micro and small enterprises to ensure enhanced credit flow; (ii) any shortfall in the achievement of sub-target of 60 per cent for lending to micro enterprises of the total advances granted to the micro and small enterprises, would also be taken into account for the purpose of allocating amounts for contribution to rural infrastructure development fund (RIDF) or any other Fund with other financial institutions as specified by the Reserve Bank, with effect from April 1, 2010; and (iii) all scheduled commercial banks should achieve a 15 per cent annual growth in the number of micro enterprise accounts.
- With a view to increasing banking penetration and promoting financial inclusion, domestic commercial banks, both in the public and private sectors, were advised to put in place a Board approved Financial Inclusion Plan (FIP) in order to roll them out over the next three years and submit the same to the Reserve Bank.
- To put in place an appropriate monitoring mechanism of the working of the State Level Bankers' Committee (SLBC) / District Consultative Committees (DCC).
- To expand the terms of reference of the Working Group on introduction of Priority Sector Lending Certificates (PSLC) to also include review of the pros and cons of inclusion of bank lending to micro-finance institutions (MFIs) under priority sector lending.

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष हेतु
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के कामकाज की रिपोर्ट

भूमिका

1. सीजीटीएमएसई की समूह निधि

1.1 ट्रस्ट की समूह निधि में भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा 4:1 के अनुपात में अंशदान किया जाता है। ट्रस्ट की प्रतिबद्ध समूह निधि 2500 करोड़ रुपए है, जिसका अंशदान भारत सरकार (2000 करोड़ रुपए) तथा सिडबी (500 करोड़ रुपये) द्वारा किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान ट्रस्ट को समूह निधि के प्रति 166.41 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जिसमें भारत सरकार ने 135.91 करोड़ रुपये और सिडबी ने 30.50 करोड़ रुपये का अंशदान किया और इस प्रकार भारत सरकार और सिडबी का अलग-अलग कुल अंशदान क्रमश: 1525.25 करोड़ रुपए तथा 381.31 करोड़ रुपये हो गया। यथा 31 मार्च 2010 को ट्रस्ट की कुल समूह निधि 1906.56 करोड़ रुपये थी, जो कि प्रतिबद्ध समूह निधि का 76.26 प्रतिशत है। समूह निधि में वर्षवार अंशदान का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :

समूह फंड में अंशदान (रुपये करोड़)

वित्तीय वर्ष	भारत सरकार	सिडबी	योग
01	100.00	25.00	125.00
02	100.00	25.00	125.00
03	141.62	35.40	177.02
04	192.00	51.84	243.84
05	211.63	49.07	260.70
06	200.00	50.00	250.00
07	124.00	33.00	157.00
08	198.00	47.50	245.50
09	122.10	34.00	156.10
10	135.91	30.50	166.41
योग	**1525.25**	**381.31**	**1906.56**

1.2 भारत सरकार और सिडबी से कुल 593.44 करोड़ रुपये का अंशदान प्राप्त किया जाना शेष है और आशा है कि यह अगले 2 वर्ष में प्राप्त हो जाएगा। गारंटी अनुमोदनों में तीव्र वृद्धि को देखते हुए यह अनुभव किया जाता है कि समूह निधि में यथासमय उपयुक्त वृद्धि करनी होगी। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

सीजीटीएमएसई समूह फंड

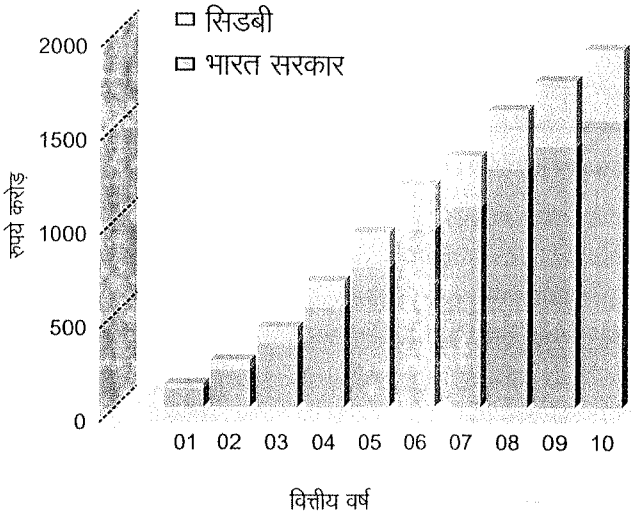

2. सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं

2.1 वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान 30 नई सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं ने ट्रस्ट में पंजीकरण कराया और इस प्रकार यथा 31 मार्च 2010 को पात्र ऋणदात्री संस्थाओं की कुल संख्या 111 हो गई (अनुबंध-)। वर्तमान में 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 16 निजी क्षेत्र के बैंक, 2 विदेशी बैंक, 60 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. (नेडफी), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लि. (टीआईआईसी), दिल्ली वित्तीय निगम (डीएफसी) तथा केरल वित्तीय निगम (केएफसी), ट्रस्ट से गारंटी कवर हेतु प्रात्र हैं। जो 30 नई संस्थाएं जुड़ी हैं, उनमें से 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं – आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, बैतरणी ग्राम्या बैंक बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, दक्कन ग्रामीण बैंक, देना गुजरात ग्रामीण बैंक, इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हदौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हिमाचल ग्रामीण बैंक, कृष्णा ग्रामीण बैंक, लंगपी देहंगी ग्रामीण बैंक, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र गोदावरी ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक, मिजोरम ग्रामीण बैंक मालवा ग्रामीण बैंक, मिजोरम ग्रामीण बैंक, नीलाचल ग्राम्य बैंक, पंडयन ग्राम बैंक, रीवा सिद्धि ग्रामीण बैंक, सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक और सतलज ग्रामीण बैंक और 4 अन्य बैंक/संस्थाएं हैं – स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी यूनियन बैंक, दिल्ली वित्तीय निगम और केरल वित्तीय निगम। ग्रामी और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, ट्रस्ट

Report on the working of the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) for the year ended March 31, 2010

Introduction

1. Corpus Fund of CGTMSE

1.1 The corpus of the Trust is contributed by the Government of India (GoI) and Small Industries Development Bank of India (SIDBI) in the ratio of 4:1. The committed corpus of the Trust is Rs.2,500 crore to be contributed by GoI (Rs.2,000 crore) and SIDBI (Rs.500 crore). During FY 2010, the Trust received Rs.166.41 crore towards corpus of which GoI contributed Rs.135.91 crore while SIDBI provided Rs.30.50 crore to the corpus taking the aggregate amount of individual contributions to Rs.1,525.25 crore and Rs.381.31 crore respectively. As at March 31, 2010, the total corpus of the Trust was Rs.1906.56 crore which formed 76.26% of the committed corpus. The details of year-wise corpus contribution is given in the following table:

Corpus Contribution (Rs. crore)

FY	GoI	SIDBI	Total
01	100.00	25.00	125.00
02	100.00	25.00	125.00
03	141.62	35.40	177.02
04	192.00	51.84	243.84
05	211.63	49.07	260.70
06	200.00	50.00	250.00
07	124.00	33.00	157.00
08	198.00	47.50	245.50
09	122.10	34.00	156.10
10	135.91	30.50	166.41
Total	**1525.25**	**381.31**	**1906.56**

1.2 The balance contribution of Rs.593.44 crore is to be received from GoI and SIDBI and the same is expected to be received in the next two years. With the sharp increase in the guarantee approvals, it is felt that the corpus would have to be suitably augmented in due course. Necessary action in this regard has been initiated.

CGTMSE Corpus

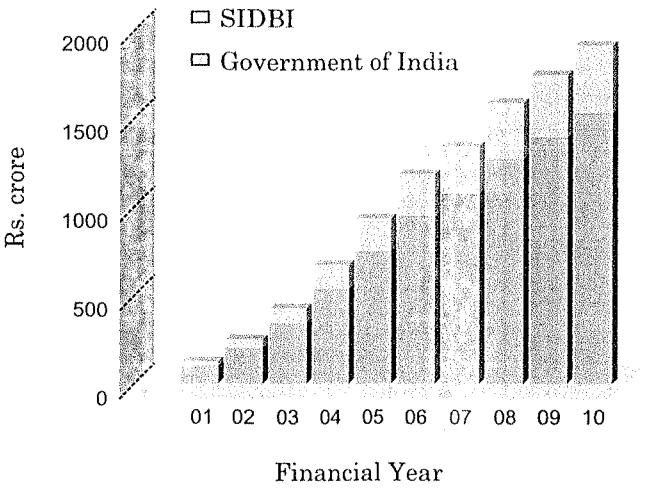

2. Member Lending Institutions

2.1 30 new Member Lending Institutions (MLIs) were registered with the Trust during FY 2010 taking the overall number of eligible lending institutions to 111 as at March 31, 2010 ***(Annexure-I)***. Currently, 27 Public Sector Banks, 16 Private Sector Banks, 2 Foreign Banks, 60 Regional Rural Banks, National Small Industries Corporation Ltd. (NSIC), North Eastern Development Finance Corporation Ltd.(NEDFi), Small Industries Development Bank of India (SIDBI), The Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Ltd. (TIIC), Delhi Financial Corporation (DFC) and Kerala Financial Corporation (KFC) are eligible for guarantee cover from the Trust. Of the 30 new institutions added, 26 are Regional Rural Banks vis., Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank, Baitarani Gramya Bank, Ballia Kshetriya Gramin Bank, Bihar Kshetriya Gramin Bank, Chhattisgarh Gramin Bank, Deccan Gramin Bank, Dena Gujarat Gramin Bank, Etawah Kshetriya Gramin Bank, Hadoti Kshetriya Gramin Bank, Himachal Gramin Bank, Krishna Grameena Bank, Langpi Dehangi Rural Bank, Madhya Bihar Gramin Bank, Maharashtra Godavari Gramin Bank, Malwa Gramin Bank, Mizoram Rural Bank, Neelachal

सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं की संख्या में वृद्धि

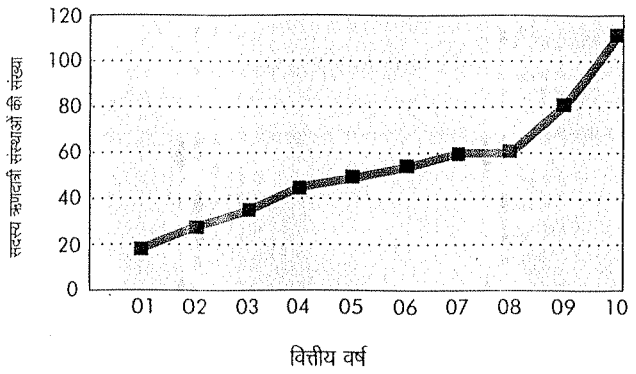

और अधिक वित्तीय संस्थाओं का समावेश कर सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं की सूची को और अधिक व्यापक बनाने की व्यवहार्यता पर विचार कर रहा है।

सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं का संघठन

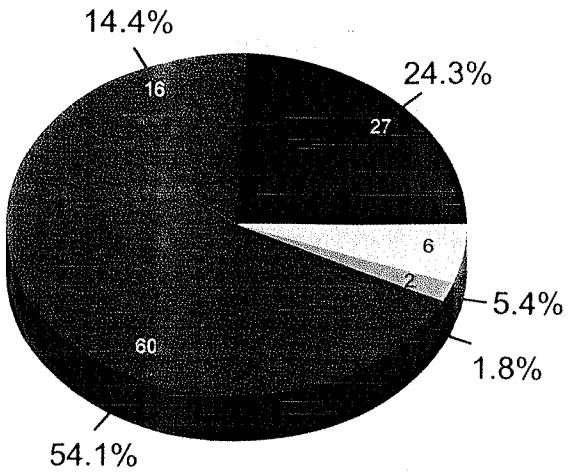

3.ऋण गारंटी योजना में संशोधन

गारंटी सीमा बढ़ाकर 100 लाख रुपये प्रति उधारकर्ता कर दिए जाने तथा सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर ऋण गारंटी योजना में कुछ संशोधन किए गए, ताकि योजना के कतिपय प्रावधानों में अधिक स्पष्टता लाई जा सके। संशोधन में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

क) ऋण सुविधा के संबंध में प्राथमिक प्रतिभूति की परिभाषा को संशोधित करते हुए उसमें इस प्रकार प्रदत्त ऋण सुविधा से सृजित आस्तियों और/ अथवा ऋण सुविधा प्राप्त परियोजना या व्यवसाय से सीधे संबद्ध मौजूदा गैर-भारग्रस्त आस्तियों को शामिल किया गया।

ख) 'गारंटी कवर की अवधि ' में संशोधन किया गया। अब उसका अर्थ होगा गारंटी की आरंभ तिथि से गारंटी कवर की अधिकतम अवधि। यह सावधि ऋण की सहमत अवधि अथवा पाँच वर्ष की अवधि अथवा पाँच वर्ष का ब्लॉक, जहाँ केवल कार्यशील पूंजी सुविधा प्रदान की गई हो, अथवा ऋण समापन की तिथि, जो भी पहले हो, तक चलेगी अथवा उस अवधि तक चलेगी जो न्यास द्वारा निर्दिष्ट की जाए।

ग) योजना के अंतर्गत पात्र ऋण सुविधा के संबंध में संशोधन करते हुए ट्रस्ट को इस बात के लिए सक्षम बनाया गया कि वह 100 लाख रुपये प्रति उधारकर्ता के मौजूदा स्तर को बढाकर ऐसी राशि कर दे, जो कि ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर निर्णीत की जाए।

घ) ऋण गारंटी योजना में एक नया खंड शामिल कर एक से अधिक बैंक और/अथवा वित्तीय संस्था द्वारा संयुक्त रूप से और/अथवा पृथक रूप से पात्र उधारकर्ता को अधिकतम 100 लाख रुपये प्रति उधारकर्ता तक प्रदत्त ऋण सुविधा को कवर करने की अनुमति प्रदान की गई, किंतु यह राशि अलग-अलग सदस्य ऋणदात्री संस्था की उच्चतम सीमा अथवा ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट राशि के अधीन होगी। इस खंड के समावेश के फलस्वरूप ऋण गारंटी योजना के अध्याय 2(vii) के संख्या 5 (VII) पर स्थित उस खंड को विलोपित कर दिया गया, जिसके अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु सिडबी की विशेष योजना के अंतर्गत लागू व्यवस्था को छोड़कर, शेष मामलों में ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को एक से अधिक बैंक अथवा संस्था द्वारा ऋण सुविधा प्रदान किया जाना निषिद्ध था।

ङ) एकबारगी गारंटी शुल्क के भुगतान की अवधि में सशोधन किया गया है। पहले यह भुगतान ऋण सुविधा के प्रथम संवितरण की तारीख से 30 दिन अथवा ट्रस्ट द्वारा गारंटी शुल्क की माँग सूचना की तारीख से 30 दिन, जो भी बाद में हो, के भीतर होना चाहिए था। अब यह ऋण सुविधा के प्रथम संवितरण की तारीख से 30 दिन (कार्यशील पूंजी सुविधाओं हेतु लागू नहीं) अथवा गारंटी शुल्क की मांग सूचना की तारीख से 30 दिन, जो भी बाद में हो, अथवा ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर होना चाहिए।

Growth in Number of MLIs

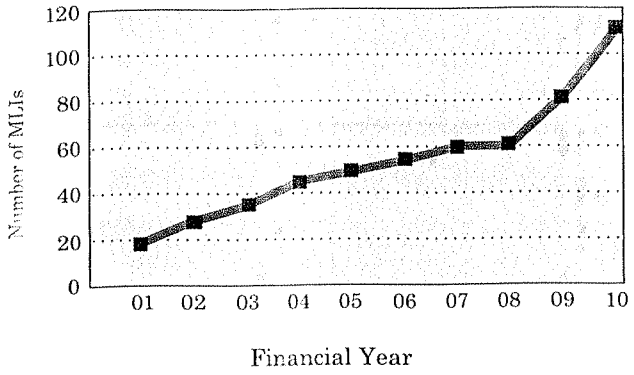

Gramya Bank, Pandyan Grama Bank, Rewa Siddhi Gramin Bank, Sarva UP Gramin Bank, Tripura Gramin Bank, Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Vidharbha Kshetriya Gramin Bank, Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank, Visveshvaraya Grameena Bank and Sutlej Gramin Bank and four other banks / institutions viz., Standard Chartered Bank, City Union Bank, Delhi Financial Corporation and Kerala Financial Corporation. The Trust is examining the feasibility of further broadening the list of MLIs by inclusion of more financial institutions to cater to the MSEs in rural and semi-urban areas.

Composition of MLIs

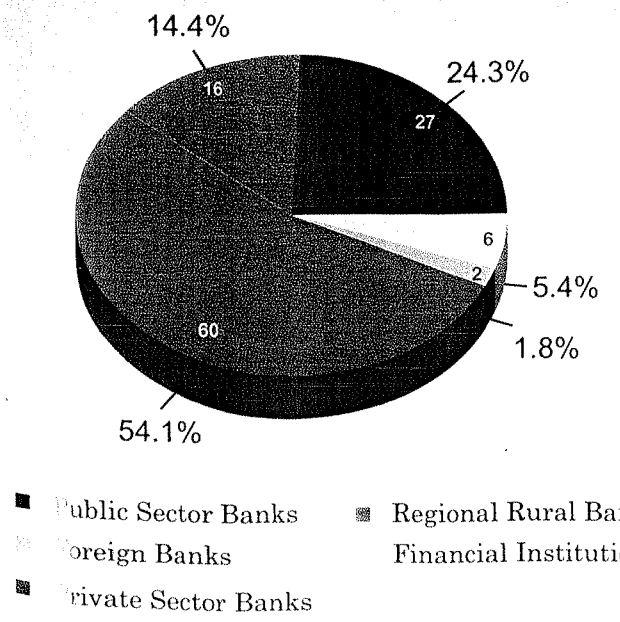

3. Modifications to the Credit Guarantee Scheme

With the increase in the guarantee limit to Rs.100 lakh per borrower and based on feedback received from MLIs, few modifications were carried out in the Credit Guarantee Scheme (CGS) to bring about greater clarity in certain provisions of the scheme. The modifications included the following:

a) The definition of 'primary security' in respect of a credit facility was modified to include the assets created out of the credit facility so extended and / or existing unencumbered assets which are directly associated with the project or business for which the credit facility has been extended.

b) The 'tenure of the guarantee cover' was modified to mean the maximum period of guarantee cover from guarantee start date which shall run through the agreed tenure of the term credit and for a period of 5 years or block of 5 years where working capital facilities alone are extended or loan termination date whichever is early or such period as may be specified by the Trust.

c) Credit facilities eligible under the scheme was modified to enable the Trust to increase the same from the existing Rs.100 lakh per borrower to such amount as may be decided by the Trust from time to time.

d) A new clause was introduced in the CGS to permit coverage of credit facilities extended by more than one bank and / or financial institution jointly and / or separately to eligible borrower upto a maximum of Rs.100 lakh per borrower subject to ceiling amount of individual MLI or such amount as may be specified by the Trust. Consequent to inclusion of this clause, the clause at No.5(VII) of Chapter 2(vii) of CGS which prohibited more than one bank or institution to extend credit facility to Micro and Small Enterprises (MSEs) under CGS except as applicable under a special scheme of SIDBI for North East Region (NER) was deleted.

e) The period for payment of one-time Guarantee Fee was modified from within 30 days from the date of first disbursement of credit facility or 30 days from the date of Demand Advice of Guarantee Fee by the Trust whichever is later to within 30 days from the date of first disbursement of credit facility (not applicable for

च) उक्त योजना के अंतर्गत वार्षिक सेवा शुल्क के भुगतान की व्यवस्था में संशोधन किया गया है। मंजूर ऋण सुविधा पर पहले और अंतिम वर्ष हेतु समानुपातिक आधार पर भुगतान किया जाएगा, जबकि मध्यवर्ती वर्षों के लिए पूरा भुगतान किया जाएगा।

छ) गारंटी लागू करने की अवधि को संशोधित किया गया। यदि एनपीए लॉक इन अवधि के बाद हुआ हो, तो सदस्य ऋणदात्री संस्था को गारंटी लागू करने संबंधी अपने अधिकार का प्रयोग एनपीए होने की तारीख से अधिकतम 1 वर्ष के भीतर करना था, जबकि यदि एनपीए लॉक इन अवधि के भीतर हुआ हो, तो गारंटी लागू करने के अधिकार का प्रयोग लॉक इन अवधि के 1 वर्ष के भीतर करना था।

ज) इसके अतिरिक्त, ट्रस्ट के पास दावा दायर करने से पूर्व विभिन्न प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं पूरी करने हेतु सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को पर्याप्त समय देने के लिए, खासकर उन मामलों में जहाँ एनपीए गारंटी समाप्ति की तारीख के आसपास होता है, संबंधित खंड में संशोधन कर उन सभी दावों का निपटान संभव बनाया गया, जहाँ खाता गारंटी अवधि के दौरान एनपीए हुआ हो।

झ) निपटान दावा प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए, सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को सूचित किया गया कि वे सभी दावे ऑनलाइन दायर करें और किसी तिमाही विशेष में एनपीए के रूप में खाते के वर्गीकृत होने की तारीख अगली तिमाही की समाप्ति तक सूचित करे।

ञ) सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के विभिन्न कार्यालयों द्वारा वार्षिक सेवा शुल्क के भुगतान की मौजूदा प्रक्रिया संशोधित की गई और किसी सदस्य ऋणदात्री संस्था के सभी गारंटीकृत खातों हेतु उस सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा एकल भुगतान किया जाएगा।

4. ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत परिचालन

4.1 31 मार्च 2010 की समाप्ति पर 85 सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं गारंटी कवर प्राप्त कर रही थीं, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 57 सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं ने गारंटी कवर प्राप्त किया। वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान और यथा 31 मार्च 2010 को संचयी रूप से सदस्य ऋणदात्री संस्थावार गारंटी अनुमोदनों का विवरण **अनुबंध–II** में दिया गया है।

4.2 ट्रस्ट की स्थापना से 31 मार्च 2010 तक वर्षवार गारंटी अनुमोदनों का ब्योरा नीचे तालिका में दिया गया है :

वित्तीय वर्ष	सक्रिय सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं की संख्या	अनुमोदित ऋण सुविधाओं की संख्या	अनुमोदित ऋण गारंटियों की राशि (करोड़ रु.)	संचयी रूप से अनुमोदित गारंटिया (करोड रु.)	औसत आकार (लाख रु.)
01	9	951	6.06	6.06	0.63
02	16	2296	29.52	35.58	1.28
03	22	4955	58.67	94.25	1.18
04	29	6603	117.60	211.85	1.78
05	32	8451	267.46	538.62	3.16
06	36	16284	461.91	1000.53	2.83
07	40	27457	704.53	1705.06	2.56
08	47	30285	1055.84	2701.59	3.48
09	57	53708	2199.40	4824.34	4.09
10	**85**	**151387**	**6875.11**	**11,559.61**	**4.54**
संचयी		**300105***		**11,559.61**	**3.85**

*संसोधन/रद्द के मध्यवर्ती कारणों से वास्तविक बदलाव

working capital facilities) or 30 days from the date of Demand Advice of Guarantee Fee whichever is later or such date as specified by the Trust.

f) The payment of Annual Service Fee (ASF) under the scheme was modified to be paid on pro-rata basis for the first and the last year and in full for the intervening years on the credit facility sanctioned.

g) The invocation of guarantee period was modified and MLIs had to exercise the same within a maximum period of one year from the date of NPA, if NPA is after lock-in period or within one year of lock-in period, if NPA is within lock-in period.

h) Further, to provide MLIs sufficient time to fulfill the various procedural requirements before filing claims with the Trust, particularly, in cases where NPA occurs close to the guarantee expiry date, the clause was amended to enable settling of all claims wherein the account had become NPA during the guarantee period.

i) To further improve the claims settlement process, MLIs were advised to file all claims online and to indicate the date of classification of the account as NPA in a particular quarter by the end of the next quarter.

j) The existing procedure for payment of Annual Service Fee (ASF) by different offices of the MLIs was modified and a single payment was to be made by the MLI for all the guaranteed accounts of the MLI.

4. Operations under Credit Guarantee Scheme

4.1 As at end of March 31, 2010, there were 85 MLIs which were availing guarantee cover as against 57 MLIs during the previous financial year. Particulars of MLI-wise guarantee approvals during FY 2010 and cumulatively, as at March 31, 2010 are given in ***Annexure-II***.

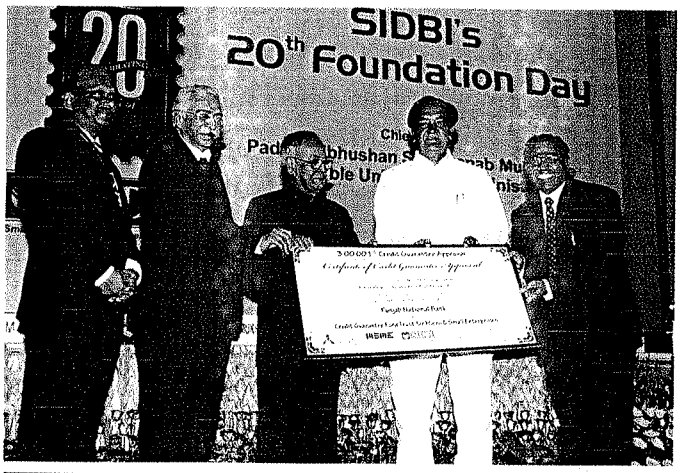

Hon'ble Union Finance Minister releasing the 300001st Guarantee approval at New Delhi

4.2 Table below gives the details of year-wise guarantee approvals from inception till March 31, 2010.

FY	No. of Active MLIs	No. of Credit Facilities Approved	Amount of Guarantees Approved (Rs. crore)	Cumulative Guarantee Approved (Rs. crore)	Average Size (Rs. lakh)
01	9	951	6.06	6.06	0.63
02	16	2296	29.52	35.58	1.28
03	22	4955	58.67	94.25	1.18
04	29	6603	117.60	211.85	1.78
05	32	8451	267.46	538.62	3.16
06	36	16284	461.91	1000.53	2.83
07	40	27457	704.53	1705.06	2.56
08	47	30285	1055.84	2701.59	3.48
09	57	53708	2199.40	4824.34	4.09
10	**85**	**151387**	**6875.11**	**11,559.61**	**4.54**
Cumulative		**300105***		**11,559.61**	**3.85**

*Actuals vary due to intervening Cancellations/Modifications

अनुमोदनों की संख्या (संचयी)

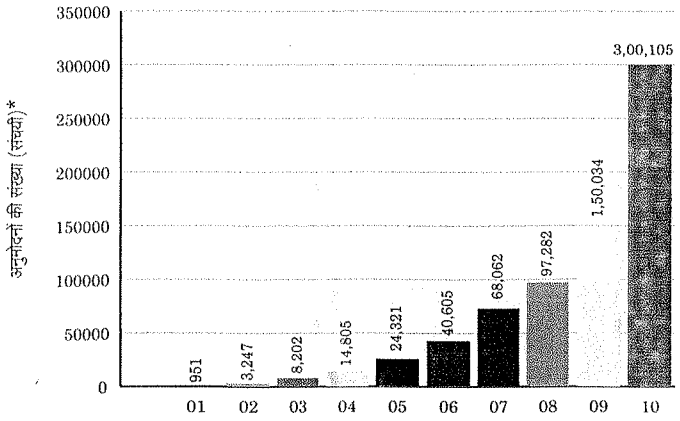

*संसोधन/रद्द के मध्यवर्ती कारणों से वास्तविक बदलाव

4.3 उपर्युक्त तालिका में दिए गए आंकड़ों से देखा जा सकता है कि यद्यपि आरंभ से ही ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत कवरेज में निरंतर वृद्धि हुई है, तथापि वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान जो कवरेज हुआ, वह पिछले 9 वर्ष की उपलब्धियों से अधिक था। वित्तीय वर्ष 2001 में 9 सक्रिय सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं थीं। वित्तीय वर्ष 2010 में यह संख्या 85 तक पहुँच गई है। इसी प्रकार, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान गारंटी अनुमोदनों की संख्या में भी वृद्धि हुई। कवर किए गए खातों की संख्या की दृष्टि से यह वृद्धि 182 प्रतिशत थी, जबकि गारंटीकृत राशि की दृष्टि से यह 213 प्रतिशत थी। संचयी रूप से यथा 31 मार्च 2010 को 3,00,105 खातों को 11,559.61 करोड़ रुपये हेतु गारंटी अनुमोदन प्रदान किया गया। इससे पता चलता है वित्तीय वर्ष 2010 में कवर किए गए खातों की संख्या 1,51,387 थी, जो कि ऋण गारंटी योजना के परिचालन के पहले 9 वर्षों के दौरान कवर किए गए कुल 1,48,718 खातों से अधिक है। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2010 में गारंटी अनुमोदन की राशि 6,875.11 करोड़ रुपए रही, जो कि सीजीटीएमएसई के परिचालनों के पहले 9 वर्षों के संचयी कवरेज 4,684.50 रुपए से अधिक था। योजना के अंतर्गत कवरेज में तीव्र वृद्धि इस तथ्य की सूचक है कि ऋण गारंटी योजना को अब सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं तथा देश की लघु एवं मध्यम उद्यम उधारकर्ता इकाइयों, दोनों के बीच अधिक स्वीकार्यता मिल रही है।

अनुमोदनों की राशियाँ (संचयी)

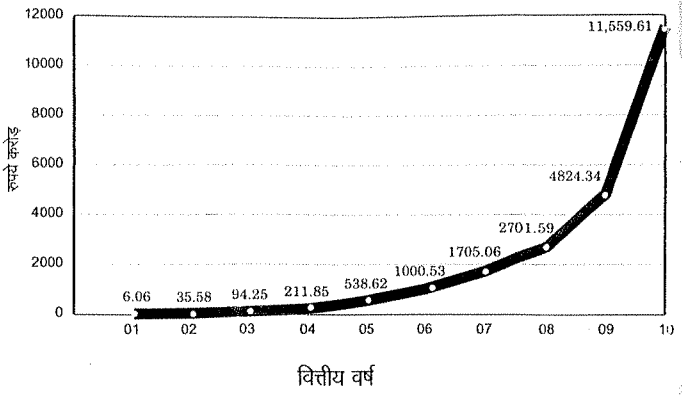

सदस्य ऋणदात्री संस्थावार कवरेज

4.4 वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान, अनुमोदित प्रस्तावो की संख्या की दृष्टि से जो पांच सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं सबसे ऊपर थीं, उनका विवरण अग्रलिखित है। पंजाब नैशनल बैंक पिछले वर्ष चौथे स्थान पर था, अब वह सबसे ऊपर आ गया है और इसने 26,069 प्रस्ताव कवर किए, जबकि वित्तीय वर्ष 2009 में 6,034 प्रस्ताव कवर किए थे और इस प्रकार इनमें 332 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2010 में भी अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा और 23,774 प्रस्ताव कवर किए, जबकि वित्तीय वर्ष 2009 में 9,373 प्रस्ताव कवर किए थे और इस प्रकार इनमें 154 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2010 में बैंक ऑफ इंडिया तीसरे स्थान पर रहा और उसने 20,952 प्रस्ताव कवर किए, जबकि वित्तीय वर्ष 2009 में 9,470 प्रस्ताव कवर किए थे और इस प्रकार इनमें 121 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इलाहाबाद बैंक

सदस्य ऋणदात्री संस्थावार अनुमोदनों (संख्या) (संचयी)

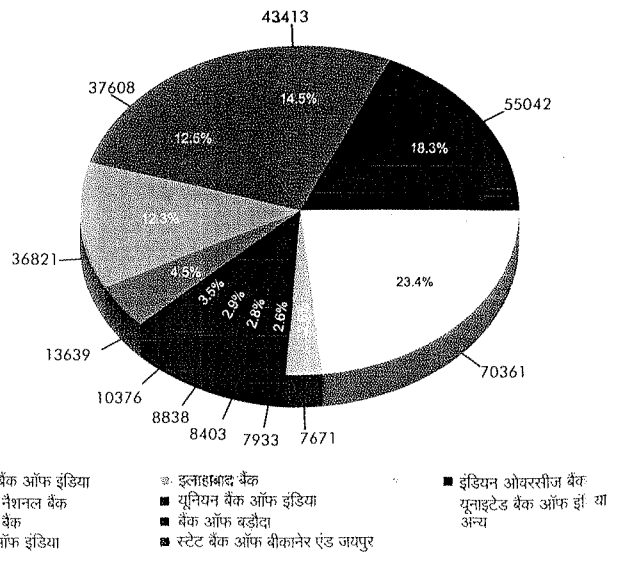

Number of Approvals (Cumulative)

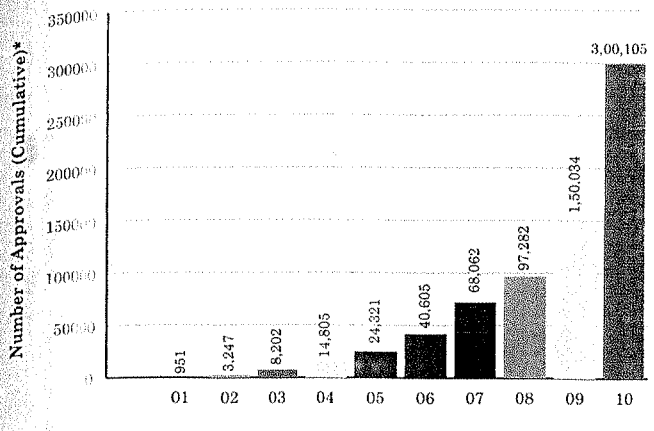

*Actuals vary due to intervening Cancellations/Modifications

4.3 It will be observed from the data given in above table that though there has been a consistent growth in coverage under Credit Guarantee Scheme since inception, the coverage during FY 2010 surpassed the achievement during the past nine years. From only 9 active MLIs in FY 2001, the number of active MLIs has gone upto 85 in FY 2010. Similarly, the number of guarantee approvals during FY 2010 had registered a growth of 182% and 213% in terms of number of accounts covered and amount guaranteed over the previous financial year. Cumulatively, as at March 31, 2010, 3,00,105 accounts have been accorded guarantee approval for Rs.11,559.61 crore indicating that the coverage in FY 2010 of 1,51,387 accounts was higher than the cumulative coverage of 1,48,718 accounts during the first nine years of operations under CGS. Similarly, the amount of guarantee approvals of Rs.6,875.11 crore in FY 2010 exceeded the cumulative coverage of Rs.4,684.50 crore during the first nine years of CGTMSE's operations. The sharp growth in coverage under the scheme is indicative of the fact that the CGS is now finding greater acceptance with both the MLIs and the MSE borrowing units in the country.

Amount of Approvals (Cumulative)

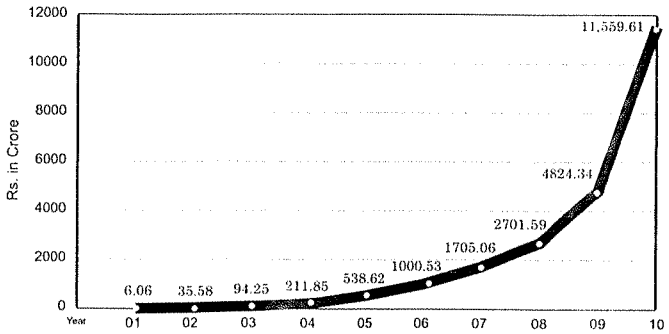

MLI-wise Coverage

4.4 During FY 2010, the top five MLIs in terms of number of proposals approved were Punjab National Bank which moved up to the top from fourth place in previous financial year and covered 26,069 proposals as against 6,034 proposals in FY 2009 registering a growth of 332%. State Bank of India retained its second position during FY 2010 and covered 23,774 proposals vis-à-vis 9,373 proposals in FY 2009 registering a growth of 154%. Bank of India was at the third place in FY 2010 covering 20,952 proposals as against 9,470 proposals in FY 2009 and growing by 121%. Allahabad Bank grew by 283% in FY 2010 with a

MLI wise Approvals (Number) (Cumulative)

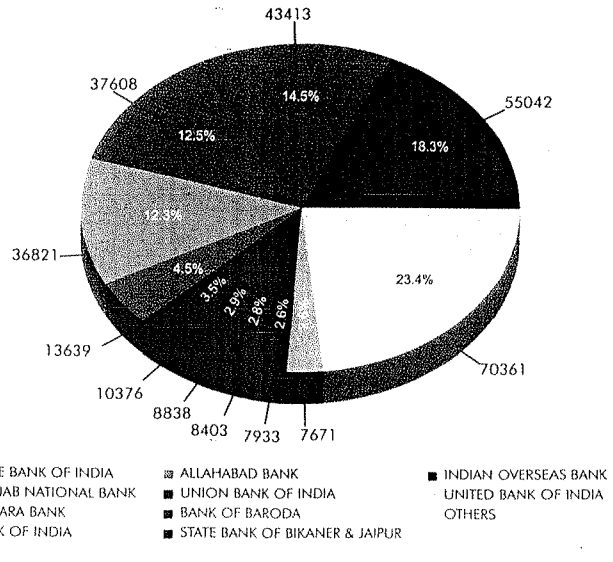

सदस्य ऋणदात्री संस्थावार अनुमोदनों (राशियाँ करोड़ रुपये) (संचयी)

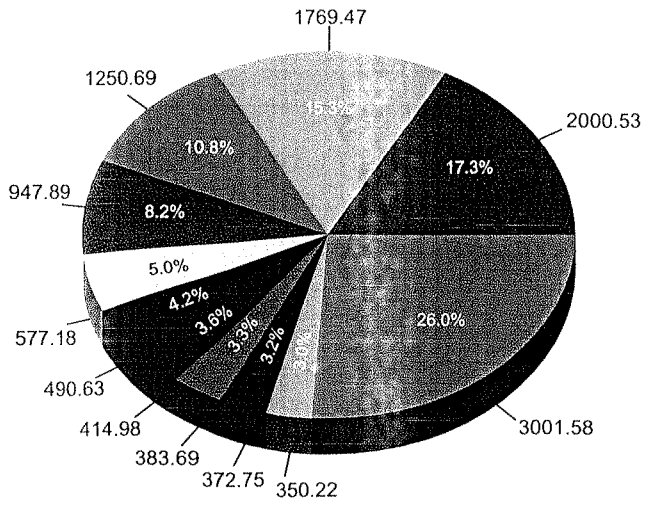

- बैंक ऑफ इंडिया
- बैंक ऑफ बड़ौदा
- इलाहाबाद बैंक
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- सिडबी
- सिंडीकेट बैंक
- पंजाब नैशनल बैंक
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- अन्य
- केनरा बैंक
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

ने वित्तीय वर्ष 2010 में 283 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 9,673 प्रस्ताव कवर किए, जबकि वित्तीय वर्ष 2009 में 2,524 प्रस्ताव कवर किए थे। इलाहाबाद बैंक वित्तीय वर्ष 2010 में चौथे स्थान पर रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2009 में यह पांचवे स्थान पर था। वित्तीय वर्ष 2010 में केनरा बैंक पाँचवे स्थान पर रहा और उसने 8263 प्रस्ताव कवर किए, जबकि पिछले वर्ष 7,960 प्रस्ताव (तीसरा स्थान) कवर किए थे।

4.5 संचयी रूप से यथा 31 मार्च 2010 को सर्वाधिक कवरेज भारतीय स्टेट बैंक का था, जिसने कुल 1769.47 करोड़ रुपए हेतु 55,042 प्रस्ताव कवर किए और सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के बीच अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा। पंजाब नैशनल बैंक ने कुल 1250.69 करोड़ रुपये हेतु 43,413 प्रस्ताव कवर किए और वित्तीय वर्ष 2009 के तीसरे स्थान से वित्तीय वर्ष 2010 के समाप्ति तक दूसरे स्थान पर पहुंच गया। केनरा बैंक वित्तीय वर्ष 2010 में एक स्थान नीचे चला गया और कुल 947.88 करोड़ रुपये हेतु 37,688 प्रस्तावों के कवरेज के साथ तीसरे स्थान पर रहा। बैंक ऑफ इंडिया वित्तीय वर्ष 2010 में भी चौथे स्थान पर बना रहा और उसने कुल 2000.53 करोड़ रुपए हेतु 36,821 प्रस्ताव कवर किए। प्रसंगवश, गारंटीकृत राशि की दृष्टि से बैंक ऑफ इंडिया का कवरेज सभी सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं में सर्वोच्च है। इलाहाबाद बैंक कुल 372.75 करोड़ रुपए हेतु 13,639 प्रस्तावों के संचयी कवरेज के साथ वित्तीय वर्ष 2010 में पांचवे स्थान पर पहुँच गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2009 में यह छठे स्थान पर था।

राज्यवार कवरेज

4.6 राज्यवार वित्तीय वर्ष 2010 का गारंटी कवरेज और यथा 31 मार्च 2010 का संचयी गारंटी कवरेज अनुबंध में दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश एक स्थान ऊपर आकर वित्तीय वर्ष 2010 में पहले स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश के 816.75 करोड़ रुपए हेतु 26,526 प्रस्ताव कवर किए गए, जबकि वित्तीय वर्ष 2009 में 158.52 करोड़ रुपये हेतु 6321 प्रस्ताव कवर किए गए और उसमें 320 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पश्चिम बंगाल, जो कि वित्तीय वर्ष 2009 में 7वें स्थान पर था, वित्तीय वर्ष 2010 में दूसरे स्थान पर पहुँच गया। पश्चिम बंगाल के 676.77 करोड़ रुपए हेतु 21,394 प्रस्ताव कवर किए गए और इसमें 495 प्रतिशत की सर्वाधिक वृद्धि हुई। इसी प्रकार राजस्थान 229 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर वित्तीय वर्ष 2010 में 301.99 करोड़ रुपये हेतु 11,712 प्रस्तावों के कवरेज के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2009 में 3552 प्रस्तावों के कवरेज के साथ वह 8वें स्थान पर था। केरल, जो कि वित्तीय वर्ष 2009 में 6557 प्रस्तावों के साथ शीर्ष पर था, 68 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद चौथे स्थान पर आ गया और कुल 304.17 करोड़ रुपये हेतु उसके 11032 प्रस्ताव कवर हुए। इसी

राज्यवार अनुमोदनों (संख्या) (संचयी)

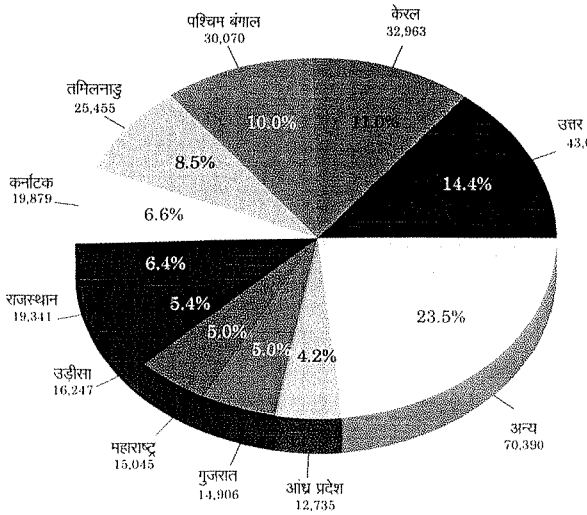

- उत्तर प्रदेश
- कर्नाटक
- गुजरात
- केरल
- राजस्थान
- आंध्र प्रदेश
- पश्चिम बंगाल
- उड़ीसा
- अन्य
- तमिलनाडु
- महाराष्ट्र

MLI wise Approvals (Amount Rs. crore) (Cumulative)

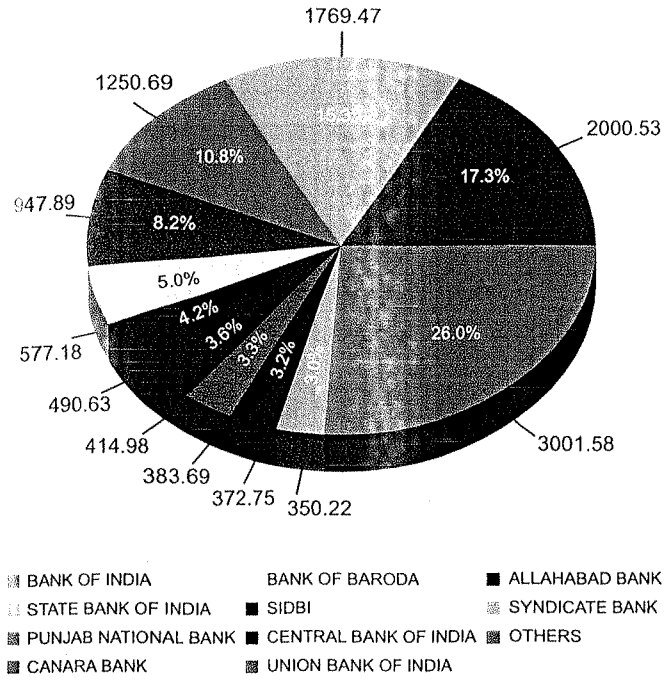

coverage of 9,673 proposals as against 2,524 proposals in FY 2009 and was at the fourth position in FY 2010 as against 5th in FY 2009. Canara Bank was in the fifth position covering 8,263 proposals in FY 2010 as against 7,960 proposals during previous year (3rd position).

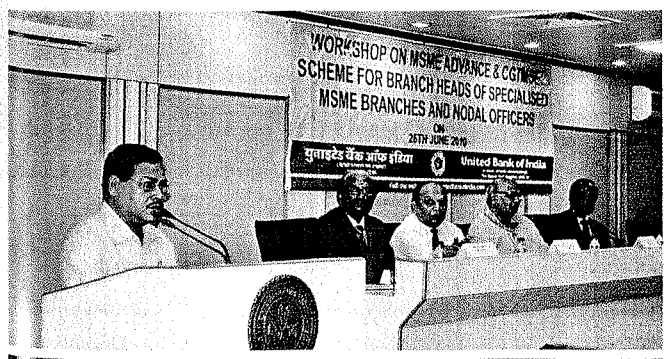

Seminar on CGS with United Bank of India

4.5 Cumulatively, as at March 31, 2010, State Bank of India had the highest coverage at 55,042 proposals for Rs.1,769.47 crore and retained the top position among MLIs. Punjab National Bank with 43,413 proposals for Rs.1,250.69 crore moved from third position in FY 2009 to second position as at end of FY 2010. Canara Bank dropped by one slot and was at the third position in FY 2010 with 37,608 proposals for Rs.947.88 crore. Bank of India remained at the fourth position in FY 2010 also with 36,821 proposals for Rs.2000.53 crore. Incidentally, Bank of India's coverage in terms of amount guaranteed is the highest among all MLIs. Allahabad Bank which was at the sixth position in FY 2009 moved up to 5th position in FY 2010 with cumulative coverage of 13,639 proposals for Rs.372.75 crore.

State-wise Coverage

4.6 State-wise guarantee coverage for FY 2010 and cumulative as on March 31, 2010 are given in **Annexure-III.** Uttar Pradesh moved up by one position and emerged as the State with highest coverage in FY 2010 of 26,526 proposals for Rs.816.75 crore as against 6,321 proposals for Rs.158.52 crore in FY 2009 registering a growth of 320%. West Bengal which was at the 7th position in

State wise Approvals (Number) (Cumulative)

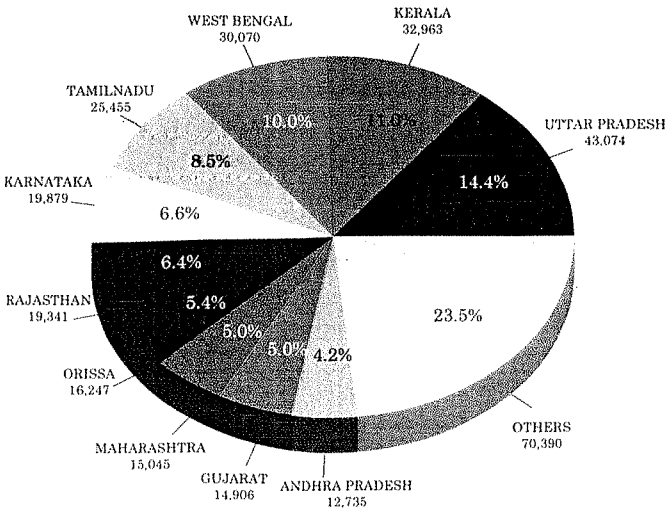

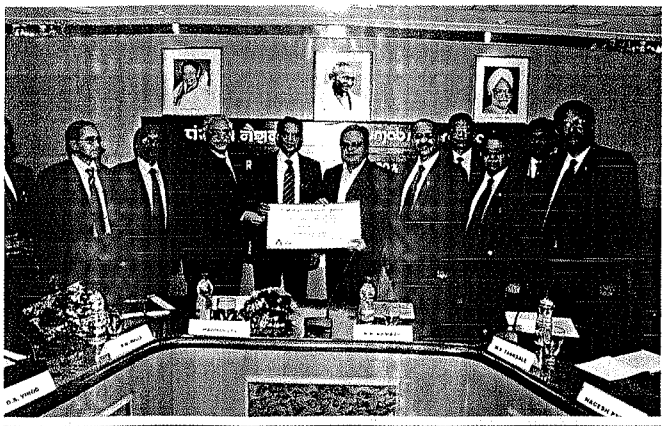

नई दिल्ली में वित्तीय वर्ष 2010 की 1,00,000 वीं गारंटी का विमोचन

प्रकार कर्नाटक भी 128 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने के बावजूद वित्तीय वर्ष 2010 में पांचवे स्थान पर आ गया और कुल 485.89 करोड़ रुपए हेतु उसके 9,176 प्रस्ताव कवर हुए, जबकि वित्तीय वर्ष 2009 में कुल 251.25 करोड़ रुपये हेतु 4020 प्रस्ताव कवर हुए थे।

राज्यवार अनुमोदनों (राशियाँ करोड़ रुपये) (संचयी)

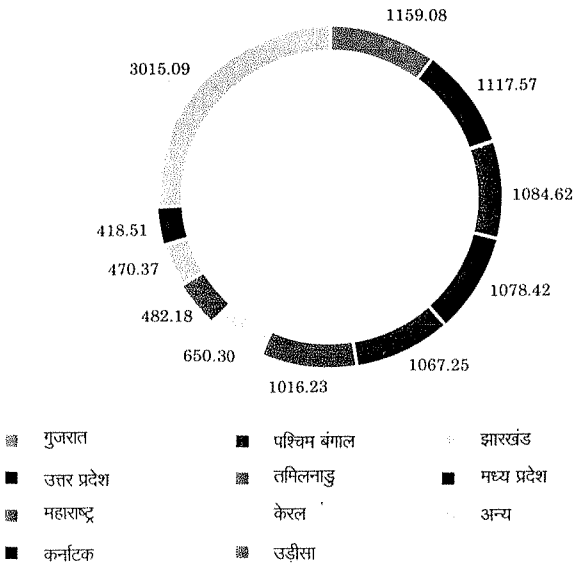

4.7 संचयी रूप से, 31 मार्च 2010 तक सर्वाधिक कवरेज उत्तर प्रदेश (1,117.57 करोड़ रुपए हेतु 43,074 प्रस्ताव) में रहा। उसके बाद केरल (650.29 करोड़ रुपए हेतु 32963 प्रस्ताव), पश्चिम बंगाल (1067.24 करोड़ रुपए हेतु 30,070 प्रस्ताव), तमिलनाडु (1016.22 करोड़ रुपये हेतु 25,455 प्रस्ताव) और कर्नाटक (1078.41 करोड़ रुपये हेतु 19879 प्रस्ताव) का स्थान है।

उद्योगवार कवरेज

4.8 यथा 31 मार्च 2010 को ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत उद्योगवार कवरेज के आँकड़े अनुबंध में दिए गए हैं। उन आकंड़ों से स्पष्ट है कि लगभग 70 प्रतिशत गारंटियाँ 'अन्य' श्रेणी में रखी गई इकाइयों (7,491.55 करोड़ रुपए हेतु 2,08,402 प्रस्ताव) से संबंधित हैं। उसके बाद सेवा (उद्योग संबंधी) (764.21 करोड़ रुपए हेतु 23,895 प्रस्ताव), धातु उत्पाद (505.03 करोड़ रुपए हेतु 13,635 प्रस्ताव), वस्त्र उत्पाद (721.76 करोड़ रुपए हेतु 12,283 प्रस्ताव) और खाद्य उत्पाद (516.99 करोड़ रुपए हेतु 12,034 प्रस्ताव) का स्थान है।

स्तरवार कवरेज

4.9 यथा 31 मार्च 2010 को ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत चरणवार कवरेज के आंकड़े अनुबंध में दिये गए हैं। वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान मंजूर हुए अधिकांश प्रस्ताव छोटे ऋणों से संबंधित थे। 1798.21 करोड़ रुपए हेतु 122943 प्रस्ताव 5 लाख रुपए तक के ऋणों से संबंधित थे, जो कि वित्तीय वर्ष 2010 में अनुमोदित कुल गारंटियों का 81.2 प्रतिशत हैं, जो कि वित्तीय

स्तरवार कवरेज (संचयी)

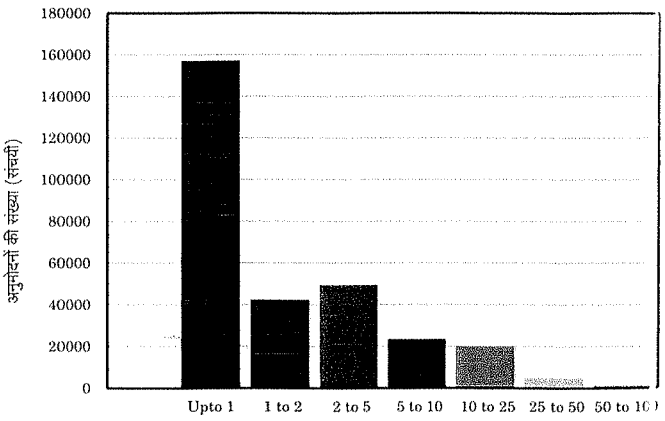

वर्ष 2009(82 प्रतिशत) के लगभग समान है। इस स्तर के भीतर सर्वाधिक वृद्धि 200001 रुपए से 5 लाख रुपए तक के ऋणों से संबंधित थी, जो कि वित्तीय वर्ष 2009 की तुलना में 277 प्रतिशत रही। वित्तीय वर्ष 2010 में 6875.11 करोड़ रुपए हेतु 151387 प्रस्ताव अनुमोदित हुए, जिनमें से 66340 प्रस्ताव (44 प्रतिशत) 1 लाख रुपए तक के ऋण घटक वाले, 26162 प्रस्ताव (17 प्रतिशत) 100001 रुपए से 2 लाख रुपए तक के

FY 2009 moved up to the second position in FY 2010 with a coverage of 21,394 proposals for Rs.676.77 crore registering highest growth of 495%. Similarly, Rajasthan with 11,712 proposals for Rs.301.99 crore in FY 2010 moved up to 3rd position from 8th position in FY 2009 with 3,552 proposals growing by 229%. Kerala which was at the top in FY 2009 with 6,557 proposals moved down to 4th position with 11,032 proposals for Rs.304.17 crore even though it grew by 68%. Similarly, though Karnataka recorded a growth of 128%, it slipped by a place to 5th position in FY 2010 with coverage of 9,176 proposals for Rs.485.89 crore as against 4,020 proposals for Rs.251.25 crore in FY 2009.

State wise Approval (Amount Rs. crore) (Cumulative)

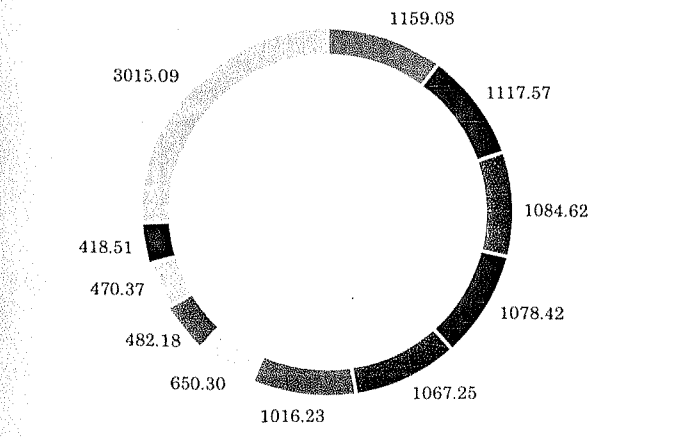

4.7 Cumulatively, upto March 31, 2010, the highest coverage has been in Uttar Pradesh (43,074 proposals for Rs.1,117.57 crore) followed by Kerala (32,963 proposals for Rs.650.29 crore), West Bengal (30,070 proposals for Rs.1,067.24 crore), Tamil Nadu (25,455 proposals for Rs.1,016.22 crore) and Karnataka (19,879 proposals for Rs.1,078.41 crore).

Industry-wise Coverage

4.8 The data on industry-wise coverage under CGS as at March 31, 2010, is given in **Annexure-IV.** It would be seen therefrom that nearly 70% of the guarantees are in respect of units categorized in "Others" (2,08,402 proposals for Rs.7,491.55 crore) followed by Services (Industry-related) with 23,859 proposals for Rs.764.21 crore), Metal Products (13,635 proposals for Rs.505.03 crore), Textile Products (12,283 proposals for Rs.721.76 crore) and Food Products (12,034 proposals for Rs.516.99 crore).

Slab-wise Coverage

4.9 The data on slab-wise coverage under CGS as at March 31, 2010, is given in **Annexure-V.** The majority of proposals approved during FY 2010 was

Slab Wise Coverage (Cumulative)

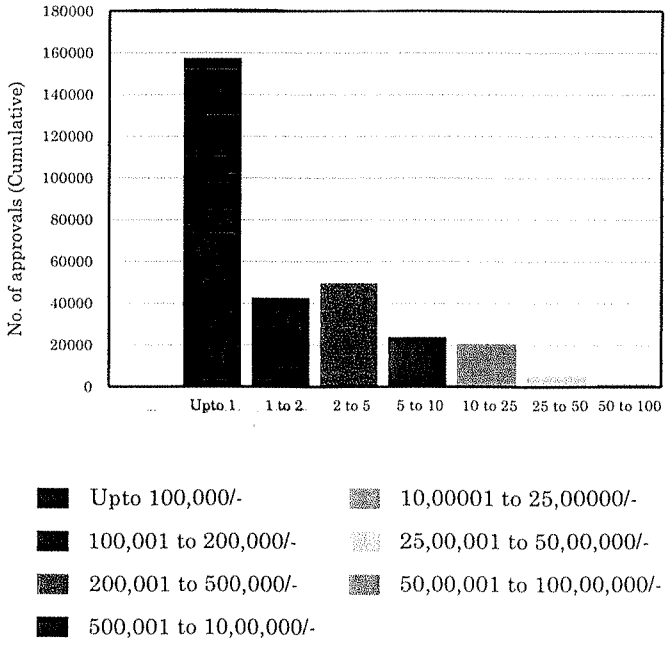

in respect of smaller loans. 1,22,943 proposals for Rs.1,798.21 crore was in respect of loans upto Rs.5 lakh accounting for 81.2% of the total guarantees approved in FY 2010 which was almost the same as in FY2009 (82%). The highest growth within this slab was in respect of loans between Rs.2,00,001 and Rs.5 lakh which registered growth of 277% over FY 2009. Of the 1,51,387 proposals for Rs.6,875.11 crore

ऋण घटक वाले, 30441 प्रस्ताव (20 प्रतिशत) 200001 रुपए से 5 लाख रुपए तक के ऋण घटक वाले, 12971 प्रस्ताव (8.5 प्रतिशत) 500001 रुपए से 10 लाख रुपए तक के ऋण घटक वाले, 5833 प्रस्ताव (3.85 प्रतिशत) 1000001 रुपए से 15 लाख रुपए तक के ऋण घटक वाले, 4983 प्रस्ताव (3.2 प्रतिशत) 1500001 रुपए से 25 लाख रुपए तक के ऋण घटक वाले, 3400 प्रस्ताव (2.2 प्रतिशत) 2500001 रुपए से 50 लाख रुपए तक के ऋण घटक वाले और 1257 प्रस्ताव (0.8 प्रतिशत) 50 लाख रुपए से अधिक तथा 100 लाख रुपए तक के ऋण घटक वाले वर्ग के थे।

कवर किए गए ऋणों का औसत आकार

4.10 यदि उक्त योजना के अंतर्गत आरंभ से ही ऋणों के औसत आकार में वर्षावार वृद्धि देखी जाती है, तो यह वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाएगा। ऋणों का औसत आकार वित्तीय वर्ष 2001 में 0.63 लाख रुपए था और वित्तीय वर्ष 2010 में यह 4.54 लाख रुपए हो गया, जबकि समग्र औसत 3.85 लाख रुपए है।

दावा निपटान

4.11 वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान, 3425.32 लाख रुपए हेतु 1722 दावों का निपटान किया गया, जिससे 31 मार्च 2010 तक निपटाए गए दावों की संचयी संख्या 2506 हो गई, जो 5302.37 लाख रुपए हेतु थे। प्रक्रिया सुधार के एक भाग के रूप में, दावा निपटान प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया और कार्रवाई में लगने वाले समय में और सुधार किया गया। सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा दावा सभी मामले में दायर करने की समय सीमा में संशोधन किया गया। यदि एनपीए लॉक इन अवधि के बाद हुआ हो, तो एनपीए की तारीख से अधिकतम एक वर्ष के भीतर और यदि एनपीए लॉक इन अवधि के भीतर हुआ हो, तो लॉक इन अवधि के बाद एक वर्ष के भीतर दावा दायर किया जाना है। इस संशोधन के परिणामी तौर पर, सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को उन सभी मामलों में दावा दायर करने के लिए 31 जनवरी 2010 तक का समय दिया गया, जिनमें खाते परिपत्र जारी होने की तारीख से पहले एनपीए हो चुके हों और दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा निकल गई हो। कुछ सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के अनुरोध पर इस अवधि को एक बार फिर 28 फरवरी 2010 तक के लिए बढ़ाया गया। इसके फलस्वरूप दावा निपटान के संबंध में वित्तीय वर्ष 2009 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2010 में निपटाए गए दावों की संख्या की दृष्टि से 526 प्रतिशत वृद्धि हुई और निपटान राशि की दृष्टि से 309 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

4.12 शीर्ष पाँच सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं और राज्यों के संबंध में यथा 31 मार्च, 2010 को निपटाए गए संचयी दावे नीचे तालिका में दिए गए हैं। कुल निपटाए गए दावों से यह पता चलता है कि पाँच सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के 67.8% तथा शीर्ष पाँच राज्यों के 72% है।

(लाख रु.)

क्रम सं.	सदस्य ऋणदात्री संस्था	सं.	राशि	कुल का प्रतिशत	
				सं.	राशि
1.	केनरा बैंक	867	1080.86	34.5	20.4
2.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	313	380.04	12.5	7.1
3.	बैंक ऑफ इंडिया	215	548.10	8.6	10.3
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	150	432.57	5.9	8.1
5.	देना बैंक	159	202.70	6.3	3.8
	उप-जोड	**1704**	**2644.27**	**67.8**	**49.7**
	योग	**2506**	**5302.37**	**100**	**100**

(लाख रु.)

क्रम सं.	राज्य	सं.	राशि	कुल निपटाए गए दावों का कितने प्रतिशत	
				सं.	राशि
1.	केरल	864	923.13	34.4	17.4
2.	उत्तर प्रदेश	347	412.32	13.8	7.7
3.	कर्नाटक	252	636.37	10.05	12.0
4.	मध्य प्रदेश	187	348.13	7.4	6.5
5.	तामिलनाडु	159	534.52	6.3	10.0
	उप-जोड	**1809**	**2854.47**	**71.9**	**53.6**
	अखिल भारतीय योग	**2506**	**5302.37**	**100**	**100**

approved in FY 2010, 66,340 proposals (44%) pertained to category having credit component upto Rs.1 lakh; 26,162 proposals (17%) having credit component in the range of Rs.1,00,001 to Rs.2 lakh; 30,441 proposals (20%) in the range of Rs.2,00,001 to Rs.5 lakh; 12,971 proposals (8.5%) in the range of Rs.5,00,001 to Rs.10 lakh; 5,833 proposals (3.85%) in the range of Rs.10,00,001 to Rs.15 lakh; 4,983 proposals (3.2%) in the range of Rs.15,00,001 to Rs.25 lakh; 3,400 proposals (2.2%) in the range of Rs.25,00,001 to Rs.50 lakh; and 1,257 proposals (0.8%) in the above Rs.50 lakh to Rs.100 lakh category.

Average size of loans covered

4.10 If the year-wise growth in average size of loans covered under the scheme since inception is seen, it would indicate a growth trend. From Rs.0.63 lakh in FY 2001, it went upto Rs.4.54 lakh in FY 2010 with the overall average being Rs.3.85 lakh.

Claim Settlement

4.11 During FY 2010, 1722 claims for Rs.3425.32 lakh were settled taking the cumulative number of claims settled upto March 31, 2010 to 2506 for Rs.5302.37 lakh. As part of process improvement, the claim settlement procedure was made fully online and the response time has been further improved. Consequent to the modification in time limit for lodgement of claims by MLIs to a maximum of one year from date of NPA, if NPA is after lock-in period or within one year after lock-in period, if NPA is within lock-in period, the MLIs were provided time upto January 31, 2010, to file claims in all cases where accounts had become NPA before date of issue of the circular and MLIs had exceeded the time period for submission of claims. This period was further extended upto February 28, 2010, at the request of few MLIs. As a result, the trend in claims settlement during FY 2010 indicates 526% growth over FY 2009 in terms of number of claims settled and 309% over FY 2009 in terms of amount settled.

4.12 The cumulative claims settled as at March 31, 2010 in respect of top 5 MLIs and States are given in tables below. It will be seen therefrom that the top 5 MLIs accounted for 67.8% while the top 5 States accounted for 72% of the total claims settled.

(Rs. lakh)

S No.	MLI	No.	Amount	% to total	
				No.	Amount
1.	Canara Bank	867	1080.86	34.5	20.4
2.	Union Bank of India	313	380.04	12.5	7.1
3.	Bank of India	215	548.10	8.6	10.3
4.	State Bank of India	150	432.57	5.9	8.1
5.	Dena Bank	159	202.70	6.3	3.8
	Sub-Total	**1704**	**2644.27**	**67.8**	**49.7**
	Total	**2506**	**5302.37**	**100**	**100**

(Rs. lakh)

S No.	State	No.	Amount	% to total claims settled	
				No.	Amount
1.	Kerala	864	923.13	34.4	17.4
2.	Uttar Pardesh	347	412.32	13.8	7.7
3.	Karnataka	252	636.37	10.05	12.0
4.	Madhya Pradesh	187	348.13	7.4	6.5
5.	Tamil Nadu	159	534.52	6.3	10.0
	Sub-Total	**1809**	**2854.47**	**71.9**	**53.6**
	All India Total	**2506**	**5302.37**	**100**	**100**

5.विकास आयुक्त (हस्त शिल्प) का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से अग्रिम निधियाँ

सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा हस्तशिल्प क्षेत्र के कारीगरों को प्रदत्त ऋणों के लिए गारंटी शुल्क और वार्षिक सेवा शुल्क की पूर्ति हेतु विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) ने अप्रैल 2009 में 2.80 करोड़ रुपए की अग्रिम निधियाँ सीजीटीएमएसई को दी हैं। विकास आयुक्त (हस्त शिल्प) ने इसी प्रयोजन से अगले तीन वर्ष तक 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष देने की वचनबद्धता की है। उक्त सुविधा की बढ़ती हुई जागरूकता के साथ, अधिक ऋणदात्री संस्थाओं ने गारंटी शुल्क के भुगतान के लिए उक्त निधियों का उपयोग आरंभ कर दिया है और विकास आयुक्त (हस्त शिल्प) के कार्यालय द्वारा की गई इस पहल से देश भर के कारीगरों को काफी लाभ हुआ है, जिनकी ऋण तक पहुंच अब आसान हो गई है। कारीगर कार्यक्रम के अंतर्गत कवरेज में और सुधार करने के लिए देश के महत्वपूर्ण उद्योग समूहों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों में, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) की वित्तीय सहायता से, सुग्राहीकरण विभिन्न कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित किए गए। वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जिला स्तर पर तथा विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय द्वारा कारीगर उद्योग समूह के रूप में देश भर में चिन्हित 48 उद्योग समूहों में, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) की वित्तीय सहायता से, अधिक मात्रा में सुग्राहीकरण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है। आशा है कि इन अभियानों से शिल्पकारों को कवर करने की गति तीव्र होगी।

6. जोखिम भागीदारी सुविधा

जोखिम भागीदारी सुविधा 25 करोड़ रुपये की समूह निधि से सुकर बनाई गई थी। यह निधि विश्व बैंक द्वारा सिडबी को प्रदत्त ऋण-व्यवस्था में से सिडबी द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। यह सुविधा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को दिए गए 50 लाख से अधिक और 100 लाख रुपये तक के गारंटी संपार्श्विक रहित ऋणों हेतु प्रायोगिक परियोजना थी, जबकि उस समय प्रचलित गारंटी की उच्चतम सीमा 50 लाख रुपए प्रति उधारकर्ता थी। जोखिम भागीदारी सुविधा के अंतर्गत, सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र की इकाइयों को प्रदत्त 50 लाख रुपए और 100 लाख रुपए के बीच के संपार्श्विक रहित ऋण को 50 प्रतिशत तक गारंटी सहायता प्रदान की जाती थी, बशर्ते वे कतिपय शर्तों को पूरा करें। इस आरएसएफ समूह निधि का 1.90 गुणा लाभ उठाते हुए 64 प्रस्तावों को 47.54 करोड़ रुपए गारंटी प्रदान की गई। दिसंबर 2008 में ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत गारंटी की उच्चतम सीमा 100 लाख रुपये कर दिए जाने के साथ ही दिसंबर 2008 से आगे जोखिम भागीदारी सुविधा को जारी नहीं रखा गया। तथापि, एक नई गारंटी योजना तैयार करने हेतु विश्व बैंक के साथ चर्चा की जा रही है, जिसे पहले प्रायोगिक आधार पर परिचालित करने के बाद मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। विश्व बैंक से प्रायोगिक परियोजना हेतु 100 लाख अमरीकी डॉलर आवंटित किए गए।

7. व्यवसाय विकास प्रयास

वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान व्यवसाय विकास प्रयास सदस्य ऋणदात्री संस्था आधार को विस्तृत करने, ऋण गारंटी योजना के विषय में सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के अधिकारियों तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों, दोनों में अधिक जागरूकता पैदा करने, योजना के प्रक्रियात्मक पहलुओं को सरल बनाने और बी2बी संव्यवहार प्रक्रियाओं में सुधार करने पर केंद्रित रहे। देश भर में अधिकाधिक लोगों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से, यह निर्णय किया गया कि निचले स्तरों तक ऋण गारंटी योजना के बारे में जानकारी के प्रसार में सीजीटीएमएसई के प्रयासों में पूरक भूमिका निभाने के लिए विभिन्न राज्यों में विश्वसनीय साझेदार संस्थाओं की सेवाएं ली जाएं। अनुभव सकारात्मक रहा है और प्रस्ताव है कि इस प्रयास को वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान और बड़े पैमाने पर चलाया जाए। ऋण गारंटी योजना की द्विभाषी विवरणपुस्तिकाएं ग्यारह भाषाओं में अनूदित की गईं और संबंधित राज्यों में वितरित की गईं। अग्रणी समाचार पत्रों, चुनिंदा पत्रिकाओं तथा उद्योग संघों के आवधिक प्रकाशनों में विज्ञापन जारी करने हेतु वर्ष के दौरान ऋण गारंटी योजना के बारे में नई रचनाशीलताएं विकसित की गईं। प्रमुख सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के साथ प्रधान कार्यालय स्तर पर और क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर बैठकें की गईं, ताकि ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत कवरेज बढ़ाया जा सके। वर्ष के दौरान, ट्रस्ट के अधिकारियों ने विभिन्न केंद्रों पर राज्य स्तरीय बैंकर समिति/ आरबीआई अधिकारप्राप्त समिति/ सूक्ष्म एवं लघु उद्यमो को ऋण प्रवाह के संबंध में आरबीआई की स्थायी समिति में सहभागिता की।

जापानी विशेषज्ञ के साथ बातचीत

5. Advance funds from Office of Development Commissioner (Handicrafts), [DC(H)] Ministry of Textiles, Government of India.

DC (H) has placed advance funds of Rs.2.80 crore with CGTMSE in April 2009 for meeting the guarantee fee and annual service fee for loans extended by MLIs to artisan in the handicrafts sector. DC (H) has also committed to placing Rs.3 crore every year for the next three years for the same purpose. With the growing awareness of the facility, more MLIs have started utilizing the funds for payment of Guarantee Fee and this initiative taken by the Office of DC (H), has been a great benefit to small artisans across the country, who are now able to easily access loans. In order to further improve the coverage of artisans, several programmes were specially organized for bankers at important clusters in the country and in all states of the North Eastern Region. During FY 2011, it is proposed to conduct large number of sensitisation programmes in North Eastern Region including Sikkim at the district level as well as in 48 clusters across the country identified by the Office of DC (H) as artisan clusters with financial assistance from DC (H). These campaigns are expected to further accelerate the coverage to artisans.

6. Risk Sharing Facility (RSF)

The RSF was facilitated by a corpus of Rs.25 crore provided by SIDBI out of the World Bank Line of Credit to SIDBI. This facility was a pilot project to guarantee collateral free loans above Rs.50 lakh upto Rs.100 lakh to MSEs as against the then prevailing guarantee ceiling of Rs.50 lakh per borrower. Under RSF, collateral free credit between Rs. 50 lakh and Rs.100 lakh extended by MLIs to units in MSE sector were provided guarantee support to the extent of 50% subject to fulfillment of certain conditions. The RSF corpus was leveraged 1.90 times to provide guarantee of Rs.47.54 crore to 64 proposals. With the enhancement in guarantee limit to Rs.100 lakh under CGS in December 2008, the RSF Scheme was not continued beyond December 2008. However, discussions are underway with the World Bank for structuring a new guarantee product to be operated on pilot basis before main streaming the same. World Bank has allocated US$ 10 million for the pilot project.

7. Business Development Initiatives

The focus of business development efforts during FY2010 has been on enlarging the base of Member Lending Institutions (MLIs), creating greater awareness about the Credit Guarantee Scheme both amongst officials of MLIs and MSE entrepreneurs, simplifying procedural aspects of the scheme and improvement in B2B transaction processes. In order to reach out to maximum number of people across the country, it was decided to engage credible partner institutions in different states to supplement the efforts of the Trust in dissemination of information about CGS at the grassroot level. The experience has been positive and it is proposed to further upscale the initiative during FY2011. The bi-lingual brochures on CGS was translated into eleven languages and distributed in respective states. New creatives on CGS were developed during the year for issuing advertisements in leading newspapers, select magazines and periodicals of MSE industry associations. Meetings were organized with major MLIs at various levels both at their Head Offices and Regional Offices to enhance the coverage under CGS. Officers of the Trust participated in State Level Bankers' Committee / RBI Empowered Committee / RBI Standing Committee on credit flow to MSEs, etc at various centres during the year.

Seminar on CGS at Guwahati, Assam

जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में सीजीएस पर संगोष्ठी

8. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु प्रधान मंत्री कार्यदल

माननीय प्रधान मंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की समस्याओं की समीक्षा करने के लिए श्री टी.के.ए. नायर, प्रमुख सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय की अध्यक्षता में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संबंधी कार्यदल का गठन किया था। उक्त कार्यदल ने ऋण, विपणन, मूलभूत ढांचा/प्रौद्योगिकी/कौशल उन्नयन, निकास नीति, श्रम, कराधान, पूर्वोत्तर तथा जम्मू और कश्मीर हेतु विशेष पैकेज संबंधी मुद्दे – इन क्षेत्रों के लिए सात उप–समूह गठित किए थे। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट 30 जनवरी 2010 को भारत सरकार को प्रस्तुत की, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित उपर्युक्त मुद्दों पर अनेक सिफारिशें की गई हैं।

9.सीजीटीएमएसई से संबंधित आरबीआई कार्य समूह की रिपोर्ट

9.1 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रवाह में वृद्धि करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2009–10 के वार्षिक नीति वक्तव्य में यह घोषणा की कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संबंधी स्थायी सलाहकार समिति ऋण गारंटी योजना की समीक्षा करेगी, ताकि इसे अधिक प्रभावी बनाया जा सके। श्री वी.के. शर्मा, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में एक कार्य समूह गठित किया गया। श्री आर.एम. मल्ला, अध्यक्ष, सीजीटीएमएसई भी कार्य समूह सदस्यों मे से एक है।

9.2 कार्य समूह की प्रमुख सिफारिशें अग्रलिखित हैं – सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र को संपार्श्विक रहित ऋणों की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी जाए और यह उन बैंकों के लिए अनिवार्य हो जो ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत संपार्श्विक रहित ऋणों के लिए कवर ले सकते हैं। बैंकों के शाखा स्तर के कर्मचारियों के बीच ऋण गारंटी योजना की प्रमुख विशेषताओं और लाभों की व्यापक जागरूकता पैदा की जाए और ऋण गारंटी योजना के उपयोग संबंधी कार्यनिष्पादन को बैंक के क्षेत्र स्टाफ के मूल्यांकन की एक कसौटी बनाया जाए। एक समान गारंटी शुल्क हो। 1 प्रतिशत प्रति वर्ष की सर्व समावेशी गारंटी शुल्क हो जो कि वर्तमान में प्रभारित की जा रही सम्मिश्र वार्षिक शुल्क के लगभग समान है और महिला उद्यमियों, सूक्ष्म उद्यमों तथा गंगटोक सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र स्थित इकाइयों पर प्रभारित की जाने वाले गारंटी शुल्क को कम करते हुए पुनर्निर्धारित किया जाए। गत्यात्मक रूप से विकसित हो रहे दावों के वितरण के मॉडल के आधार पर प्रत्येक वर्ष प्रभारित किए जाने वाले गारंटी शुल्क की समीक्षा की जाए। सरकार गारंटी शुल्क और ट्रस्ट के निवेशों से आय, दोनों को आयकर से मुक्त करने पर विचार करे। सूक्ष्म उद्यमों को प्रदत्त 10 लाख रुपये तक के संपार्श्विक रहित ऋणों हेतु गारंटी शुल्क का वहन सीजीटीएमएसई द्वारा किया जाए, जो कि इस परंतुक के अधीन हो कि ट्रस्ट गत्यात्मक रूप से विकसित हो रहे दावों के वितरण की मॉडलिंग के आधार पर गारंटी शुल्क को घटा या बढ़ा सकता है। प्रति वर्ष अदा किए गए दावों के आधार पर गारंटी शुल्क प्रभारित करने के लिए उपयुक्त सांख्यिकीय मॉडल विकसित करने की कार्रवाई आरंभ की जाए। सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा के संबंध में चूकग्रस्त राशि के 85 प्रतिशत तक का गारंटी कवर लागू किया जाए। बैंकों से स्वीकार्यता हासिल हो जाने के बाद व्होल टर्नओवर गारंटी की व्यवस्था शुरू की जाए और इसके लिए जरूरी है कि इसकी ओर व्यापक आकर्षण बने तथा यह स्थिर हो। जब कभी भी जरूरत हो भारत सरकार समूह निधि में अंशदान करे। दावा दायर करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को खाते के एनपीए के रूप में वर्गीकृत होने से दो वर्ष की अवधि के भीतर गारंटी लागू करने की अनुमति दी जाए, जबकि वर्तमान में एक वर्ष के भीतर ऐसा किया जा सकता है। ट्रस्ट द्वारा सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को दावे का अंतिम भुगतान वसूली की डिक्री प्राप्त होने के तीन वर्ष बाद की जाए, जबकि वर्तमान प्रक्रिया यह है कि ट्रस्ट द्वारा अंतिम दावे की राशि तब जारी की जाती है जब वसूली की डिक्री कालातीत हो जाती है।

9.3 कार्य समूह की सिफारिशें सीजीटीएमएसई के न्यासी मंडल के विचाराधीन हैं।

10.ऋण गारंटी योजना के परिचालनों का समग्र प्रभाव

यथा 31 मार्च 2010 को परिचालनों के प्रभाव का आकलन अगले पृष्ठ की तालिका में दिया गया है:

8. Prime Minister's Task Force on MSMEs

The Hon'ble Prime Minister had constituted a Task Force on Micro, Small & Medium Enterprises under the Chairmanship of Shri T.K.A. Nair, Principal Secretary, Prime Minister's Office to review the problems of the MSME Sector. The Task Force had set up seven sub-groups in the areas of Credit, Marketing, Infrastructure / Technology / Skill Upgradation, Exit Policy, Labour, Taxation, matters relating to Special Package for North East and Jammu & Kashmir. The Task Force submitted its report to Government of India on January 30, 2010 with a number of recommendations on the above issues concerning MSMEs.

9. Report of RBI's Working Group on CGTMSE

9.1 With a view to increasing the credit flow to MSE Sector, the Reserve Bank of India in the Annual Policy Statement for FY 2009-10, announced that the Standing Advisory Committee on MSMEs would review the CGS so as to make it more effective. A Working Group was constituted under the chairmanship of Shri V. K. Sharma, Executive Director, RBI. Shri R. M. Malla, Chairman, CGTMSE was one of the members of the Working Group.

9.2 The main recommendations of the Working Group are the limit of collateral-free loans to MSE sector be increased from the present level of Rs.5 lakh to Rs.10 lakh and it be mandatory for banks, which, can take cover for collateral free credit facilities under CGS; to create widespread awareness about the key features and benefits of CGS among branch level functionaries of banks and making performance in availing CGS a criterion in the evaluation of the field staff of banks; uniform Guarantee Fee; composite all-in Guarantee Fee of 1% p.a. which is almost the same as the composite Annual Fee now being charged and appropriately realign downwards the Guarantee Fees chargeable to women entrepreneurs, micro enterprises and units located in North East Region, including Sikkim; review each year the Guarantee Fee to be charged on the basis of the model of dynamically evolving distribution of claims; Government to consider exempting both Guarantee Fee and the income on investments of the Trust from Income Tax; Guarantee Fee for collateral – free loans upto Rs.10 lakh to Micro Enterprises be borne / absorbed by the CGTMSE subject to the proviso that the Trust be free to adjust Guarantee Fee both downwards and upwards based on the modeling of the dynamically evolving distribution of claims; initiate action in developing a suitable statistical model for charging Guarantee Fee based on the claims paid out every year; guarantee cover upto 85% of the amount in default be made applicable to credit facilities to Micro Enterprises upto Rs.10 lakh; introduction of Whole Turnover guarantee after gaining acceptability by banks and it needs to attain critical mass of traction and stabilize; Government of India may contribute to the Corpus Fund as and when required; simplification in procedure for filing claims; MLIs may be allowed to invoke guarantee within a period of two years from the date of classification of the account as NPA instead of the present prescription of within one year; final claim be paid by the Trust to the MLIs after three years of obtention of decree of recovery instead of the present procedure of releasing the final claim by the Trust only after the decree of recovery becomes time barred, etc.

9.3 The recommendations of the Working Group are under the consideration of the Board of Trustees of CGTMSE.

10. Overall impact of CGS operations

An assessment of the impact of the operations as at March 31, 2010 is tabled overleaf:

संचयी अनुमोदित गारंटियाँ	
• सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाइयों / सुविधाओं की संख्या	3,00,105
• ऋण राशि (सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा प्रदत्त)	रु. 11,559.61 करोड़
गारंटीकृत इकाइयों का कुल कारोबार	रु. 69185 करोड़
गारंटीकृत इकाइयों द्वारा निर्यात	रु. 2047 करोड़
सृजित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)	17.56 लाख
पंजीकृत सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं की संख्या	111

11 .एसीएसआईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम

एशियन क्रेडिट सप्लीमेंटेशन इंस्टीट्यूशन कॉनफेडरेशन (एसीएसाईसी) संस्थाओं का एक परिसंघ है, जिसका उद्देश्य एशिया की लघु व्यवसाय ऋण पूरक संस्थाओं के बीच सूचना के आदान-प्रदान, चर्चा और कार्मिकों की अदला-बदली के जरिए एशियाई क्षेत्र के देशों में लघु व्यवसाय हेतु ऋण पूरक व्यवस्था के सुदृढ़ विकास को बढ़ावा देना है। वर्ष 2008 में सीजीटीएमएसई को एसीएसआईसी सम्मेलन का पूर्ण सदस्य बनाया गया। ताइपेइ, ताइवान में 9-13 नवंबर 2009 में हुए 22वें एसीएसआईसी सम्मेलन में एसीएसआईसी ने भारत के लिए 20 वाँ एसीएसआईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम अगस्त 2010 में तथा 24वां एसीएसआईसी सम्मेलन नवंबर 2011 में आयोजित करने का संकल्प अंगीकृत किया था। अपने न्यासी बोर्ड के अनुमोदन के बाद सीजीटीएमएसई ने 20 वाँ एसीएसआईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम अगस्त 2010 में मुंबई में तथा 24वां एसीएसआईसी सम्मेलन नवंबर 2011 में गोवा में आयोजित करने हेतु अपनी संस्वीकृति की सूचना दे दी।

12. लेखापरीक्षक

12.1 मै. रे एंड रे, मुंबई को वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु सीजीटीएमएसई का आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है। लेखापरीक्षकों ने ट्रस्ट के सभी परिचालनों का विस्तृत समीक्षा किया है।

22वां एसीसएसआईसी सम्मेलन, ताईवान

12.2 जैसी कि भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने सिफारिश की है, बोर्ड ने सनदी लेखाकारों की एक फर्म - मै. डी.सी. बोथरा एंड कं., मुंबई को वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु सीजीटीएमएसई का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है।

13. सीजीटीएमएसई को कर से छूट

तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा 28 फरवरी 2002 को प्रस्तुत और संसद द्वारा पारित वित्त विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 की उप धारा 23 ईबी के अंतर्गत सीजीटीएमएसई की आय को वित्तीय वर्ष 2001-02 (निर्धारण वर्ष 2002-03) से 5 वर्ष की अवधि के लिए कर भुगतान से छूट दी गई। कर से छूट वित्तीय वर्ष 2005-06 में समाप्त हो गई और उसे आगे नहीं बढ़ाया गया है। निर्धारण वर्ष 2008-09 से संबंधित पिछले वर्ष सीजीटीएमएसई ने उक्त अधिनियम की धारा 11 तथा 12 के अंतर्गत छूट का दावा किया है, जिसके लिए ट्रस्ट ने अपने कर परामर्शदाता मै. बंसी एस. मेहता एंड कं. की राय भी ली है। इस संबंध में ट्रस्ट ने अदा किए गए कर रु. 113.45 करोड़ की वापसी हेतु आयकर विभाग को आवेदन किया है।

14.लेखा

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान, ट्रस्ट ने 397.04 करोड़ रुपए की आय अर्जित की, जिसमें मुख्यतः गारंटी शुल्क (रु. 83.82 करोड़), वार्षिक सेवा शुल्क (रु.17.51 करोड़), निवेशों पर अर्जित ब्याज(रु.294.65 करोड़) शामिल हैं। ट्रस्ट का विभिन्न परिचालनगत तथा प्रशासनिक व्यय रु.5.05 करोड़ रुपए थे, जिसमें मुख्यतः स्टाफ वेतन तथा भत्ते (रु.1.01 करोड़), विज्ञापन और प्रचार व्यय (रु.1.44 करोड़), कार्यालय परिसर का किराया (रु.0.66 करोड़), वेब हॉस्टिंग, आईटी सेवाएं तथा कंप्यूटर हेतु अन्य संबंधित प्रभार तथा सॉफ्टवेयर व्यय (रु.0.35 करोड़), सिडबी को अदा किया गया सेवा प्रभार(रु.0.11 करोड़) तथा अन्य व्यय शामिल हैं। कर भुगतान के पश्चात व्यय से बेशी आय 211.88 करोड़ रुपए थी। वित्तीय वर्ष 2009 से ट्रस्ट की देयता के बीमांविक मूल्यांकन के आधार पर दावों के लिए प्रावधान किया जा रहा है। बीमांविक आकलन के आधार पर, यथा 31 मार्च 2010 को दावों हेतु 158.43 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना है। ट्रस्ट ने पहले ही यथा 31 मार्च 2009 को दावों के प्रति433.49 करोड़ रुपये का उच्चतर प्रावधान कर दिया था और इसे ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान कोई अतिरिक्त प्रावधान अपेक्षित नहीं है।

Cumulative Guarantees approved	
• No. of MSE units / facilities	3,00,105
• Loan Amount (extended by MLIs)	Rs.11,559.61 crore
Turnover of guaranteed units	Rs. 69185 crore
Exports by guaranteed units	Rs. 2047 crore
Employment generation (No. of persons)	17.56 lakh
No. of MLIs registered	111

11. ACSIC Training Programme

Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC) is a confederation of institutions with the objective to promote the sound development of the credit supplementation system for small business in the countries in Asian region through exchange of information, discussions and interchange of personnel among small business credit supplementation institutions in Asia. In 2008, CGTMSE was made a full member at the ACSIC Conference. At the 22nd ACSIC Conference held in Taipei, Taiwan during November 09-13, 2009, ACSIC had adopted the resolution for India to host the 20th ACSIC Training Programme in 2010 and the 24th ACSIC Conference in 2011. CGTMSE after the approval of its Board of Trustees conveyed its acceptance for hosting the 20th ACSIC Training Programme during August 2010 and the 24th ACSIC Conference during November 2011 in Mumbai and Goa respectively.

12. Auditors

12.1 M/s. Ray & Ray, Mumbai, a firm of Chartered Accountants, has been appointed as internal auditors of CGTMSE, for the FY 2009-10. The Auditors have undertaken a comprehensive review of the entire operations of the Trust.

12.2 As recommended by the Comptroller and Auditor General of India, the Board appointed M/s. D.C. Bothra & Co., Mumbai, a firm of Chartered Accountants, as Statutory Auditors of CGTMSE for the FY 2009-10.

13. Tax Exemption to CGTMSE

As per the provisions of the Finance Bill introduced by the then Hon'ble Finance Minister on February 28, 2002 and passed by the Parliament, under sub-section 23EB U/S 10 of Income Tax Act, 1961, the income of CGTMSE was exempted from tax payment for a period of 5 years commencing from the Financial Year 2001-02 (Assessment Year 2002-03). The tax exemption came to an end in FY 2005-06 and has not been extended for the future period. In the previous year relevant to assessment year 2008-09, CGTMSE has claimed exemption u/s 11 and 12 of the Act and for which the Trust has also obtained the opinion of M/s. Bansi S. Mehta & Co., our Tax Consultant. In this regard Trust has filed for refund of Income tax paid of Rs.113.45 crore with the Income Tax Department.

14. Accounts

During the FY 2009-10, the Trust earned income of Rs.397.04 crore, comprising mainly Guarantee Fee (Rs.83.82 crore), Annual Service Fee (Rs.17.51 crore), interest earned on investments (Rs.294.65 crore). Trust had incurred Rs.5.05 crore towards various operational and administrative expenditure mainly comprising, staff salaries and allowances (Rs.1.01 crore), advertising and publicity expenses (Rs.1.44 crore), rent for office premises (Rs.0.66 crore), web-hosting, IT services and other related charges for computer and software expenditure (Rs.0.35 crore), service charge paid to SIDBI (Rs.0.11 crore) and other office expenses. The excess of income over expenditure was Rs.211.88 crore after payment of taxes. The provisioning for claims is being made on the actuarial valuation of liability of the Trust since FY 2009. As per the actuarial estimate an amount of Rs.158.43 crore has to be provided for claims as at March 31, 2010. The Trust had already provided higher provision of Rs.433.49 crore towards claims as on March 31, 2009 and in view of the same no additional provision is required to be provided during FY2010.

15. Corpus, Investment and guarantees issued

During the year, the Trust received corpus contribution

15. समूह निधि, निवेश और जारी की गई गारंटियाँ

वर्ष के दौरान, ट्रस्ट को अपने संस्थापकों से 166.41 करोड़ रुपये का अंशदान प्राप्त हुआ। इस राशि को, पूर्व में प्राप्त अंशदान तथा ट्रस्ट द्वारा अब तक अर्जित निवल आय के साथ बैंकों/संस्थाओं की एफडी में निवेशित कर दिया गया। निधि की समूह निधि का आकार यथा 31 मार्च 2009 को 1906.56 करोड़ रुपये हो गया। यथा 31 मार्च 2009 को कुल निवेश 2620.87 करोड़ रुपये था, जबकि पिछली वर्ष की समाप्ति पर यह 2082.77 करोड़ रुपये था। 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान ट्रस्ट द्वारा 6127.43 करोड रुपए हेतु गारंटी कवर जारी किया, जिससे यथा 31 मार्च 2010 तक जारी की गई संचयी गारंटियाँ10,250.12 करोड़ रुपये हो गईं।

16. प्रबंध और संगठन

16.1 वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान न्यासी मंडल में सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पदेन अध्यक्ष के रूप में, अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार पदेन उपाध्यक्ष के रूप में, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष पदेन सदस्य के रूप में और सीजीटीएमएसई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सदस्य-सचिव के रूप में शामिल थे। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान न्यासी मंडल की 3 बैठकें हुईं। यथा 31 मार्च 2010 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी सहित दस अधिकारी सिडबी से सीजीटीएमएसई में प्रतिनियुक्ति पर थे।

16.2 सीजीटीएमएसई का न्यासी मंडल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) के कार्यालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, सिडबी, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बैंक संघ, सीजीटीएमएसई की सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं, जीटीजेड, विश्व बैंक, विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संस्थाओं तथा एमएसई उद्योग संघों से मिले सहयोग और सहकार के प्रति आभार व्यक्त करता है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम
क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट

न्यासी मंडल के लिए और न्यासी मंडल की ओर से

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः जुलाई 07, 2010

(आर. एम. मल्ल)

from its settlors to the extent of Rs.166.41 crore. This, together with the corpus contributions already received, and the net income earned by the Trust so far, had been invested in FDs of banks / institutions. The size of the corpus of the fund as on March 31, 2009 stood at Rs.1906.56 crore. The total investment as at March 31, 2009 stood at Rs.2620.87 crore as against Rs.2082.77 crore as at the end of the previous year. During the year ended March 31, 2010, guarantee cover issued by the Trust was for Rs.6127.43 crore taking the cumulative guarantees issued to Rs.10,250.12 crore as on March 31, 2010.

15. Management & Organisation

15.1 The Board of Trustees during FY 2009-10 comprised of Chairman & Managing Director of SIDBI as ex-officio Chairman, Additional Secretary & Development Commissioner (MSME), Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), Government of India as ex-officio Vice-Chairman, Chairman Indian Banks' Association (IBA) as ex-officio member and Chief Executive Officer of CGTMSE as Member Secretary. During FY 2009-10, 3 meetings of the Board of Trustees were held.

As on March 31, 2010, ten officers including the CEO were on deputation with CGTMSE from SIDBI.

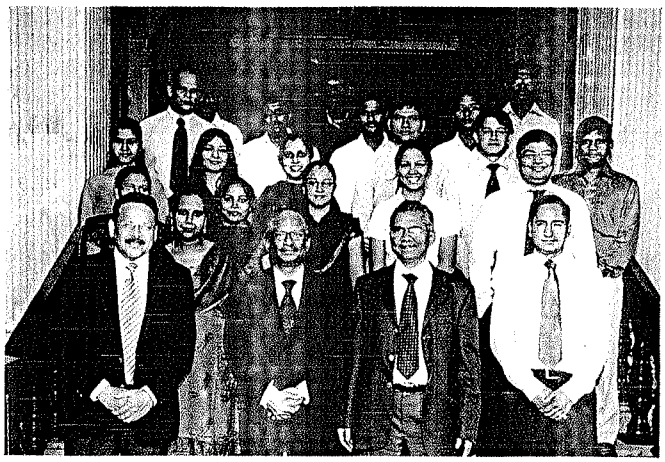

16.2 The Board of Trustees of CGTMSE appreciates the support and cooperation received from Ministry of MSME, Government of India, Office of DC (MSME), **Ministry of MSME**, Government of India, Office of DC (Handicrafts), Ministry of Textiles, Government of India, SIDBI, RBI, IBA, MLIs of CGTMSE, GTZ, World Bank, various National and State-level institutions and MSE Industry Associations.

Credit Guarantee Fund Trust

for Micro and Small Enterprises

For and on behalf of the Board of Trustees

Place: New Delhi

Date: July 07, 2010

(R M Malla)

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

यथा 31 मार्च, 2010 को सीजीटीएमएसई की सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं

(क) अनुसूचित वाणिज्य बैंक

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

1 इलाहाबाद बैंक
2 आंध्रा बैंक
3 बैंक ऑफ बड़ौदा
4 बैंक ऑफ इंडिया
5 बैंक ऑफ महाराष्ट्र
6 केनरा बैंक
7 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
8 कॉर्पोरेशन बैंक
9 देना बैंक
10 आईडीबीआई बैंक लि.
11 इंडियन बैंक
12 इंडियन ओवरसीज बैंक
13 ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
14 पंजाब एंड सिंध बैंक
15 पंजाब नैशनल बैंक
16 सिंडीकेट बैंक
17 यूको बैंक
18 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
19 यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
20 विजया बैंक

(ii) भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक

1 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
2 स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
3 भारतीय स्टेट बैंक
4 स्टेट बैंक ऑफ इंदौर
5 स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
6 स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
7 स्टेट बैंक ऑफ त्रावनकोर

(iii) निजी क्षेत्र के बैंक

1 ऐक्सिस बैंक लि.
2 सिटि यूनियन बैंक लि..
3 एचडीएफसी बैंक लि
4 आईसीआईसीआई बैंक लि.
5 आईएनजी वैश्य बैंक लि.
6 इंडसइंड बैंक लि.
7 दि जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.
8 दि नैनीताल बैंक लि.
9 दि साउथ इंडियन बैंक लि.
10 दि बैंक ऑफ राजस्थान लि.
11 कोटक महिंद्रा बैंक लि.
12 दि फेडरल बैंक लि.
13 तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.
14 कर्नाटक बैंक लि.
15 येस बैंक लि.
16 दि धनलक्ष्मी बैंक लि.

विदेशी बैंक

1 डयूश बैंक
2 स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1 आंध्रा प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2 आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक
3 आर्यावर्त ग्रामीण बैंक
4 असम ग्रामीण विकास बैंक
5 बैतरनी गाम्य विकास बैंक
6 बालिया क्षेत्रीय बैंक
7 बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक
8 बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
9 बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)

Member Lending Institutions (MLIs) of CGTMSE as on March 31, 2010

(A) SCHEDULED COMMERCIAL BANKS

(i) PUBLIC SECTOR BANKS

1. Allahabad Bank
2. Andhra Bank
3. Bank of Baroda
4. Bank of India
5. Bank of Maharashtra
6. Canara Bank
7. Central Bank of India
8. Corporation Bank
9. Dena Bank
10. IDBI Bank Ltd.
11. Indian Bank
12. Indian Overseas Bank
13. Oriental Bank of Commerce
14. Punjab & Sind Bank
15. Punjab National Bank
16. Syndicate Bank
17. UCO Bank
18. Union Bank of India
19. United Bank of India
20. Vijaya Bank

(ii) SBI AND ITS ASSOCIATE BANKS

1. State Bank of India
2. State Bank of Bikaner & Jaipur
3. State Bank of Hyderabad
4. State Bank of Indore
5. State Bank of Mysore
6. State Bank of Patiala
7. State Bank of Travancore

(iii) PRIVATE SECTOR BANKS

1. Axis Bank Ltd.
2. City Union Bank Ltd.
3. HDFC Bank Ltd.
4. ICICI Bank Ltd.
5. ING Vysya Bank Ltd.
6. IndusInd Bank Ltd.
7. The Jammu & Kashmir Bank Ltd.
8. The Nainital Bank Ltd.
9. The South Indian Bank Ltd.
10. The Bank of Rajasthan Ltd.
11. Kotak Mahindra Bank Ltd.
12. The Federal Bank Ltd.
13. Tamilnad Mercantile Bank Ltd.
14. Karnataka Bank Ltd.
15. YES Bank Ltd.
16. The Dhanlakshmi Bank Ltd.

FOREIGN BANK

1. Deutsche Bank
2. Standard Chartered Bank

(B) REGIONAL RURAL BANKS

1. Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank
2. Andhra Pragathi Grameena Bank
3. Aryavart Gramin Bank
4. Assam Gramin Vikash Bank
5. Baitarani Gramya Bank
6. Ballia Kshetriya Gramin Bank
7. Baroda Gujarat Gramin Bank
8. Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank
9. Bihar Kshetriya Gramin Bank

(क्रमशः)

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

यथा 31 मार्च, 2010 को सीजीटीएमएसई की सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं

10 कावेरी कल्पतरू ग्रामीण बैंक
11 चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक
12 छत्तिसगड़ ग्रामीण बैंक
13 चिकमंगलूर–कोडगु ग्रामीण बैंक
14 डेक्कन ग्रामीण बैंक
15 देना गुजरात ग्रामीण बैंक
16 दुर्ग राजनांदगाँव ग्रामीण बैंक
17 इतवाह क्षत्रीय ग्रामीण बैंक
18 गुड़गाँव ग्रामीण बैंक
19 हडोती क्षत्रीय बैंक
20 हरियाणा ग्रामीण बैंक
21 हिमाचल ग्रामीण बैंक
22 जयपुर थार ग्रामीण बैंक
23 कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक
24 काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक
25 कृष्णा ग्रामीण बैंक
26 लंगपी देहानगी रुरल बैंक
27 लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
28 मध्य भारत ग्रामीण बैंक
29 मध्य बिहार ग्रामीण बैंक
30 महाराष्ट्र गोदावरी ग्रामीण बैंक
31 मालवा ग्रामीण बैंक
32 एमजीबी ग्रामीण बैंक
33 मिझोराम रुरल बैंक
34 नैनीताल–अलमोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
35 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
36 निलाचल ग्राम्य बैंक
37 नॉर्थ मलाबार ग्रामीण बैंक
38 पल्लवन ग्रामीण बैंक
39 पंडयान ग्रामा बैंक
40 पर्वतीय ग्रामीण बैंक
41 प्रगति ग्रामीण बैंक
42 प्रथमा बैंक
43 पंजाब ग्रामीण बैंक
44 पूर्वांचल ग्रामीण बैंक
45 राजस्थान ग्रामीण बैंक
46 रेवा सिद्धि ग्रामीण बैंक
47 ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक
48 सप्तगिरि ग्रामीण बैंक
49 सर्वा यूपी ग्रामीण बैंक
50 सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
51 श्रेयस ग्रामीण बैंक
52 साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक
53 त्रिपूरा ग्रामीण बैंक
54 त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
55 उत्तरांचल ग्रामीण बैंक
56 उत्तरबंगा क्षत्रीय ग्रामीण बैंक
57 विर्दभा क्षत्रीय ग्रामीण बैंक
58 विदीशा भोपाल क्षत्रीय ग्रामीण बैंक
59 विश्वेश्वरया ग्रामीण बैंक
60 सतलज ग्रामीण बैंक (एसबीजी)

(ग) ऋणदात्री संस्थाएं

1 दिल्ली वित्त निगम
2 केरला वित्त निगम
3 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.
4 पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि.
5 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
6 दि तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिं.

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)

Member Lending Institutions (MLIs) of CGTMSE as on March 31, 2010

10 Cauvery Kalpatharu Grameena Bank
11 Chaitanya Godavari Grameena Bank
12 Chattisgarh Gramin Bank
13 Chikmagalur-Kodagu Gramin Bank
14 Deccan Gramin Bank
15 Dena Gujarat Gramin Bank
16 Durg Rajnandgaon Gramin Bank
17 Etawah Kshetriya Gramin Bank
18 Gurgaon Gramin Bank
19 Hadoti Kshetriya Gramin Bank
20 Haryana Gramin Bank
21 Himachal Gramin Bank
22 Jaipur Thar Gramin Bank
23 Karnataka Vikas Grameena Bank
24 Kashi Gomti Samyut Gramin Bank
25 Krishna Grameena Bank
26 Langpi Dehangi Rural Bank
27 Lucknow Kshetriya Gramin Bank
28 Madhya Bharat Gramin Bank
29 Madhya Bihar Gramin Bank
30 Maharashtra Godavari Gramin Bank
31 Malwa Gramin Bank
32 MGB Gramin Bank
33 Mizoram Rural Bank
34 Nainital – Almora Kshetriya Gramin Bank
35 Narmada Malwa Gramin Bank
36 Neelachal Gramya Bank
37 North Malabar Gramin Bank
38 Pallavan Gramin Bank
39 Pandyan Grama Bank
40 Parvatiya Gramin Bank
41 Pragathi Gramin Bank
42 Prathama Bank
43 Punjab Gramin Bank
44 Purvanchal Gramin Bank
45 Rajasthan Gramin Bank
46 Rewa Siddhi Gramin Bank
47 Rushikulya Gramya Bank
48 Saptagiri Grameena Bank
49 Sarva UP Gramin Bank
50 Saurashtra Gramin Bank
51 Shreyas Gramin Bank
52 South Malabar Gramin Bank
53 Tripura Gramin Bank
54 Triveni Kshetriya Gramin Bank
55 Uttaranchal Gramin Bank
56 Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank
57 Vidharbha Kshetriya Gramin Bank
58 Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank
59 Visveshvaraya Grameena Bank
60 Sutlej Gramin Bank

(C) LENDING INSTITUTIONS

1 Delhi Financial Corporation
2 Kerala Financial Corporation
3 National Small Industries Corporation Ltd.
4 North Eastern Development Finance Corporation Ltd.
5 Small Industries Development Bank of India
6 The Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Ltd.

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान सदस्य ऋणदात्री संस्था-वार अनुमोदित गारंटी तथा यथा 31 मार्च 2010 तक का संचयी

क्रमांक	सदस्य ऋणदात्री संस्था	वित्तीय वर्ष 2010		संचयी	
		प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित राशि (लाख रु. में)	प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित राशि (लाख रु. में)
1	इलाहाबाद बैंक	9,673	27,837.94	13,639	37,275.19
2	आंध्रा बैंक	654	3,324.60	1,474	6,070.13
3	आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक	10	36.60	10	36.60
4	आर्यावर्त ग्रामीण बैंक	243	1,126.40	330	1,297.66
5	असम ग्रामीण विकास बैंक	94	446.94	98	465.48
6	ऐक्सिस बैंक लि.	186	6,887.15	441	12,783.78
7	बैतरनी गाम्य विकास बैंक	40	190.41	40	190.41
8	बैंक ऑफ बड़ौदा	6,263	38,565.34	8,838	57,718.45
9	बैंक ऑफ इंडिया	20,952	1,31,078.27	36,821	2,00,053.37
10	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1,828	11,056.27	3,293	15,415.52
11	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक	5	22.41	5	22.41
12	बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	36	119.86	68	243.17
13	केनरा बैंक	8,263	33,491.38	37,608	94,788.53
14	कावेरी कल्पतरू ग्रामीण बैंक	2	45.50	2	45.50
15	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	3,506	22,503.48	7,034	41,497.53
16	चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	15	17.25	21	39.85
17	चिकमगलूर-कोडगु ग्रामीण बैंक	4	10.40	28	43.40
18	कॉर्पोरेशन बैंक	1,391	7,773.07	2,952	17,925.92
19	डेक्कन ग्रामीण बैंक	1	1.50	1	1.50
20	दिल्ली वित्त निगम	221	239.05	221	239.05
21	देना बैंक	1,140	6,358.88	3,318	11,967.01
22	डयूश बैंक	17	383.50	17	383.50
23	दुर्ग राजनांदगाँव ग्रामीण बैंक$	427	460.43	851	939.75
24	गुड़गाँव ग्रामीण बैंक	9	26.56	9	26.56
25	हडोती क्षत्रीय बैंक	1	1.50	1	1.50
26	हरियाणा ग्रामीण बैंक	33	73.98	41	82.35
27	एचडीएफसी बैंक लि.	123	2,797.50	123	2,797.50
28	हिमाचल ग्रामीण बैंक	23	290.08	23	290.08
29	आईसीआईसीआई बैंक	14	183.37	29	267.80
30	आईडीबीआई बैंक लि.	702	24,190.45	1,087	28,208.05
31	इंडियन बैंक	878	4,766.64	4,599	12,755.80

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)

MLI-wise Guarantees approved during FY2010 and Cumulative as on March 31, 2010

S.No.	MLI	FY2010		Cumulative	
		No. of proposals	Approved Amt. (Rs. lakh)	No. of proposals	Approved Amt. (Rs. lakh)
1	Allahabad Bank	9,673	27,837.94	13,639	37,275.19
2	Andhra Bank	654	3,324.60	1,474	6,070.13
3	Andhra Pragathi Grameena Bank	10	36.60	10	36.60
4	Aryavart Gramin Bank	243	1,126.40	330	1,297.66
5	Assam Gramin Vikash Bank	94	446.94	98	465.48
6	Axis Bank Ltd.	186	6,887.15	441	12,783.78
7	Baitarani Gramya Bank	40	190.41	40	190.41
8	Bank of Baroda	6,263	38,565.34	8,838	57,718.45
9	Bank of India	20,952	1,31,078.27	36,821	2,00,053.37
10	Bank of Maharashtra	1,828	11,056.27	3,293	15,415.52
11	Baroda Gujarat Gramin Bank	5	22.41	5	22.41
12	Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank	36	119.86	68	243.17
13	Canara Bank	8,263	33,491.38	37,608	94,788.53
14	Cauvery Kalpataru Grameena Bank	2	45.50	2	45.50
15	Central Bank of India	3,506	22,503.48	7,034	41,497.53
16	Chaitanya Godavari Grammena Bank	15	17.25	21	39.85
17	Chikmagalur-kodagu Grameena Bank	4	10.40	28	43.40
18	Corporation Bank	1,391	7,773.07	2,952	17,925.92
19	Deccan Grameena Bank	1	1.50	1	1.50
20	Delhi Financial Corporation	221	239.05	221	239.05
21	Dena Bank	1,140	6,358.88	3,318	11,967.01
22	Deutsche Bank	17	383.50	17	383.50
23	Durg Rajnandgaon Gramin Bank	427	460.43	851	939.75
24	Gurgaon Gramin Bank	9	26.56	9	26.56
25	Hadoti Kshetriya Gramin Bank	1	1.50	1	1.50
26	Haryana Gramin Bank	33	73.98	41	82.35
27	HDFC Bank Ltd.	123	2,797.50	123	2,797.50
28	Himachal Gramin Bank	23	290.08	23	290.08
29	ICICI Bank Ltd.	14	183.37	29	267.80
30	IDBI Bank Ltd	702	24,190.45	1,087	28,208.05
31	Indian Bank	878	4,766.64	4,599	12,755.80

(क्रमशः)

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान सदस्य ऋणदात्री संस्था-वार अनुमोदित गारंटी तथा यथा 31 मार्च 2010 तक का संचयी

क्रमांक	सदस्य ऋणदात्री संस्था	वित्तीय वर्ष 2010		संचयी	
		प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित राशि (लाख रु. में)	प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित राशि (लाख रु. में)
32	इंडियन ओवरसीज बैंक	5,066	13,567.69	7,933	23,932.01
33	इंडसइंड बैंक	1	25.00	4	60.88
34	आईएनडी वैश्य बैंक लि.	16	564.20	68	1,541.53
35	जयपुर थार ग्रामीण बैंक	325	66.53	388	82.58
36	कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक	16	60.93	16	60.93
37	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक	1,697	3,045.90	1,806	3,342.25
38	काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक	57	142.84	60	147.41
39	कृष्णा ग्रामीण बैंक	3	4.02	3	4.02
40	लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	74	217.29	94	241.29
41	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक	0	0.00	14	12.90
42	एमजीबी ग्रामीण बैंक	21	30.52	21	30.52
43	नैनीताल-अलमोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1	14.25	3	39.25
44	नेशनल स्मॉल इंड कॉर्पो. लि.	0	0.00	175	1,453.66
45	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि.	3	4.78	3	4.78
46	नॉर्थ मलाबार ग्रामीण बैंक	29	56.96	29	56.96
47	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1,789	16,023.64	2,811	24,223.99
48	पर्वतीय ग्रामीण बैंक	5	27.76	5	27.76
49	प्रगति ग्रामीण बैंक	1	0.86	1	0.86
50	प्रथमा बैंक	699	2,157.69	797	2,403.78
51	पंजाब एंड सिंध बैंक	485	2,238.74	1,299	4,148.06
52	पंजाब नैशनल बैंक	26,069	92,715.52	43,413	1,25,069.36
53	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक	2,175	3,141.18	2,349	3,307.06
54	राजस्थान ग्रामीण बैंक	6	59.77	6	59.77
55	ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक	8	26.86	8	26.86
56	सर्वा यूपी ग्रामीण बैंक	140	130.65	140	130.65
57	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	2	6.40	2	6.40
58	श्रेयस ग्रामीण बैंक	2	5.60	29	14.24
59	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	1,601	23,458.53	2,933	49,063.10
60	साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक	1,122	1,441.85	1,483	1,829.07

(Contd.)

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)

MLI-wise Guarantees approved during FY2010 and Cumulative as on March 31, 2010

SNo.	MLI	FY2010		Cumulative	
		No. of proposals	Approved Amt. (Rs. lakh)	No. of proposals	Approved Amt. (Rs. lakh)
32	Indian Overseas Bank	5,066	13,567.69	7,933	23,932.01
33	Indusind Bank	1	25.00	4	60.88
34	ING Vysya Bank Ltd	16	564.20	68	1,541.53
35	Jaipur Thar Gramin Bank	325	66.53	388	82.58
36	Karnataka Bank Ltd.	16	60.93	16	60.93
37	Karnataka Vikas Grameena Bank	1,697	3,045.90	1,806	3,342.25
38	Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	57	142.84	60	147.41
39	Krishna Grameena Bank	3	4.02	3	4.02
40	Lucknow Kshetriya Gramin Bank	74	217.29	94	241.29
41	Madhya Bihar Gramin Bank	0	0.00	14	12.90
42	MGB Gramin Bank	21	30.52	21	30.52
43	Nainital-Almora Kshetriya Gramin Bank	1	14.25	3	39.25
44	National Small Industries Corporation Ltd.	0	0.00	175	1,453.66
45	North Eastern Development Fin. Corp Ltd.	3	4.78	3	4.78
46	North Malabar Gramina Bank	29	56.96	29	56.96
47	Oriental Bank of Commerce	1,789	16,023.64	2,811	24,223.99
48	Parvatiya Gramin Bank	5	27.76	5	27.76
49	Pragathi Gramin Bank	1	0.86	1	0.86
50	Prathama Bank	699	2,157.69	797	2,403.78
51	Punjab & Sind Bank	485	2,238.74	1,299	4,148.06
52	Punjab National Bank	26,069	92,715.52	43,413	1,25,069.36
53	Purvanchal Gramin Bank	2,175	3,141.18	2,349	3,307.06
54	Rajasthan Gramin Bank	6	59.77	6	59.77
55	Rushikulya Gramya Bank	8	26.86	8	26.86
56	Sarva UP Gramin Bank	140	130.65	140	130.65
57	Saurashtra Gramin Bank	2	6.40	2	6.40
58	Shreyas Gramin Bank	2	5.60	29	14.24
59	Small Ind. Development Bank of India	1,601	23,458.53	2,933	49,063.10
60	South Malabar Gramin Bank	1,122	1,441.83	1,483	1,829.07

(क्रमशः)

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान सदस्य ऋणदात्री संस्था-वार अनुमोदित गारंटी तथा यथा 31 मार्च 2010 तक का संचयी

क्रमांक	सदस्य ऋणदात्री संस्था	वित्तीय वर्ष 2010		संचयी	
		प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित राशि (लाख रु. में)	प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित राशि (लाख रु. में)
61	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	5,080	7,034.28	8,403	10,556.28
62	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1,198	4,912.08	2,239	9,347.20
63	भारतीय स्टेट बैंक	23,774	96,021.57	55,042	1,76,947.01
64	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	198	1,870.28	407	2,368.47
65	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1,008	5,437.88	1,552	9,943.94
66	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	720	4,402.42	1,039	5,836.89
67	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र*	0	0.00	29	91.28
68	स्टेट बैंक ऑफ त्रावनकोर	1,977	7,354.63	5,914	14,589.42
69	सिंडीकेट बैंक	4,053	20,092.65	6,665	35,022.3
70	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि.	109	139.11	119	248.0
71	दि बैंक ऑफ राजस्थान लि.	153	41.05	527	131.2
72	दि फेडरल बैंक लि.	812	5,897.48	1,914	8,654.7
73	दि जम्मू एंड कश्मील बैंक लि.	123	141.22	950	519.9
74	दि नैनीताल बैंक लि.	18	313.45	48	552.1
75	दि साउथ इंडियन बैंक लि.	6	10.07	6	10.0
76	त्रिपूरा ग्रामीण बैंक	43	283.46	43	283.4
77	त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	54	229.78	54	229.7
78	यूको बैंक	3,305	6,922.27	6,561	17,948.4
79	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	4,768	21,598.15	10,376	38,369.3
80	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	4,914	15,669.25	7,671	29,896.0
81	उत्तरांचल ग्रामीण बैंक	254	1,265.73	276	1,411.47
82	उत्तरबंगा क्षत्रीय ग्रामीण बैंक	75	75.11	75	75.1
83	विर्दभा क्षत्रीय ग्रामीण बैंक	5	5.63	5	5.6
84	विजया बैंक	563	4,226.77	1,265	7,703.8
85	विश्वेश्वरया ग्रामीण बैंक	10	24.51	10	24.5
	योग	**1,51,387**	**6,87,511.48**	**3,00,105**	**11,55,961.9**

*भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलय

(Contd.)

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)

MLI-wise Guarantees approved during FY2010 and Cumulative as on March 31, 2010

SNo.	MLI	FY2010		Cumulative	
		No. of proposals	Approved Amt. (Rs. lakh)	No. of proposals	Approved Amt. (Rs. lakh)
61	State Bank of Bikaner & Jaipur	5,080	7,034.28	8,403	10,556.28
62	State Bank of Hyderabad	1,198	4,912.08	2,239	9,347.20
63	State Bank of India	23,774	96,021.57	55,042	1,76,947.01
64	State Bank of Indore	198	1,870.28	407	2,368.47
65	State Bank of Mysore	1,008	5,437.88	1,552	9,943.94
66	State Bank of Patiala	720	4,402.42	1,039	5,836.89
67	State Bank of Saurashtra*	0	0.00	29	91.28
68	State Bank of Travancore	1,977	7,354.63	5,914	14,589.42
69	Syndicate Bank	4,053	20,092.65	6,665	35,022.34
70	Tamilnad Mercantile Bank Ltd	109	139.11	119	248.04
71	The Bank of Rajasthan Ltd.	153	41.05	527	131.24
72	The Federal Bank Ltd	812	5,897.48	1,914	8,654.79
73	The Jammu & Kashmir Bank Ltd.	123	141.22	950	519.90
74	The Nainital Bank Ltd.	18	313.45	48	552.13
75	The South Indian Bank Ltd.	6	10.07	6	10.07
76	Tripura Gramin Bank	43	283.46	43	283.46
77	Triveni Kshetriya Gramin Bank	54	229.78	54	229.78
78	UCO Bank	3,305	6,922.27	6,561	17,948.46
79	Union Bank of India	4,768	21,598.15	10,376	38,369.37
80	United Bank of India	4,914	15,669.25	7,671	29,896.04
81	Uttaranchal Gramin Bank	254	1,265.73	276	1,411.47
82	Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank	75	75.11	75	75.11
83	Vidharbha Kshetriya Gramin Bank	5	5.63	5	5.63
84	Vijaya Bank	563	4,226.77	1,265	7,703.84
85	Visveshvaraya Grameena Bank	10	24.51	10	24.51
	Total	**1,51,387**	**6,87,511.48**	**3,00,105**	**11,55,961.95**

*Since merged with State Bank of India

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान सदस्य ऋणदात्री संस्था-वार अनुमोदित गारंटी तथा यथा 31 मार्च 2010 तक का संचयी

क्रमांक	राज्य का नाम	वित्तीय वर्ष 2010		संचयी	
		प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित राशि (लाख रु. में)	प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित राशि (लाख रु. में)
1	अंडमान निकोबार	107	343.59	198	532.89
2	आंध्र प्रदेश	3,980	22,503.01	12,735	40,068.46
3	अरुणाचल प्रदेश	155	755.46	360	1,037.89
4	असम	3,422	10,132.91	7,347	19,158.15
5	बिहार	3,844	14,534.30	8,935	24,309.76
6	चंडीगढ़	946	3,354.41	1,320	5,666.02
7	छत्तीसगढ़	1,366	5,899.46	3,188	14,597.51
8	दादरा-नगरहवेली	26	1,036.16	55	1,344.65
9	दमन दीव	31	729.93	65	1,215.18
10	दिल्ली	1,298	20,354.56	2,090	29,655.07
11	गोवा	1,169	7,944.03	1,787	11,457.41
12	गुजरात	8,666	78,963.28	14,906	1,15,908.26
13	हरियाणा	2,226	16,388.84	5,614	26,456.35
14	हिमाचल प्रदेश	3,073	19,207.07	5,378	25,631.50
15	जम्मू-कश्मीर	907	2,675.02	2,454	4,329.18
16	झारखंड	5,310	30,153.73	9,408	47,037.43
17	कर्नाटक	9,176	48,588.52	19,879	1,07,841.93
18	केरल	11,032	30,417.07	32,963	65,029.58
19	लक्षद्वीप	6	9.25	8	10.70
20	मध्य प्रदेश	4,208	22,237.00	10,592	41,851.01
21	महाराष्ट्र	9,013	67,623.60	15,045	1,08,462.14
22	मणिपुर	8	19.79	128	221.88
23	मेघालय	387	1,323.62	830	2,470.84
24	मिजोरम	26	150.34	377	802.67
25	नागालैंड	55	217.90	292	812.54
26	उड़ीसा	6,736	29,070.65	16,247	48,218.00
27	पुडुचेरि	106	737.18	426	1,809.58
28	पंजाब	3,461	22,052.79	6,327	32,901.27
29	राजस्थान	11,712	30,199.94	19,341	41,616.79
30	सिक्किम	114	409.40	230	711.82
31	तमिलनाडु	8,890	39,325.22	25,455	1,01,622.68
32	त्रिपुरा	264	925.47	567	1,522.25
33	उत्तर प्रदेश	26,526	81,675.59	43,074	1,11,757.36
34	उत्तरांचल	1,747	9,875.35	2,414	13,168.59
35	पश्चिम बंगाल	21,394	67,677.04	50,070	1,06,724.61
	योग	**1,51,387**	**6,87,511.48**	**3,00,105**	**11,55,961.94**

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)

State-wise Guarantees approved during FY2010 and Cumulative as on March 31, 2010

S.No.	States	FY2010		Cumulative	
		No. of proposals	Approved Amt. (Rs. lakh)	No. of proposals	Approved Amt. (Rs. lakh)
1	Andaman & Nicobar	107	343.59	198	532.89
2	Andhra Pradesh	3,980	22,503.01	12,735	40,068.46
3	Arunachal Pradesh	155	755.46	360	1,037.89
4	Assam	3,422	10,132.91	7,347	19,158.15
5	Bihar	3,844	14,534.30	8,935	24,309.76
6	Chandigarh	946	3,354.41	1,320	5,666.02
7	Chhattisgarh	1,366	5,899.46	3,188	14,597.51
8	Dadra & Nagar Haveli	26	1,036.16	55	1,344.65
9	Daman & Diu	31	729.93	65	1,215.18
10	Delhi	1,298	20,354.56	2,090	29,655.07
11	Goa	1,169	7,944.03	1,787	11,457.41
12	Gujarat	8,666	78,963.28	14,906	1,15,908.26
13	Haryana	2,226	16,388.84	5,614	26,456.35
14	Himachal Pradesh	3,073	19,207.07	5,378	25,631.50
15	Jammu & Kashmir	907	2,675.02	2,454	4,329.18
16	Jharkhand	5,310	30,153.73	9,408	47,037.43
17	Karnataka	9,176	48,588.52	19,879	1,07,841.93
18	Kerala	11,032	30,417.07	32,963	65,029.58
19	Lakshadweep	6	9.25	8	10.70
20	Madhya Pradesh	4,208	22,237.00	10,592	41,851.01
21	Maharashtra	9,013	67,623.60	15,045	1,08,462.14
22	Manipur	8	19.79	128	221.88
23	Meghalaya	387	1,323.62	830	2,470.84
24	Mizoram	26	150.34	377	802.67
25	Nagaland	55	217.90	292	812.54
26	Orissa	6,736	29,070.65	16,247	48,218.00
27	Puducherry	106	737.18	426	1,809.58
28	Punjab	3,461	22,052.79	6,327	32,901.27
29	Rajasthan	11,712	30,199.94	19,341	41,616.79
30	Sikkim	114	409.40	230	711.82
31	Tamilnadu	8,890	39,325.22	25,455	1,01,622.68
32	Tripura	264	925.47	567	1,522.25
33	Uttar Pradesh	26,526	81,675.59	43,074	1,11,757.36
34	Uttaranchal	1,747	9,875.35	2,414	13,168.59
35	West Bengal	21,394	67,677.04	30,070	1,06,724.61
	Total	**1,51,387**	**6,87,511.48**	**3,00,105**	**11,55,961.94**

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान क्षेत्र-वार अनुमोदित गारंटी तथा यथा 31 मार्च, 2010 तक का संचयी

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2010		संचयी	
		प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित राशि (लाख रु. में)	प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित राशि (लाख रु. में)
1	मूल धातु उद्योग	409	3,497.57	1,807	11,377.48
2	पेय, तम्बाकू आदि	129	1,745.52	342	3,[illegible]56.00
3	रसायन आदि	414	7,117.07	1,263	14,407.67
4	सूती कपड़े	1,600	11,722.43	4,174	19,546.00
5	विद्युत मशीनरी	520	6,835.18	1,788	15,[illegible]36.59
6	खाद्य उत्पाद	3,708	26,372.15	12,034	51,[illegible]9.74
7	सूचना प्रौद्योगिकी	333	1,790.89	1,589	5,6[illegible]6.85
8	पटसन कपड़े	126	679.43	461	1,6[illegible]6.76
9	चमड़ा और फर उत्पाद	876	3,969.01	2,549	8,3[illegible]1.53
10	धातु उत्पाद	8,451	24,229.33	13,635	50,5[illegible]3.06
11	अवैद्युत मशीनरी, औजार व पुर्जे	370	4,831.98	913	9,9[illegible]2.61
12	अधात्विक उत्पाद	416	4,506.07	1,770	12,1[illegible]4.24
13	अन्य विनिर्माण	1,148	9,798.56	2,556	19,7[illegible]6.68
14	कागज व मुद्रण	693	8,357.77	917	5[illegible]7.85
15	मरम्मत सेवाएँ	141	1,328.45	442	2,1[illegible].82
16	मरम्मत सेवाएं, पूंजीगत मालेतर	121	923.52	474	1,8[illegible].64
17	पूंजीगत माल हेतु मरम्मत सेवाएँ	219	3,118.51	545	5,7[illegible].09
18	रबड़, पेट्रोलियम आदि	23,152	1,35,251.23	23,859	76,4[illegible].22
19	सेवाएं (उद्योग संबंधी)	209	2,432.57	578	5,3[illegible].01
20	सॉफ्टवेयर	4,571	42,722.67	12,283	72,17[illegible].80
21	कपड़ा-उत्पाद	185	2,177.92	392	3,76[illegible].07
22	परिवहन उपकरण	1,400	5,152.97	5,811	11,67[illegible].70
23	लकड़ी -फर्नीचर	275	1,089.43	1,521	3,75[illegible].05
24	ऊन, रेशम आदि	1,01,921	3,68,861.25	2,08,402	7,49,15[illegible].49
	योग	**1,51,387**	**6,78,511.48**	**3,00,105**	**11,55,96[illegible].95**

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)

Sector-wise Guarantees approved during FY2010 and Cumulative as on March 31, 2010

SNo.	Sector	FY2010		Cumulative	
		No. of proposals	Approved Amt. (Rs. lakh)	No. of proposals	Approved Amt. (Rs. lakh)
1	Basic Metal Industries	409	3,497.57	1,807	11,377.48
2	Beverages, Tobacco etc.	129	1,745.52	342	3,156.00
3	Chemicals etc.	414	7,117.07	1,263	14,407.67
4	Cotton Textiles	1,600	11,722.43	4,174	19,546.00
5	Electrical Machinery	520	6,835.18	1,788	15,236.59
6	Food Products	3,708	26,372.15	12,034	51,699.74
7	Information Technology	333	1,790.89	1,589	5,656.85
8	Jute Textiles	126	679.43	461	1,636.76
9	Leather and Fur Products	876	3,969.01	2,549	8,321.53
10	Metal Products	8,451	24,229.33	13,635	50,503.06
11	Non-electrical Machinery, Tools and Parts	370	4,831.98	913	9,902.61
12	Non-metallic Products	416	4,506.07	1,770	12,184.24
13	Paper and Printing	1,148	9,798.56	2,556	19,736.68
14	Repairing Services	693	8,357.77	917	587.85
15	Repairing Services except Capital Goods	141	1,328.45	442	2,144.82
16	Repairing Services for Capital Goods	121	923.52	474	1,881.64
17	Rubber, Petroleum etc.	219	3,118.51	545	5,737.09
18	Services(Industry Related)	23,152	1,35,251.23	23,859	76,421.22
19	Software	209	2,432.57	578	5,300.01
20	Textile Products	4,571	42,722.67	12,283	72,176.80
21	Transport Equipment	185	2,177.92	392	3,764.07
22	Wood Furniture	1,400	5,152.97	5,811	11,670.70
23	Wool, Silk etc.	275	1,089.43	1,521	3,757.05
24	Other Manufacturing	1,01,921	3,68,861.25	2,08,402	7,49,155.49
	Total	**1,51,387**	**6,78,511.48**	**3,00,105**	**11,55,961.95**

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान स्लैब-वार गारंटी अनुमोदन तथा यथा 31 मार्च, 2010 तक का संचयी

क्रमांक	स्लैब (रु.)	वित्तीय वर्ष 2010		संचयी	
		प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित राशि (लाख रु. में)	प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित राशि (लाख रु. में)
1	1,00,000/- तक	66,371	35,163.01	1,57,275.00	72,341.67
2	1,00,001 से 2,00,000/- तक	26,135	38,893.22	42,511.00	65,522.54
3	2,00,001 से 5,00,000/- तक	30,587	1,02,860.70	49,709.00	1,77,524.83
4	5,00,001 से 10,00,000/- तक	12,917	1,03,066.30	23,655.00	1,89,044.31
5	10,00,001 से 25,00,000/- तक	10,750	1,77,012.63	20,434.00	3,48,162.83
6	25,00,001 से 50,00,000/- तक	3,373	1,34,500.75	5,133.00	1,97,414.59
7	50,00,001 से 100,00,000/- तक	1,254	96,014.87	1,388.00	1,05,951.18
	योग	**1,51,387**	**6,87,511.48**	**3,00,105.00**	**11,55,961.95**

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)

Slab-wise guarantees approved during FY2010 and Cumulative as on March 31, 2010

SNo.	Slab	FY2010		Cumulative	
		No. of proposals	Approved Amt. (Rs. lakh)	No. of proposals	Approved Amt. (Rs. lakh)
1	Upto 100,000/-	66,371	35,163.01	1,57,275.00	72,341.67
2	100,001 to 200,000/-	26,135	38,893.22	42,511.00	65,522.54
3	200,001 to 500,000/-	30,587	1,02,860.70	49,709.00	1,77,524.83
4	500,001 to 10,00,000/-	12,917	1,03,066.30	23,655.00	1,89,044.31
5	10,00001 to 25,00000/-	10,750	1,77,012.63	20,434.00	3,48,162.83
6	25,00,001 to 50,00,000/-	3,373	1,34,500.75	5,133.00	1,97,414.59
7	50,00,001 to 100,00,000/-	1,254	96,014.87	1,388.00	1,05,951.18
	Total	**1,51,387**	**6,87,511.48**	**3,00,105.00**	**11,55,961.95**

खातों का विवरण
2009 - 10

Statement of Accounts
2009 - 10

प्रति
न्यासी मंडल
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट,
मुंबई.

हमने सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट के 31 मार्च 2010 तक के संलग्न तुलनपत्र तथा उसके साथ अनुलग्न उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखा और नकदी प्रवाह विवरण की लेखा-परीक्षा की है।

इन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारी दायित्व अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करना है। हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारत में आम तौर पर मान्य लेखा-मानकों के अनुसार संपन्न की है। उन मानकों के अनुसार अपेक्षित है कि हम लेखा-परीक्षा की आयोजना और निष्पादन इस प्रकार करें कि वित्तीय विवरण तथ्यात्मक गलतबयानी से मुक्त होने के बारे में सम्यक रूप से 2आश्वस्त हुआ जा सके। लेखा-परीक्षा में वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के पक्ष में प्रस्तुत प्रमाण की परीक्षण आधार पर जाँच की जाती है। लेखा-परीक्षा में प्रबंधन द्वारा इस्तेमाल किए गए लेखा-सिद्धान्तों और लगाए गए महत्त्वपूर्ण अनुमानों तथा वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन किया जाना भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा-परीक्षा समुचित आधार प्रदान करती है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि-

क) हमने वह समस्त आवश्यक सूचना व स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक थे,

ख) हमने बहियों की जो जाँच की है, उसके आधार पर हमारी राय में, ट्रस्ट ने विधि अनुसार अपेक्षित उचित लेखा-बहियाँ बनाई हैं,

ग) इस रिपोर्ट का जिस तुलन-पत्र, आय-व्यय और नकदी प्रवाह विवरण से संबंध है,वे लेखा-बहियों के अनुरूप हैं,

घ) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के मुताबिक संबंधित टिप्पणियों के साथ पठित उक्त लेखे निम्नलिखित की सत्य एवं उचित स्थिति दर्शाते हैं-

i तुलनपत्र के मामले में, ट्रस्ट की 31 मार्च 2010 तक की स्थिति

ii आय-व्यय लेखे के मामले में, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष में ट्रस्ट के अधिशेष की स्थिति, और

iii नकदी प्रवाह के मामले में, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष में ट्रस्ट की नकदी प्रवाह की स्थिति.

कृते डी.सी. बोथरा एंड कं.
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजी. सं. 112257 डब्ल्यू)

(पवन बोथरा, एम नं. 31215)
पार्टनर

स्थान- नई दिल्ली
तारीखः जुलाई 07, 2010

To,
The Board of Trustees,
Credit Guarantee Fund Trust
For Micro & Small Enterprises,
Mumbai.

We have audited the attached Balance Sheet of Credit Guarantee Fund Trust for Micro & Small Enterprises as at March 31, 2010 and the Income and Expenditure Account and also the Cash Flow Statement for the year ended on that date both annexed thereto;

These financial statements are the responsibility of the management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Accounting Standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements. An audit include examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis.

We report that;

a) We have obtained all the necessary information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit

b) In our opinion, proper books of accounts as required by law, have been kept by the Trust so far as it appears from our examination of the books;

c) The Balance Sheet, Income & Expenditure and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

d) In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the said accounts read together with notes thereon, give true and fair view:

   i. In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Trust as at 31st March 2010 ,

   ii. In the case of Income and Expenditure Account, of the surplus of the Trust for the year ended on that date, and

   iii. In case of Cash Flow , cash flows of the Trust for the year ended on that date.

For D.C.Bothra & Co.

Chartered Accountants
(Firm Reg. No. 112257W)
(Pawan Bothra, M.No.31215)
Partner

Place: New Delhi
Date: July 07, 2010

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट

31मार्च 2010 का तुलनपत्र

विवरण	अनुसूची	(रु.)	यथा 31.03.2010 (रु.)	(रु.)	यथा 31.03.2009 (रु.)
निधियों के स्रोत					
समूह निधि	1		24,530,246,243		20,747,308,426
चालू देयताएं और प्रावधान	2		4,020,627,349		4,349,884,279
योग			**28,550,873,592**		**25,097,192,705**
निधियों का उपयोग					
स्थिर आस्तियाँ					
कंप्यूटर		741,812		885,390	
घटाएं मूल्यह्रास		741,793	19	29	885,361
फर्नीचर और फिक्स्चर		-		1	
घटाएं मूल्यह्रास		-	-	1	-
बिजली का सामान		86,203		83,426	
घटाएं मूल्यह्रास		43,101	43,102	32,213	51,213
			43,121		**936,574**
निवेश	3		**26,208,724,923**		**20,827,733,116**
चालू आस्तियाँ					
हाथ में नकदी			2,414		1,171
बैंक शेष	4		13,459,445		9,655,190
उपचित आय	5		1,029,570,497		2,262,610,126
व्यय हेतु पूर्वदत्त और अग्रिम	6		323,285		12,404
कर प्राधिकारियों से वसूली – योग्य राशि	7		1,298,749,907		1,996,244,124
योग			**28,550,873,592**		**25,097,192,705**
टिप्पणियाँ जो लेखे का हिस्सा हैं	9				

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते डी.सी. बोथरा एंड कं.
सनदी लेखाकार

(पवन बोथरा,M.No. 31215)
पार्टनर

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः जुलाई 7, 2010

उपर्युक्त तुलनपत्र और उससे संलग्न अनुसूचियों को हम एतद्वारा अधिप्रमाणित करते हैं।

न्यासी-मंडल की ओर से

(आर.एम. मल्ला)
अध्यक्ष

(माधव लाल)
उपाध्यक्ष

(ओ.एस. विनोद)
सदस्य-सचिव

CREDIT GUARANTEE FUND TRUST FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES

BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2010

Particulars	Schedules	(Rs.)	As on 31.03.2010 (Rs.)	(Rs.)	As on 31.03.2009 (Rs.)
Sources of Funds					
Corpus Fund	1		24,530,246,243		20,747,308,426
Current Liabilities & Provisions	2		4,020,627,349		4,349,884,279
Total			**28,550,873,592**		**25,097,192,705**
Application of Funds					
Fixed Assets					
Computer		741,812		885,390	
Less Depreciation		741,793	19	29	885,361
Furniture & Fixture		-		1	
Less Depreciation		-	-	1	-
Electrical Items		86,203		83,426	
Less Depreciation		43,101	43,102	32,213	51,213
			43,121		**936,574**
Investments	3		**26,208,724,923**		**20,827,733,116**
Current Assets					
Cash in hand			2,414		1,171
Bank Balance	4		13,459,445		9,655,190
Accrued Income	5		1,029,570,497		2,262,610,126
Prepaid & Advance for Expenses	6		323,285		12,404
Amount Recoverable from Tax Authorities	7		1,298,749,907		1,996,244,124
Total			**28,550,873,592**		**25,097,192,705**
Notes forming parts of Accounts	9				

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

THE ABOVE BALANCE SHEET TOGETHER WITH SCHEDULES ANNEXED THERETO IS HEREBY AUTHENTICATED BY US.

For D. C Bothra & Co.
Chartered Accountants

On behalf of the Board of Trustees

(Pawan Bothra, M.No. 31215)
Partner

(R. M. Malla)
Chairman

Place: New Delhi
Date: July 7, 2010

(Madhav Lal)
Vice Chairman

(O. S. Vinod)
Member Secretary

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय लेखा

विवरण	अनुसूची	राशि (रु.)	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
निवेश पर ब्याज		2,946,535,589	1,789,920,518
गारंटी शुल्क		838,294,188	246,585,485
वार्षिक सेवा शुल्क		175,114,684	105,582,051
विविध प्राप्तियाँ		15,864	13,321
दंडात्मक ब्याज आय		70,820	-
प्रदत्त दावा खाते में सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से वसूली		10,319,174	
		3,970,350,319	**2,142,101,375**
व्यय			
परिचालन एवं अन्य प्रशासनिक व्यय	8	50,536,406	46,542,975
गारंटी दावों के लिए प्रावधान		-	325,300,000
ब्याज व बैंक प्रभार		153,284	2,927
मूल्यह्रास		784,894	32,243
		51,474,584	371,878,145
व्यय पर आय का अधिशेष		**3,918,875,735**	**1,770,223,230**
जोड़ें / (घटाएँ)- पूर्व अवधि मद		1,425,664	19,637,197
कर-पूर्व अधिशेष		**3,920,301,399**	**1,789,860,427**
घटाएं- आय-कर हेतु प्रावधान		1,111,100,000	-
घटाएँ- पूर्ववर्ती वर्ष में कर-प्रावधान में रही कमी		690,363,582	-
व्यय पर आय का अधिशेष जो तुलनपत्र में ले जाया गया		**2,118,837,817**	**1,789,860,427**
लेखे के हिस्से के रूप में समाहित टिप्पणियाँ	10		

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते डी.सी. बोथरा एंड कं.
सनदी लेखाकार

(पवन बोथरा, M.No. 31215)
पार्टनर

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः जुलाई 7, 2010

उससे संलग्न अनुसूचियों को
हम एतद्द्वारा अधिप्रमाणित करते हैं।

न्यासी-मंडल की ओर से

(आर.एम. मल्ला)
अध्यक्ष

(माधव लाल)
उपाध्यक्ष

(ओ.एस. विनोद)
सदस्य-सचिव

CREDIT GUARANTEE FUND TRUST FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2010

Particulars	Schedules	Amount (Rs.)	
		2009-10	2008-09
INCOME			
Interest on Investments		2,946,535,589	1,789,920,518
Guarantee Fee		838,294,188	246,585,485
Annual Service Fee		175,114,684	105,582,051
Miscellaneous Receipts		15,864	13,321
Penal Interest Income		70,820	-
Recoveries from MLI's on Claim paid account		10,319,174	
		3,970,350,319	**2,142,101,375**
EXPENDITURE			
Operating and other Administrative Expenses	8	50,536,406	46,542,975
Provisions for Guarantee claims		-	325,300,000
Interest & Bank Charges		153,284	2,927
Depreciation		784,894	32,243
		51,474,584	371,878,145
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE		**3,918,875,735**	**1,770,223,230**
Add / (Less) : Prior period items		1,425,664	19,637,197
Surplus before tax		**3,920,301,399**	**1,789,860,427**
Less: Provisions for Income tax		1,111,100,000	-
Less: Short Provision for the Tax for earlier Year		690,363,582	-
Surplus of Income over Expenditure carried to Balance Sheet		**2,118,837,817**	**1,789,860,427**
Notes forming parts of Accounts	10		

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

SCHEDULES ANNEXED IS HEREBY AUTHENTICATED BY US.

For D. C Bothra & Co.
Chartered Accountants

On behalf of the Board of Trustees

(Pawan Bothra, M.No. 31215)
Partner

(R. M. Malla)
Chairman

Place: New Delhi
Date: July 7, 2010

(Madhav Lal)
Vice Chairman

(O. S. Vinod)
Member Secretary

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट

अनुसूचियाँ जो कि तुलनपत्र का हिस्सा हैं 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण		यथा 31.03.2010 (रु.)	यथा 31.03.2009 (रु.)
अनुसूची: 1			
समूह निधि			
निम्नलिखित से प्राप्तः			
भारत सरकार		15,252,533,000	13,893,433,000
सिडबी		3,563,133,250	3,258,133,250
आरएसएफ के लिए सिडबी से प्राप्त राशि		250,000,000	250,000,000
	(a)	**19,065,666,250**	**17,401,566,250**
व्यय पर आय का अधिशेष			
अग्रानीत शेष		3,345,742,176	1,555,881,749
जोड़ें- चालू वर्ष का अधिशेष		2,118,837,817	1,789,860,427
	(b)	**5,464,579,993**	**3,345,742,176**
	(a + b)	**24,530,246,243**	**20,747,308,426**
अनुसूची: 2			
चालू देयताएं और प्रावधान			
गारंटी दावों के लिए प्रावधान			
(अनुसूची 9 की टिप्पणी सं. 8 भी देखें)		3,991,616,617	4,334,912,993
वापसी योग्य गारंटी शुल्क		-	173,100
बकाया देयताओं के लिए प्रावधान		2,181,977	4,292,194
प्राप्त हुआ वार्षिक सेवा शुल्क, जो लौटाना है	-	183,392	
सिडबी को प्रतिपूर्त राशि		2,645,538	9,074,889
गतावधि चेक के कारण अदावित देयता		1,206,084	847,711
वि.आ.(हस्तशिल्प),भारत सरकार			
से जीएफ एवं एएसएफ के प्रति प्राप्त अग्रिम		22,283,847	-
प्रावधानों पर देय स्रोत पर आय- कर		293,286	-
भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त बीमा दावा		400,000	400,000
		4,020,627,349	**4,349,884,279**
अनुसूची: 3			
निवेश			
1) बैंकों में सावधि जमा में निवेश			
i) आरएसएफ निधि के संबंध में निवेश		250,000,000	250,000,000
ii) वि.आ. (ह.) भा.स. के संबंध में निवेश		21,200,000	-
iii) अन्य		25,927,524,923	20,455,447,925
2) आईडीबीआी में डीआईएस में निवेश		10,000,000	-
3) भारतीय जीवन बीमा निगम में एफएएस में निवेश		-	122,285,191
		26,208,724,923	**20,827,733,116**

CREDIT GUARANTEE FUND TRUST FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2010

Particulars	As on 31.03.2010 (Rs.)	As on 31.03.2009 (Rs.)
Schedule : 1		
Corpus Fund		
Received from :		
Government of India	15,252,533,000	13,893,433,000
SIDBI	3,563,133,250	3,258,133,250
Amount received from SIDBI for RSF	250,000,000	250,000,000
(a)	**19,065,666,250**	**17,401,566,250**
Surplus of Income over Expenditure		
Balance b/f	3,345,742,176	1,555,881,749
Add: Surplus of Current year	2,118,837,817	1,789,860,427
(b)	**5,464,579,993**	**3,345,742,176**
(a + b)	**24,530,246,243**	**20,747,308,426**
Schedule : 2		
Current Liabilities and Provisions		
Provisions for Guarantee claims (also see Note no 8 in Schedule 9)	3,991,616,617	4,334,912,993
Guarantee Fee Refundable	-	173,100
Provision for Outstanding Liabilities	2,181,977	4,292,194
Annual Service Fee Received in Excess Refundable	-	183,392
Amount Reimbursable To SIDBI	2,645,538	9,074,889
Unclaimed Liability on A/c of Stale Cheques	1,206,084	847,711
Advance recd. from D C (Handicraft), GOI towards GF & ASF	22,283,847	-
TDS Payable on provisions	293,286	-
Insurance Claim received from LIC	400,000	400,000
	4,020,627,349	**4,349,884,279**
Schedule : 3		
Investments		
1) Investment in Fixed Deposits with Banks		
i) Investment in r/o RSF Funds	250,000,000	250,000,000
ii) Investment in r/o D C (Handicraft), GoI	21,200,000	-
iii) Others	25,927,524,923	20,455,447,925
2) Investment with IDBI under DIS	10,000,000	-
3) Investment with LIC under FAS	-	122,285,191
	26,208,724,923	**20,827,733,116**

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट

अनुसूचियाँ जो कि तुलनपत्र का हिस्सा हैं 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	यथा 31.03.2010 (रु.)	यथा 31.03.2009 (रु.)
अनुसूची: 4		
बैंक शेष		
निम्नलिखित में चालू खाता:		
आईडीबीआई बैंक लि.,	12,375,598	9,655,190
आईडीबीआई बैंक लि.– वि.आ.(हस्तशिल्प)भा.सरकार,	1,083,847	-
	13,459,445	**9,655,190**
अनुसूची: 5		
उपचित आय		
निवेश पर ब्याज– स्रोत पर आयकर काटकर	1,02,95,70,497	2,26,26,10,126
	1,02,95,70,497	**2,26,26,10,126**
अनुसूची: 6		
प्राप्त राशियाँ		
पूर्वदत्त व्यय	3,13,285	12,404
व्यय के प्रति अग्रिम	10,000	-
	3,23,285	**12,404**
अनुसूची: 7		
कर प्राधिकारियों से वसूली योग्य राशि		
वापसी योग्य आय–कर 31/3/07	52,32,18,921	52,32,18,921
अग्रिम कर, अदा किया गया टीडीएस 31/3/08	61,13,02,943	61,13,02,943
अग्रिम कर, अदा किया गया टीडीएस 31/3/09	86,13,66,758	86,13,66,758
अग्रिम कर, अदा किया गया टीडीएस 31/3/10		1,10,39,69,365
वापसी योग्य अनुषंगी लाभ कर	3,55,502	3,55,502
	3,10,02,13,489	1,99,62,44,124
घटाएं– कर हेतु प्रावधान 31/03/09	69,03,63,582	-
कर हेतु प्रावधान 31/03/10	1,11,11,00,000	-
कर–प्राधिकारियों से वसूली–योग्य राशि	**1,29,87,49,907**	**1,99,62,44,124**

CREDIT GUARANTEE FUND TRUST FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2010

Particulars	As on 31.03.2010 (Rs.)	As on 31.03.2009 (Rs.)
Schedule : 4		
Bank Balance		
Current Accounts with:		
IDBI Bank Ltd.	12,375,598	9,655,190
IDBI Bank Ltd. - D C (Handicraft), GoI,	1,083,847	-
	13,459,445	**9,655,190**
Schedule : 5		
Accrued Income		
Interest on Investments less TDS	1,02,95,70,497	2,26,26,10,126
	1,02,95,70,497	**2,26,26,10,126**
Schedule : 6		
Receivables		
Prepaid Expenses	3,13,285	12,404
Advance for Expenses	10,000	-
	3,23,285	**12,404**
Schedule : 7		
Amount Recoverable from Tax Authorities		
Income Tax refundable 31/3/07	52,32,18,921	52,32,18,921
Advance Tax, TDS Paid 31/3/08	61,13,02,943	61,13,02,943
Advance Tax, TDS Paid 31/3/09	86,13,66,758	86,13,66,758
Advance Tax, TDS Paid 31/3/10	1,10,39,69,365	-
Fringe Benefit Tax Refundable	3,55,502	3,55,502
	3,10,02,13,489	1,99,62,44,124
Less: Provision for Tax 31/03/09	69,03,63,582	-
Provision for Tax 31/03/10	1,11,11,00,000	-
Amount Recoverable from Tax Authorities	**1,29,87,49,907**	**1,99,62,44,124**

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट

अनुसूचियाँ जो कि आय एवं व्यय लेखा का हिस्सा हैं 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	यथा 31.03.2010 (रु.)	यथा 31.03.2009 (रु.)
अनुसूची: 8		
परिचालन एवं अन्य प्रशासनिक व्यय		
विज्ञापन और प्रचार–व्यय	1,44,35,766	1,28,36,185
लेखा–परीक्षकों का पारिश्रमिक	86,725	86,065
बोर्ड बैठक व्यय	65,299	12,560
पुस्तकें एवं आवधिक प्रकाशन	94,835	82,340
सवारी एवं वाहन व्यय	14,53,874	11,88,142
कुरियर/ डाक–व्यय	3,44,366	2,08,490
स्वागत–सत्कार व्यय	51,235	76,263
बीमा प्रभार	38,584	49,720
आंतरिक लेखा–परीक्षकों का पारिश्रमिक	3,51,156	3,12,200
सूचा प्रौद्योगिकी सेवा	34,92,356	44,45,386
विदेशी मुद्रा के उतार–चढ़ाव के कारण हानि	2,394	-
विविध व्यय	66,617	3,03,828
कार्यालय व्यय	9,91,941	4,13,589
कार्यालय किराया	66,69,090	60,46,320
मुद्रण और लेखन–सामग्री, कंप्यूटर कंज्यूमेबल	11,28,863	8,89,743
प्रोफेशनल शुल्क	2,14,050	5,12,019
कर्मचारियों के वेतन और भत्ते	1,01,24,116	87,09,939
संविदा–स्टाफ के वेतन और भत्ते	28,40,647	8,96,747
संगोष्ठी और बैठक व्यय	17,98,877	27,31,700
सिडबी को अदा किया गया सेवा–प्रभार	11,29,088	33,21,619
स्टाफ आवास–किराया	17,17,296	-
स्टाफ चिकित्सा–व्यय	5,70,271	2,57,119
स्टाफ प्रशिक्षण व्यय	22,026	4,90,198
टेलीफोन व्यय	4,29,112	3,31,037
यात्रा व्यय	24,17,822	23,41,766
	5,05,36,406	**4,65,42,975**

CREDIT GUARANTEE FUND TRUST FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES

Schedules Forming Part of The Income Expenditure Account for the Year Ended 31st March, 2010

Particulars	As on 31.03.2010 (Rs.)	As on 31.03.2009 (Rs.)
Schedule: 8		
Operating and Other Administrative Expenses		
Advertisement & Publicity Expenses	1,44,35,766	1,28,36,185
Auditors' Remuneration	86,725	86,065
Board Meeting Expenses	65,299	12,560
Books & periodicals	94,835	82,340
Conveyance & Vehicle Expenses	14,53,874	11,88,142
Courier/Postage Charges	3,44,366	2,08,490
Entertainment expenses	51,235	76,263
Insurance Charges	38,584	49,720
Internal Auditors remuneration	3,51,156	3,12,200
IT service	34,92,356	44,45,386
Loss due to Foreign Exchange Fluctuation	2,394	-
Miscellaneous Expenses	66,617	3,03,828
Office Expense	9,91,941	4,13,589
Office Rent	66,69,090	60,46,320
Printing & Stationery, Computer Consumables	11,28,863	8,89,743
Professional Fee	2,14,050	5,12,019
Salaries & Allowances to employees	1,01,24,116	87,09,939
Salaries & Allowances to contract staff	28,40,647	8,96,747
Seminar & Meeting Expenses	17,98,877	27,31,700
Service Charges paid to SIDBI	11,29,088	33,21,619
Staff Accomodation Rent	17,17,296	-
Staff Medical Expenses	5,70,271	2,57,119
Staff Training Expenses	22,026	4,90,198
Telephone Expenses	4,29,112	3,31,037
Travelling Expenses	24,17,822	23,41,766
	5,05,36,406	**4,65,42,975**

तुलन पत्र और आय-व्यय लेखे की अनुसूची

अनुसूची-9

लेखा टिप्पणियाँ

1.मुख्य लेखा-नीतियाँ

क. लेखा परिपाटियाँ

संलग्न वित्तीय विवरण कालक्रमिक लेखांकन को जारी रखते हुए सामान्यतः स्वीकृत लेखा-सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं।

ख. आय एवं व्यय का निर्धारण

गारंटी शुल्क और वार्षिक सेवा शुल्क के मामले में ट्रस्ट लेखांकन के नकदी आधार और निवेश आय के मामले में उपचय/व्यापारिक आधार का पालन करता है। सावधि जमा पर उपचित ब्याज की गणना जैसा लागू हो-तिमाही/वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है।

ग. निवेश

निवेश लागत पर दर्शाए गए हैं। जोखिम साझेदारी सुविधा (आरएसएफ) से संबंधित निवेश और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय, भारत सरकार से प्राप्त निधि को तुलनपत्र में अलग से दर्शाया गया है।

घ. पूर्व अवधि समायोजन

पूर्ववर्ती /पिछले वर्षो से संबंधित आय-व्यय का लेखांकन पूर्व-अवधि मदों के रूप में किया गया है।

ङ. स्थिर आस्तियाँ

स्थिर आस्तियों को लागत में से मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया गया है। मूल्यह्रास की दर कंप्यूटर, फर्नीचर और फिक्स्चर पर 100% और विद्युत उपकरणों पर 50% ली गई है।

च. सेवानिवृत्ति लाभ

ट्रस्ट में प्रतिनियुक्त अपने कर्मचारियों को सिडबी द्वारा सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किए जाते हैं।

2. संचयी रूप से 31 मार्च 2010 तक ट्रस्ट को 35 सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से दावों के 4761 आवेदन (गत वर्ष 1263) प्राप्त हुए। ट्रस्ट ने पहली किस्त के प्रति 53.02 करोड़ रुपये (गत वर्ष 18.70 करोड़ रुपये) के लिए 2506 पात्र दावों (गत वर्ष 784) का निपटान किया। 533 आवेदन (गत वर्ष 73) योजना के अंतर्गत अपात्र थे। दावा प्रस्तुत करने पर दावा निपाटन के लिए विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी न करने के कारण 420 आवेदन (गत वर्ष 397) अधूरे थे। प्रतिभूति के विवरण, सब्सिडी राशि आदि की अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी नहीं मिली थी और इसलिए दावों को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया। 31 मार्च 2010 को 1302 आवेदन (गत वर्ष 9) निपटान के लिए लंबित थे, जिनको बाद में निपटा दिया गया।

3. (करोड़ रुपये)

विवरण	यथा 31-03-10	यथा 31-03-09
गारंटी अनुमोदन	11559.61	4684.50
जारी की गई गारंटी	10250.12	4122.69
स्वीकृत गारंटी जिसमे, निष्पादन लंबित है	1309.49	561.81

धारित दावों के लिए प्रावधान के अतिरिक्त ट्रस्ट उन एमएसई के गैरनिष्पादन की स्थिति में स्वीकृत गारंटियों के लिए आपातिक रूप से उत्तरदायी है जिनकी सुरक्षा के लिए गारंटी प्रदत्त/स्वीकृत की गई है।

4. ट्रस्ट सिडबी द्वारा प्रदत्त कार्यालय-परिसर, स्टाफ और सूचना प्रौद्योगिक सेवाओं का इस्तेमाल कर रहा है। सिडबी और ट्रस्ट के मध्य 04 अक्तूबर 2001 को निष्पादित समझौता-ज्ञापन के अनुसार, ट्रस्ट सिडबी को उन खर्चों पर 20% की दर से सेवा प्रभार अदा करता है, जो सिडबी ने प्रशासनिक व्यय के प्रति जुलाई 2009 तकट्रस्ट की ओर से किए हों और जिनका ट्रस्ट के कामकाज से सीधा संबंध हो। तदुपरान्त परस्पर वार्ता करके अगस्त 2009 से इन्हें समाप्त कर दिया गया।

5. ट्रस्ट पहली बार में दावा-निपटान की 75% राशि का भुगतान करता है। शेष राशि सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा निर्धारित विधिक प्रक्रियाओं का अनुपालन होने के बाद अदा करने के लिए छोड़ दी जाती है। केवल 7 मामलों में परवर्ती 25% की राशि का भुगतान किया गया है, जबकि अन्य मामलों में शेष राशि पाने की पात्रता हासिल करने के लिए सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को अब भी विधिक अपेक्षाओं की पूर्ति करनी है।

SCHEDULE FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AND INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT

Schedule: 9

NOTES ON ACCOUNTS:

1. Significant Accounting Policies

a. Accounting Conventions

The accompanying financial statements have been prepared keeping in view the generally accepted accounting principles continuing historical accounting.

b. Recognition of Income and Expenditure

The Trust follows the cash basis of accounting in respect of Guarantee Fee and Annual Service Fee and accrual/ mercantile basis for Investment Income. Interest accrued on FDs is calculated on compounding basis on a quarterly/yearly basis as applicable.

c. Investment

Investments have been stated at cost. Investments relating to Risk Sharing Facility (RSF) and fund received from the Office of DC (Handicraft), Government of India have been separately stated in the Balance Sheet.

d. Prior Period Adjustment

Expenses and income pertaining to earlier / previous years are accounted as prior period items.

e. Fixed Assets

Fixed assets have been stated at cost less depreciation. Rate of depreciation is taken at 100% on Computer, Furniture and fixture and 50% on Electrical appliances.

f. Retirement Benefits

Retirement benefits are provided by SIDBI for its employees on deputation to the Trust.

2. Cumulatively up to March 31,2010, the Trust had received 4761 (P.Y.1263) claim applications from 35 Member Lending Institutions. The Trust had settled 2506 (P.Y. 784) eligible claims for Rs. 53.02 crore (P.Y. Rs. 18.70 crore) towards first instalment; 533 (P.Y. 73) applications were ineligible within the purview of the Scheme. 420 (P.Y.397) applications were incomplete, as stipulated conditions for claims settlement had not been complied on filing claim. Additional information of security details / subsidy amount , etc called for had not been received and therefore claims were temporarily closed. As on March 31, 2010, 1302 (P.Y.9) applications were pending for settlement, which have been disposed subsequently.

3.

(Rs. crore)

Particulars	As on 31-03-10	As on 31-03-09
Guarantee approval as on	11559.61	4684.50
Guarantee issued as on	10250.12	4122.69
Guarantee sanctioned, pending execution as on	1309.49	561.81

Over and above the provision for claims held the Trust is contingently liable for guarantee given / sanctioned in the event of non-performance of the MSE for whose protection such guarantee is given/ sanctioned.

4. Trust is availing facility of office accommodation, staff & I T services from SIDBI. As per the Memorandum of Understanding entered into between SIDBI and the Trust on October 04, 2001, the Trust pays service charge @ 20% on the expenses incurred by SIDBI on behalf of the Trust towards administrative expenses directly attributable to the functioning of the Trust till July 2009. Subsequently, with mutual discussion the same was withdrawn w.e.f. August 2009.

5. The Trust pays 75% of the settled claim amount in the first instance, leaving balance amount to be paid after the compliances of prescribed legal procedures by MLIs. Only in 7 cases subsequent payment of 25% has been made. However in other cases the MLIs have yet to comply fully the legal requirements making them eligible for the receipt of the balance.

6. लेखा-परीक्षक का पारिश्रमिक 86,725 रुपये (गत वर्ष 86065 रुपये)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
लेखा-परीक्षा शुल्क	50,000	50,000
कर-लेखा-परीक्षा शुल्क	25,000	25,000
सेवा कर	7,725	7,725
व्यय-प्रतिपूर्ति	4,000	3,340
योग	86,725	86,065

7. कराधान

ट्रस्ट की आय 1 अप्रैल 2002 से आरंभ हुए मूल्यांकन वर्ष से 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष तक के पहले पाँच संगत वर्षों के लिए आय-कर से मुक्त थी। ट्रस्ट ने कर सलाहकार से स्वतंत्र राय ली है कि उस पर वित्तीय वर्ष 2007 और वित्तीय वर्ष 2008 के लिए कर अदायगी की देयता नहीं बनती। ट्रस्ट ने वित्तीय वर्ष 2007 और वित्तीय वर्ष 2008 के दौरान अदा किए गए 113.45 करोड़ रुपये के आय-कर की वापसी के लिए आय-कर विभाग के साथ मामले को उठाया है। ट्रस्ट ने चालू वर्ष के लिए 111.11 करोड़ रुपये और इससे पिछले वर्ष के लिए 69.03 करोड़ रुपये की कर देयता के लिए प्रावधान किया है।

8.ट्रस्ट ने दी गई बकाया गारंटी की देयता का अनुमान प्रस्तुत करते हुए बीमांकक से रिपोर्ट प्राप्त की है। बीमांकक ने प्रस्तुत किए गए दावों और जारी की गई गारंटियों के मध्य अवरोही समीकरण लगाते हुए ऐसे दावों केसंबंध में प्रावधान का मूल्यांकन किया है। बीमांकक ने अपनी रिपोर्ट में 31.03.2010 को बकाया गारंटी राशियों पर 43,349 लाख रुपये के अग्रानीत प्रावधानों की तुलना में 15,843 लाख के प्रावधान का सुझाव दिया है। चूंकि अग्रानीत प्रावधान की राशि काफी अधिक है, इसलिए प्रबंधन ने वर्ष के दौरान प्रदत्त नई गारंटियों के प्रति उक्त प्रावधान में 6875.11 लाख रुपये का और प्रावधान नहीं करने का प्रस्ताव किया है। ऐसे दावों के प्रति प्रावधान के विवरण निम्नवत हैं-

(रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1 अप्रैल को आरंभिक शेष (अथ शेष)	4,334,912,993	4,093,430,000
घटाएं- वर्ष के दौरान प्रदत्त दावे	343,296,376	83,817,007
जोड़ें- वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		325,300,000
31 मार्च को इतिशेष	3,991,616,617	4,334,912,993

9.पिछले वर्ष के आँकड़ों का जरूरत के अनुसार पुनर्समूहन, पुनर्वर्गीकरण और पुनर्संयोजन किया गया है।

कृते डीसी बोथरा एंड कं.
सनदी लेखाकार

(पवन बोथरा, एम.नं. 31215)
पार्टनर

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः जुलाई 07, 2010

न्यासी-मंडल की ओर से

(आर.एम. मल्ला)
अध्यक्ष

(माधव लाल)
उपाध्यक्ष

(ओ.एस. विनोद)
सदस्य-सचिव एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

6. Auditor's Remuneration Rs.86,725/- (P.Y. Rs.86,065/-)

Particulars	Current Year	Previous Year
Audit Fees	50,000	50,000
Tax Audit Fees	25,000	25,000
Service Tax	7,725	7,725
Expenses Reimbursement	4,000	3,340
Total	86,725	86,065

7. Taxation

The income of the Trust was exempt from Income Tax for five previous years relevant to the Assessment Years commencing from April 1, 2002 and ending on March 31, 2007. The Trust has obtained independent opinion from Tax Consultant that it is not liable to pay tax for FY 2007 and FY 2008. Trust has taken up the matter with IT department for refund of the income tax to the tune of Rs. 113.45 crore paid during FY 2007 and FY 2008. Trust has made provision for tax during the year towards current year liability at Rs.111.11 crore and for preceding year liability at Rs.69.03 crore.

8. Trust has obtained report of Actuary giving estimate of liability on outstanding guarantees given. Actuary has evaluated provision for such claims evolving Regression Equation between claims lodged & guarantees issued. On outstanding guarantee amounts as on 31/03/2010 the provision suggested by Actuary in his report is at Rs. 15,843 lakh as against brought forward provisions at Rs.43,349 lakh. As the brought forwards provision is on much higher side management has not proposed any further increase therein towards new guarantees undertaken during the year at Rs. 6875.11 lakh. Details of provision for such claims are as under:

(In Rupees)

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening balance as on 1st April	4,334,912,993	4,093,430,000
Less: Claim paid during the year	343,296,376	83,817,007
Add: Provision made during the year		325,300,000
Closing Balance as on 31st March	3,991,616,617	4,334,912,993

9. Figures of previous year have been regrouped, reclassified and rearranged where ever necessary.

For D. C. Bothra & Co.
Chartered Accountants

(Pawan Bothra, M.No.31215)
Partner

Place: New Delhi
Date : July 07, 2010

On behalf of the Board of Trustees

(R. M. Malla)
Chairman

(Madhav Lal)
Vice-Chairman

(O. S. Vinod)
Member Secretary & CEO

A special word of thanks to Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Government of India, SIDBI, RBI, all Member Lending Institutions and MSE entrepreneurs for their continuous support and co-operation in all our endeavours.

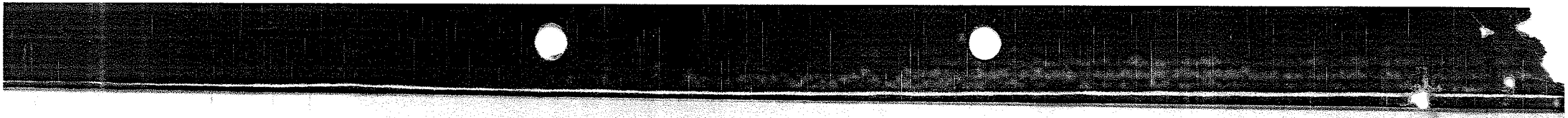

सी.जी.टी.एम.एस.ई. का पंजीकृत कार्यालय

Registered office of CGTMSE

7वाँ तल, एम.एस.एम. ई विकास केंद्र, सी–11/जी–ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051.

7th floor, MSME Development Centre, C-11, G Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051.
Tel: 2654 1803/04/06/07 Fax: 2654 1821
Website : www.cgtmse.in
Set up by Govt. of India & SIDBI

MSME
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

SIDBI
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

Printed by www.opsipl.in - 9820086963